



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 84 राँची, शुक्रवार,

10 फरवरी, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

9 फरवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-02/2022-14—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-03/02/2023 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 03, 2023)

विषय वस्तु

धारा	अध्याय
	अध्याय I प्रारंभिक
1	संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ
2	परिभाषा
	अध्याय II बाजारों की स्थापना
3	विनिर्दिष्ट कृषि उपज और पशुधन विपणन को विनियमित करने के इरादे की अधिसूचना
4	संपूर्ण झारखंड राज्य को एक एकीकृत बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित करना
5	परिसीमित बाजार क्षेत्र की अधिसूचना
6	परिसीमित बाजार क्षेत्र एवं कृषि उपज और पशुधन के वस्तुओं का परिवर्तन/समामेलन
7	प्रमुख बाजार प्रांगण उप बाजार प्रांगण बाजार उप प्रांगण निजी बाजार प्रांगण निजी बाजार उप-प्रांगण किसान- उपभोक्ता बाजार प्रांगण निजी किसान उपभोक्ता बाजार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
8	विशेष वस्तु बाजार प्रांगण की स्थापना और अधिसूचना
9	राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण एम0एन0आई0 की स्थापना और अधिसूचना
10	निजी बाजार प्रांगण की स्थापना
11	किसान- उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना (किसान द्वारा उपभोक्ता को खुदरा में कृषि उपज की सीधी बिक्री
12	गोदाम कोष्ठागार शीत भंडार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान का बाजार उप- प्रांगण के रूप में घोषणा करना
13	प्रत्यक्ष विपणन (बाजार प्रांगण उप-बाजार प्रांगण निजी बाजार प्रांगण के बाहर किसानों से थोक प्रत्यक्ष खरीद
	अध्याय III बाजार समिति का गठन
14	बाजार समिति की स्थापना और इसका निगमन
15	बाजार समिति में स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति का निहित करना
16	बाजार समिति बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण
17	प्रथम बाजार समिति का गठन
18	द्वितीय एवं प्रवर्ती की बाजार समिति का गठन
19	निर्वाचन क्षेत्रों और सीट के आरक्षण के लिए परिसीमित बाजार क्षेत्र का विभाजन

20	मतदान करने और कृषक का प्रतिनिधि होने की योग्यता
21	चुनाव का प्रावधान
22	चुनावों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण
23	अध्यक्ष का मनोनयन और उपाध्यक्ष का चुनाव
24	अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल
25	अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का प्रारंभ
26	सदस्यों का इस्तीफा
27	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा इस्तीफा और उनके कार्यालय में रिक्ति
28	अध्यक्ष को हटाने और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
29	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के विरुद्ध अवकाश और अनुपस्थिति के परिणाम।
30	नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को प्रभार सौंपने से इंकार
31	कुछ शर्तों के तहत बाजार समिति के रिकॉर्ड और संपत्ति को कब्जे में लेना
32	एम0एन0आई0 की बाजार समिति की स्थापना और संरचना
33	एम0एन0आई0 की बाजार समिति के सचिव की नियुक्ति और कार्य।
34	एम0एन0आई0 की कार्यकारी समिति
35	एम0एन0आई0 की कार्यकारी समिति के सदस्यों के पद की अवधि
36	इस अधिनियम के अन्य प्रावधान राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण पर भी लागू होंगे
	अध्याय IV अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं बाजार समिति के कार्यों का संचालन एवं शक्तियां और कर्तव्य
37	अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य
38	उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य
39	बाजार समिति की बैठक आदि
40	बैठक की प्रक्रिया एवं कोरम
41	बाजार समिति के अधिकार और कर्तव्य
42	उप-समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन
43	ऋण लेने की शक्ति
44	अपराधों का समाधान
45	गैर अदायगी शुल्क आदि को बड़े खाते में डालने की शक्ति
46	बाजार प्रांगण में अतिक्रमण हटाने की शक्ति
47	वजन उपकरणों का उपयोग, तौल एवं माप और उनका निरीक्षण
48	अनुबंध करने की विधि
49	बाजार समिति आदि का कार्रवाई को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए

	अध्याय V बाजार समिति के कर्मी
50	बाजार समिति के सचिव
51	सचिव की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य
52	लेखापाल की नियुक्ति
53	बाजार समिति द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति
	अध्याय VI ई-व्यापार
54	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म की स्थापना/संवर्धन
55	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना / नवीनीकरण
56	गोदाम/कोष्ठागार/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान का एकीकरण, जिसे ई-प्लेटफॉर्म के लिए बाजार उप-प्रांगण घोषित किया गया है।
57	निजी बाजार का एकीकरण
58	ई-व्यापार प्लेटफॉर्म की आंतरिक संचालन क्षमता
59	विक्रेताओं को भुगतान और खातों का संधारन
60	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्ति को निलंबन या रद्द करना
61	विवाद का निपटारा- (i) धारा 55 (1) के तहत अनुज्ञप्तिधारियों के बीच; तथा (ii) अनुज्ञप्तिधारियों और ए०पी०एल०एम०सी० के बीच
62	राज्यांतरिक लेन देन के संबंध में विवाद का निपटारा।
63	अंतर-राज्य व्यापार लेनदेन के संबंध में विवाद का निपटारा
	अध्याय VII व्यापार का विनियमन
64	अधिस्चित कृषि उपज और पशुधन का क्रय विक्रय-लेनदेन
65	खरीदने और बेचने की शर्तें और प्रक्रिया
66	बाजार शुल्क की वसूली (बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी)
67	बाजार समिति द्वारा उपयोग शुल्क की वसूली
68	बाजार शुल्क से छूट देने की शक्ति।
69	व्यापारियों के अलावा बाजार के प्रतिभागी को अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना
70	एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना
71	धारा 70 के तहत प्रदत्त/नवीकृत/एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करना
72	अंतर-राज्य व्यापार के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान/ नवीकरण करना
73	निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण और बाजार उप- प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान / नवीकरण करना ।

74	धारा 73 के तहत प्रदत्त/नवीकृत अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द किया जाना
75	प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना ।
76	प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करना ।
77	विवाद निपटारा- (i) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच (ii) अनुज्ञप्तिधारी और ए०पी०एल०एम०सी० के बीच
78	अपील
79	तदर्थ थोक खरीदार का पंजीकरण
80	सिविल न्यायालयों पर अधिकार क्षेत्र
	अध्याय VIII बजट और बाजार समिति कोष
81	बजट की तैयारी और अनुमोदन
82	बाजार समिति कोष
83	बाजार समिति कोष का उपयोग
	अध्याय IX झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन
84	झारखण्ड राज्य के कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना
85	बोर्ड का निगमन
86	झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन
87	झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संरचना
88	बोर्ड के प्रबंध निदेशक, अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति
89	बोर्ड के गैर आधिकारिक सदस्य का कार्यकाल
90	आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल
91	बोर्ड के सदस्यों के लिए भत्ता
92	आकस्मिक रिक्तियों को भरना
93	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के इस्तीफे
94	पर्षद के सदस्यों की अयोग्यता
95	उप-समिति की नियुक्ति
96	बोर्ड का अधीक्षण
97	बोर्ड के कार्य एवं शक्तियाँ
98	विनियमन
99	विपणन विकास कोष
100	बोर्ड द्वारा किया गया भुगतान

101	विपणन विकास कोष में योगदान
102	बॉण्ड या स्टॉक जारी करके ऋण लेना
103	बोर्ड द्वारा प्राप्त विपणन विकास कोष का उपयोग
104	पर्षद के खातों का लेखा परीक्षण
105	शक्तियों का प्रत्यायोजन
106	अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी का पर्यवेक्षण और नियंत्रण
107	प्रबंध निदेशक के कार्य एवं शक्तियां
108	पर्षद के कार्यकलापों का संचालन
109	बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियाँ
	अध्याय X निदेशक की नियुक्ति, अधिकार एवं शक्तियाँ
110	कृषि विपणन निदेशक की नियुक्ति
111	कृषि विपणन निदेशक की शक्ति और कार्य
112	चक्रीय विपणन विकास कोष
113	कृषि विपणन निदेशक के कार्यालय और कर्मचारी
	अध्याय XI दंड
114	अधिनियम, नियमों और उपविधि के उल्लंघन के लिए जुर्माना
115	बाजार की बकाया राशि की वसूली
116	अपराधों का संज्ञान
	अध्याय XII नियंत्रण
117	निरीक्षण, पूछताछ, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आदि
118	उपाध्यक्ष या बाजार समिति के सदस्य को हटाने के लिए निदेशक की शक्तियाँ
119	बाजार समिति का अधिक्रमण
120	बाजार समिति के अधिक्रमण का परिणाम
121	बोर्ड का अधिक्रमण
122	बोर्ड के अधिक्रमण का परिणाम
123	बाजार समिति उपविधियों में संशोधन हेतु निर्देश के लिए निदेशक की शक्ति
124	बाजार समिति द्वारा किये गये प्रस्ताव या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन पर रोक लगाने के लिए प्रबन्ध निदेशक की शक्ति
125	बाजार समिति और प्रबंध निदेशक/निदेशक को कार्यवाही के लिए बुलाने की शक्ति
126	नुकसान, बर्बादी या हेराफेरी आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की देयता ।

127	अनुसूची में संशोधन के लिए सरकार/प्रशासन की शक्ति ।
128	दिशा-निर्देश देने के लिए सरकार/प्रशासन की शक्ति ।
129	बोर्ड/बाजार समिति के बकाया रकम की वसूली
130	बाजार समिति और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और सेवक इत्यादि लोक सेवक होंगे
131	सरकार/प्रशासन द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन
132	सिविल मुकदमा से रोक और अच्छे नीयत से कार्य करने वाले व्यक्ति को संरक्षण
133	सूचना के अभाव में मुकदमा करने पर रोक
134	जानकारी और सहायता देने के लिए स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य
135	अधिनियम को अनौपचारिकता, रिक्ति आदि द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता
	अध्याय XIII नियम और उप-विधि
136	नियम बनाने की शक्ति
137	उप-विधि बनाने की शक्ति
	अध्याय XIV निरसन और बचाव
138	निरसन और बचाव
139	कठिनाई को दूर करने की शक्ति

झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022

झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022 झारखण्ड और देश भर में पशुधन सहित कृषि उपज के भौगोलिक रूप से प्रतिबंध मुक्त व्यापार लेनदेन; किसानों को अपनी उपज को समय और स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता देने; इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी के अन्य नवीन रूप को अपनाने के माध्यम से व्यापार संचालन और मूल्य निपटान तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए; प्रतिस्पर्धी विपणन, कृषि-प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के लिए कई माध्यमों के उद्भव को बढ़ावा देने के लिए; झारखंड राज्य में बाजारों और विपणन आधारभूत संरचना के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और जहां यह इसके लिए सुगमकारी विनियमन, पेशेवर प्रबंधन और अनुकूल नीति के संरचना और उसके साथ जुड़े उद्देश्यों के लिए और प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पूरा करने के लिए समीचीन हो, के लिए एक विधेयक बनाने निमित्त प्रस्तावित विधेयक है ।

उद्देश्य और कारण का विवरण -1. किसी भी अन्य उधम की तरह कृषि तभी सतत हो सकती है, जब यह उत्पादक को शुद्ध सकारात्मक लाभ दे सके। बाजार एक जगह है, जहां एक उत्पाद का लेन-देन किया जाता है और

प्रति इकाई मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मूल्य एक किसान-उत्पादक को मिलता है। चूंकि किसान की आय पर मूल्य प्रतिफल कम होता है, कृषि बाजार और विपणन दक्षता महत्वपूर्ण हो जाती है। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण में, यह राज्य के मौजूदा बाजार ढांचे को और अधिक प्रतिस्पर्धी विपणन वातावरण में लाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। उत्पादकता के स्तर में सुधार और कृषि/उत्पादन की कम लागत के साथ यह कृषि विकास, किसानों के कल्याण, उत्पादक रोजगार और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकता है। देश में संगठित थोक विपणन को राज्यों के कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयकों के प्रावधानों के तहत स्थापित विनियमित बाजारों के एक नेटवर्क के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। इन बाजार संरचनाओं का उद्देश्य किसान-उत्पादक को मूल्य पारिश्रमिक हस्तांतरित करने की दृष्टि से, लेन-देन के विनियमन और लेनदेन में पारदर्शिता लाना है। समय के साथ, हालांकि, इन बाजारों को काफी हद तक प्रतिबंधात्मक और एकाधिकार प्रदान किया गया है, जो कि इच्छित उद्देश्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, मौजूदा नियामक ढांचा कृषि उपज के मुक्त प्रवाह का समर्थन नहीं करता है; और प्रोसेसर/निर्यातकों/थोक खरीदारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ किसानों का प्रत्यक्ष इंटरफेस प्रदान नहीं करता है, और इसी कड़ी में बड़ी संख्या में बिचैलियों को आने देता है जो मूल्य शृंखला के साथ कोई मूल्य नहीं प्रदान कर करते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यह न तो किसानों के लिए फायदेमंद है और न ही उपभोक्ताओं के हितों को पूरा करता है। भारत की कृषि उपज की प्रोफाइल बदल रही है। यह बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में उच्च स्तर के आउटपुट के साथ अधिक महानगरीय हो रहा है, इसके अलावा निश्चित रूप से अनाज, दालों और तिलहन की मात्रा बढ़ रही है। 1991 में देश के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद से, यह राज्य अपने परिवहन और संचार आधारभूत संरचना में बदलाव के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्ट फोन के प्रवेश और युवाओं में अधिक प्रौद्योगिकी-मित्रता का अनुभव कर रहा है, जो जनसांख्यिकी पर हावी हैं। बढ़ती क्रय शक्ति, गतिशीलता और स्वाद और अधिमानता में बदलाव के साथ, अधिक जानकारी और जागरूकता से युक्त उपभोक्ता तर्कसंगत मूल्य पर गुणवत्ता और वैकल्पिक उत्पादों की मांग करने लगे हैं। राज्य में आज भी प्रतिबंधात्मक और एकाधिकार केंद्रित कृषि बाजार संरचना मौजूद है, जो उत्पादकों को उनके कृषि जिनस के स्थान, समय और रूप मूल्य के आर्थिक लाभों का फायदा लेने की अनुमति देने में सक्षम नहीं है।

2. इन बाधाओं को अधिक उदार और प्रगतिशील कानून, जो मुक्त प्रतिस्पर्धा की अनुमति देता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जगह और समय पर वस्तुओं के प्रवाह की सुविधा देता है और बाजार के कार्यकर्ताओं द्वारा कई विपणन माध्यमों के संचालन को प्रोत्साहित करता है, के द्वारा वर्तमान बाजार संरचना और इसके नियामक ढाँचे की जगह लेने से दूर किया जा सकता है। आवश्यकता है राज्य के लिए एक बाधा रहित एकीकृत कृषि बाजार की। कृषि की संरचना बदल रही है और यह क्षेत्र अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, बागवानी फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन आदि वाणिज्यिक फसलों के क्रम में विविधीकरण कर रहा है। इसलिए यह उचित है कि एक फिर से तैयार और व्यापक विधेयक, जो कि खंडित बाजारों को एकीकृत करने में संवर्धन और सुगमकारी है, को अपनाया जाए। इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि खंडित सुधारों के लिए छिटपुट संशोधन एक बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। आज के समय राज्य की अर्थव्यवस्था, पहले की तुलना में

राष्ट्रीय/वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकृत है। इसलिए, मॉडल ए०पी०एम०सी० अधिनियम, 2000 और 2008 के प्रावधानों में एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है ।

3. झारखण्ड राज्यकृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 की मुख्य विशेषताएं हैं-

i) जहाँ तक कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति (ए०पी०एम०सी०) (झारखंड राज्यस्तरीय एकल बाजार) द्वारा नियमन के प्रवर्तन का संबंध है। अब तक के अधिसूचित बाजार क्षेत्र के अवधारणा को समाप्त कर झारखंड राज्य के भीतर खंडित बाजार का उन्मूलन ।

ii) बाजार समिति और झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पूर्ण लोकतंत्रीकरण ।

iii) प्रोसेसर, निर्यातकों, थोक खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के साथ किसानों के एकीकरण द्वारा खाद्य आपूर्ति शृंखला का निर्बाधकरण

iv) इस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषि विपणन निदेशक और प्रबंध निदेशक के बीच शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन करना, इस उद्देश्य के साथ कि विधेयक के तहत कृषि विपणन निदेशक मुख्य रूप से नियामक कार्यों को पूरा करेंगे, जबकि प्रबंध निदेशक अनिवार्य रूप से विकासात्मक जिम्मेदारियों को निभाएंगे ।

v) निजी थोक बाजार प्रांगण और किसान उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना और संचालन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, ताकि किसान के लाभ के लिए विभिन्न बाजारों और बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसान की उपज के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके ।

vi) किसानों और प्रोसेसर/निर्यातकों/थोक विक्रेताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष इंटरफ़ेस को बढ़ावा देना ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए मूल्य वृद्धि को कम किया जा सके ।

vii) किसानों को बेहतर बाजार पहुंच/लिंकेज प्रदान करने के लिए गोदामों/कोष्ठागार/शीतगृह और अन्य संरचनाओं/स्थान को बाजार उप प्रांगण के रूप में घोषित करना ।

viii) किसानों को अपनी पसंद के स्थान और समय पर, जिससे कभी भी और जहाँ भी उन्हें बेहतर दाम मिलें, किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देना ।

ix) व्यापार संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने और भौगोलिक क्षेत्रों में बाजारों के एकीकरण के लिए ई-व्यापार को बढ़ावा देना ।

x) राज्य भर में बाजार शुल्क के एकल बिंदु लेवी के लिए प्रावधान और लागत प्रभावी लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत एकल-व्यापार अनुज्ञप्ति ।

xi) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति, ग्रेडिंग और मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के प्रावधान के माध्यम से कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देना ।

xii) बाजार शुल्क और कमीशन शुल्क का युक्तिकरण ।

iv) ए०पी०एम०सी० के साथ साथ निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उपप्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और प्रत्यक्ष विपणन के अनुज्ञप्तिधारियों को एक स्तर का व्यापार क्षेत्र उपलब्ध कराना और यदि विकास और विनियामक कार्य दोनों एक ही प्राधिकरण में केंद्रित हैं, तो हितों के टकराव को, जो बाद में ए०पी०एम०सी० द्वारा किए जाने की संभावना है, को दूर करना ।

भारतीय गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारं: **1**

(1) इसे “झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022 कहा जाएगा ।

(2) इसका विस्तार पूरे राज्य में होगा ।

(3) यह राज्य सरकार के द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से, निर्धारित तिथि पर लागू होगा ।

परिभाषा 2 इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ असंगत न हो

- (1) “प्रशासन” का अर्थ है झारखण्ड प्रदेश के तहत प्रशासन;
- (2) “तदर्थ क्रेता” के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 79 के तहत पंजीकृत होने वाले क्रेता शामिल हैं;
- (3) “कृषि उपज” के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि, बागवानी, धुमकखी पालन, निजी भूमि पर लगाए पेड़ों को छोड़कर वन के सभी उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे प्रसंस्कृत हों या न हों,
- (4) “कृषक” का आशय एक व्यक्ति से है जो स्वयं या किराए के श्रमिक द्वारा या अन्य प्रकार से रैयत सहित कृषि उपज के उत्पादन सहित पशुपालन में लगा हुआ है ।

“कृषक” के अंतर्गत किसानों के संघ, जो चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हों और जो कि दस्यकिसानों की उपज के एकत्रीकरण पशुधन सहित में संलग्न होते हैं; भी शामिल हैं ।

(स्पष्टीकरण: यदि कोई प्रश्न उठता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, ऐसा व्यक्ति चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो जो कृषि उपज के उत्पादन और/या पशुपालन में लगा हुआ है, जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिला के भू-राजस्व के प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम

होगा। इसके अलावा, भूमि धारक और रैयत की अभिव्यक्तियों का आषय उन्हें झारखण्ड राज्यों के संबंधित भूमि सुधार अधिनियम में प्रदत्त अर्थ होगा।)

(5) “असेयिंग लैब” का आशय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता के मापदंडों का परीक्षण करने के लिए व्यवसायिक मापदंडों या ग्रेड-मानकों या किसी अन्य मापदंडों, निर्धारित नियमों/उप-विधियों/दिशा निर्देशों/निर्देशों के अनुसार एक प्रयोगशाला की स्थापना से है ।

(6) “बोर्ड” का आशय राज्य सरकार द्वारा स्थापित कृषि विपणन बोर्ड से है;

(7) “क्रेता” का आशय एक व्यक्ति से है, जो बाजार में स्वयं या किसी व्यक्ति या एजेंट की ओर से पशुधन सहित कृषि उपज खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है;

(8) “उपविधि” का आशय, इस अधिनियम के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण (आंे) या अन्य उप-बाजार प्रांगण (ओं) के संबंध में इसके प्रबंधन के तहत, व्यापार के नियमन और इसके अंतर्गत व्यापार की शर्तों के लिए उपविधि बना सकती है; से है ।

(9) “शीत भंडार” का आशय, इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगणघोषित किये गये शीत भंडार से है;

(10) “कमीशन एजेंट” का आशय उस व्यक्ति से है जो अपने मूलधन पर पशुधन सहित कृषि उपज खरीदता या बेचता है, या ई-प्लेटफॉर्म या लेनदेन और सहायक गतिविधियों के अन्य तरीकों पर प्राथमिक और लेनदेन के अन्य स्तरों पर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, इसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और इसकी बिक्री या खरीद की प्रक्रिया के दौरान इसे नियंत्रित करता है, और यदि आवश्यक हो, तो खरीदार से भुगतान लेता है और विक्रेता को भुगतान करता है, और ऐसे लेनदेन में शामिल राशि पर कमीशन या प्रतिशत के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त करता है ;

(11) “समाहर्त्ता” का आशय जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी से है;

(12) “बाजार क्षेत्र का परिसीमन” का आशय, धारा 5 के तहत बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र और वहां विपणन संबंधी विकास का कार्य करने से है;

(13) "निदेशक" का आशय, झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों या नियमों के तहत कृषि विपणन निदेशक के शक्तियों या कार्यों का प्रयोग और/या संपादन, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित है करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त कृषि विपणन निदेशक या किसी अन्य अधिकारी, झारखंड राज्य सरकार के कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक को छोड़कर, से है;

(14) कृषि उपज के संबंध में "प्रत्यक्ष विपणन" का आशय, इस अधिनियम की धारा 13 के तहत, प्रोसेसर, निर्यातकों, थोक खरीदारों आदि द्वारा मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के बाहर किसानों से कृषि उपज की प्रत्यक्ष थोक खरीद से है;

(15) "इलेक्ट्रॉनिक व्यापार" का आशय, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर की जाने वाली पंजीकरण, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध, संवाद, सूचना का आदान-प्रदान, रिकॉर्ड रखना और अन्य जुड़ी गतिविधियाँ से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार किया जाता है;

(16) "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" का आशय झारखंड राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा धारा 54 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संचार के किसी भी माध्यम से पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिसमें पंजीकरण, खरीद और बिक्री, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध और मोलभाव, कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट या किसी अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है, से है;

(17) "निर्यात" का आशय भारत के बाहर पशुधन सहित कृषि उपज के भेजने से है;

(18) "किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण" का आशय इस अधिनियम की धारा 11 के तहत स्थापित बाजार प्रांगण से है;

(19) "किसान-उत्पादक कंपनी (एफ०पी०सी०)" का आशय भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (IXA) में परिभाषित किसान-उत्पादक सदस्यों की एक कंपनी से है, जो किसी भी संशोधन के साथ, फिर से लागू करने और कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ निगमित है;

- (20) "सरकार" का आशय झारखंड राज्य सरकार से है;
- (21) "सरकार/प्रशासन एजेंसी" का आशय इस अधिनियम के तहत स्थापित या गठित झारखंड राज्य कृषि विपणन विभाग/निदेशालय, झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जे०एस०ए०एम०बी०), कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति (ए०पी०एल०एम०सी०) से है;
- (22) "अनुज्ञप्ति" का आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिया गया अनुज्ञप्ति से है;
- (23) "अनुज्ञप्तिधारी" का आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति से है;
- (24) "पशुधन" का आशय अनुसूची में विनिर्दिष्ट गाय, भैंस, बैल, सांढ़, बकरी और भेड़, और इसमें मुर्गी, मछली और इस तरह के अन्य जानवर और उत्पाद से हैं;
- (25) "प्रबंध निदेशक" का आशय झारखंड राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य के कृषि विपणन के प्रबंध निदेशक या मुख्य प्रशासक या प्रशासक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव, या इसे जिस नाम से भी जाना जाता हो, की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और/या संपादन करने के लिए, नियुक्त राज्य के कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, कृषि विपणन निदेशक को छोड़कर, से है;
- (26) "बाजार समिति" का आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या मौजूदा विनियमन के तहत स्थापित कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति से है;
- (27) कृषि उपज के संबंध में "विपणन" का आशय उन गतिविधियों से है जो कृषि उपज के कटाई से लेकर उत्पादन और अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचने तक के चरण यथा ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण के चैनल और प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी कार्यों से हैं;
- (28) "बाजार उप-प्रांगण" का आशय गोदाम/कोष्ठागार/शीत भंडार या ऐसी अन्य संरचना या स्थान से है जोधारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगण घोषित है या बाजार उप-प्रांगण घोषित किया जाना है;
- (29) परिसीमित बाजार क्षेत्र के संबंध में "बाजार प्रांगण" का आशय ऐसे परिसीमित बाजार क्षेत्र में सरकार / प्रशासन द्वारा अधिसूचित,

और कृषि उत्पादन और पशुधन बाजार समिति द्वारा प्रबंधित और संचालित प्रधान बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण से है;

(30) “राष्ट्रीय महत्व का बाजार प्रांगण” का आशय इस अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिसूचित बाजार प्रांगण से है;

(31) “राष्ट्रीय कृषि बाजार (एन०ए०एम०)” का आशय एक एकीकृत बाजार से है, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के उस समय के लिए लागू किसी भी कानून के, जहां पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की खरीद और बिक्री और संबंधित गतिविधियां भारत में किसी भी समय और स्थान पर विपणन उपयोगिता का उपयोग करके की जाती है;

(32) “अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन” का आशय अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद और पशुधन से है;

(33) एक व्यापारी के संबंध में “ओवर ट्रेडिंग” का आशय, किसी भी समय

खरीदी गई पशुधन सहित कृषि उपज के मूल्य से अधिक राशि के साथ साथउसके द्वारा बाजार समिति में जमा की गई सुरक्षा राशि या प्रस्तुत बैंक गारंटी की राशि से अधिक से है ।

(34) “व्यक्ति” में व्यक्ति, एक सहकारी समिति, हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी या फर्म या एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या न हो;

(35) कृषि उपज के संबंध में “छोटा व्यापारी” का आशय इस अधिनियम के तहत एक गैर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी से है जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट और झारखंड राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में विनिर्दिष्ट अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में कृषि उपज की खुदरा में खरीद या बिक्री नहीं कर सकता है;

(36) “निर्धारित” का आशय इस अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों और/या उपविधि से है;

(37) “निजी बाजार प्रांगण” का आशय इस अधिनियम की धारा 10 के तहत स्थापित बाजार प्रांगण से है;

(38) “प्रसंस्करण इकाई” का आशय इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगण घोषित प्रसंस्करण इकाई से है;

(39) कृषि उपज के संबंध में “प्रोसेसर” का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी अधिसूचित कृषि उपज का प्रसंस्करण अपने हिसाब

से या किसी शुल्क के भुगतान पर करता है

(40) "पंजीकरण" का आशय अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पंजीकरण से है;

(41) "विनियमन" का आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 98 के तहत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियमन से है;

(42) एक अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में "खुदरा बिक्री" का आशय, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट और झारखंड राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मात्रा से अधिक नहीं होने वाली बिक्री से है;

(43) "चक्रीय विपणन विकास कोष" का आशय इस अधिनियम की धारा 112 (1) के तहत निदेशक द्वारा अनुरक्षित गैर-व्ययगत निधि से है;

(44) "नियम" का आशय झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम से है;

(45) "विक्रेता" से आशय उस व्यक्ति से है जो मान्य मूल्य पर कृषि उपज पशुधन सहित बेचता है या बेचने के लिए सहमत है;

(46) "अनुसूची" का आशय इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची से है;

(47) "कोष्टागार" का आशय इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बाजार उप-प्रांगण के रूप में घोषित कोष्टागार से है;

(48) "विशिष्ट वस्तु बाजार प्रांगण" का आशय इस अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित बाजार प्रांगण है;

(49) "व्यापारी" का आशय एक व्यक्ति जो स्वयं या एक या अधिक व्यक्तियों के एजेंट के रूप में बिक्री, प्रसंस्करण, विनिर्माण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, घरेलू खपत के उद्देश्य को छोड़कर जैसा भी मामला हो, अधिसूचित कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है खरीदता है; (50) "वर्ष" का आशय, झारखंड राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वर्ष से है;

(51) "वेयरहाउस" का आशय, इस अधिनियम की धारा 12 के तहत घोषित बाजार उप-प्रांगण से है ।

अध्याय II

बाजार की स्थापना

विनिर्दिष्ट कृषि उपज और 3

(1) सरकार/प्रशासन, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, झारखंड राज्य में, जैसा की अधिसूचना में निर्धारित है, इस तरह के

पशुधन विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना

कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकता है। अधिसूचना को व्यापक रूप से परिचालित प्लेटफार्मों/मीडिया यथा समाचार पत्रों, वेबसाइटों और इस तरह के अन्य प्रारूपों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रकाशित करके इच्छुक जनता की जानकारी में लाया जा सकता है:

परन्तु कि नगरपालिका बोर्ड या नगरपालिका परिषद के परामर्श को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, नगरपालिका की सीमा के भीतर कोई भी क्षेत्र इस अधिनियम के तहत विनियमन के लिए शामिल नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना यह बताएगा कि कोई भी आपत्ति या सुझाव जो वैसी अवधि जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो तीस दिनों से कम न हो, के भीतर झारखंड सरकार प्राप्त करेगी, जिसपर झारखंड सरकार विचार करेगी।

(3) झारखंड सरकार, स्थानीय निकायों के साथ पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आई०) के द्वारा धारित एवं संचालित कृषि क्षेत्र और पशुधन के विपणन के लिए ग्रामीण आवधिक बाजारों या हाटों या अन्य ऐसे बाजारों में जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस अधिनियम के विनियमन के तहत ऐसे बाजारों को लाने के लिए, ताकि इन बाजारों को खेतों के निकट कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले विपणन मंच के रूप में विकसित करने के लिए, परामर्श आयोजित कर सकते हैं।

संपूर्ण झारखंड राज्य को एक एकीकृत बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित करना

4

धारा 3 के तहत की गई अधिसूचना के अधीन और ऐसी आपत्तियों और सुझावों जो किसी भी स्रोत से ऐसी अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त हो सकते हैं, पर विचार करने के बाद, झारखंड सरकार, एक अन्य अधिसूचना द्वारा, पूरे राज्य को इस अधिनियम के धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रकार की कृषि उपज और पशुधन के विपणन के उद्देश्य से एक एकीकृत बाजार क्षेत्र घोषित कर सकती हैं, जैसा कि धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

व्याख्या: अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन के नियमन के लिए संपूर्ण झारखंड राज्य के लिए एक घोषित बाजार क्षेत्र होगा।

परिसीमित बाजार क्षेत्र की अधिसूचना

5

धारा 3 और 4 में किए गए प्रावधान के अधीन, झारखंड सरकार परवर्ती अधिसूचना के द्वारा, एक बाजार समिति के लिए एक भौगोलिक बाजार क्षेत्र के रूप में, ऐसे बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से एक परिसीमित बाजार क्षेत्र के रूप में और उसमें विनियमन एवं विपणन विकास संबंधी गतिविधियाँ कर सकता है।

व्याख्या: बाजार समिति अपने परिसीमित बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित नहीं करेगी। बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण (ओं) और बाजार उप-प्रांगण (ओं) के भीतर अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का विपणन नियमन को लागू करेगी।

परिसीमित बाजार क्षेत्र एवं कृषि उपज और पशुधन के वस्तुओं का परिवर्तन/समामेलन

6

(1) धारा 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन, झारखंड सरकार किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को किसी भी परिसीमित बाजार क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं या इसमें एक अतिरिक्त क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, या एक परिसीमित बाजार क्षेत्र का दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं या दो या अधिक ऐसे क्षेत्रों को एक परिसीमित बाजार क्षेत्र में समामेलित कर सकते हैं, या किसी अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को विनियमन से बाहर कर सकते हैं, या किसी भी कृषि उपज और पशुधन, जो इसके लिए विनियमित नहीं हैं को, इस अधिनियम के तहत विनियमन हेतु शामिल कर सकते हैं।

(2) परिसीमित बाजार क्षेत्र या कृषि उपज और पशुधन की वस्तुओं के परिवर्तन, यदि कोई हो तो, के बाद, धारा 6 के तहत, निदेशक के लिए इस धारा के तहत कोई भी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उसे किसी भी क्षेत्र को किसी भी बाजार समिति के बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता हो।

प्रमुख बाजार प्रांगण, उप बाजार प्रांगण, बाजार उप प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप-प्रांगण, किसान- उपभोक्ता बाजार प्रांगण, निजी किसान उपभोक्ता बाजार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

7

(1) झारखंड राज्य में निम्न हो सकते हैं-

क) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित प्रमुख बाजार प्रांगण;

ख) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित उप बाजार प्रांगण;

ग) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित बाजार उप-प्रांगण;

घ) धारा 10 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार प्रांगण;

ड.) धारा 12 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार उप-प्रांगण;

च) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण;

छ) निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, एक व्यक्ति जो धारा 11 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त है द्वारा प्रबंधित किया जाता है;

ज) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।

(2) झारखंड सरकार धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, एक अधिसूचना द्वारा, इस

अधिनियम के तहत, अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित, विपणन के नियमन के उद्देश्य से, परिसीमित बाजार क्षेत्र में किसी भी 'स्थान' को बाजार समिति द्वारा प्रबंधित, जैसा भी मामला हो, प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण या किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषित करेगा।

व्याख्या: इस उप धारा (2) में, व्यक्त 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो परिसीमित बाजार क्षेत्र के बाजार समिति में निहित हैं।

(3) झारखंड सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित, विपणन के लिए, धारा 73 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त एक जगह को, जैसा कि मामला हो सकता है, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप प्रांगण, निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषणा कर सकता है।

व्याख्या: इस उप धारा (3) में, व्यक्त 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो इस अधिनियम के उद्देश्य के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति के लिए निहित हैं।

“विशेष वस्तु बाजार प्रांगण” की स्थापना और अधिसूचना

8

(1) झारखंड सरकार धारा 7 (2) के तहत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार प्रांगण को “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण” के रूप में नामित कर सकता है या किसी भी बाजार प्रांगण को “विशेष कृषि उपज और पशुधन एवं विशेष आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं के पहलुओं पर विचार करने के बाद “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण” के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकता है। जो निम्न हो सकते हैं-

- i) फल, सब्जियाँ और फूलों के बाजार, जिसमें प्याज बाजार, सेब बाजार, नारंगी बाजार और ऐसे अन्य बाजार शामिल हैं;
- ii) कपास बाजार;
- iii) औषधीय और सुगंधित पौधों का बाजार;
- iv) पशुधन बाजार जिसमें ऊंट बाजार, मछली बाजार, पोल्ट्री बाजार और अन्य ऐसे बाजार शामिल हैं; अथवा
- v) इस प्रकार के अन्य बाजार।

(2) बाजार समिति के लिए और इसके संबंध में बनाए गए सभी प्रावधान और अधिनियम यथोचित परिवर्तनों सहित "विशेष वस्तु बाजार प्रांगण" के लिए स्थापित बाजार समिति के लिए लागू होंगे।

“राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण (एम०एन०आई०)” की स्थापना और अधिसूचना

9

झारखंड सरकार धारा 7 (2) के तहत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार प्रांगण को “राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण” के रूप में नामित और अधिसूचित कर सकता है या किसी भी बाजार प्रांगण को मूल्य, उर्ध्वप्रवाह ग्रहण क्षेत्र, अनुप्रवाही सेवा प्रदान किए गए उपभोक्ताओं की संख्या और इसके लिए आवश्यक विशेष आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं के पहलुओं पर विचार करने के बाद “राष्ट्रीय महत्व बाजार प्रांगण” के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकता है।

परन्तुक कि बाजार प्रांगण को, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे वार्षिक टन भार या इस तरह के वार्षिक मूल्य से कम नहीं रखा जाए, जैसा कि “राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण” के स्तर पर दिये जाने के लिए विचार किया जा सकता है।

परन्तुक कि इस तरह के वार्षिक टन भार या ऐसे वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत का आगत कम से कम दो अन्य राज्यों से हो।

निजी बाजार प्रांगण की स्थापना

10

(1) ऐसी उचित शर्तों और इस तरह निर्धारित किये जा सकने वाले शुल्कके अधीन, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के व्यापार के लिए एक व्यक्ति को एक निजी बाजार प्रांगण स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है।

(2) निजी बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, या इसकी प्रबंधन समिति, जिस भी नाम से बुलाया जाता हो, वह अनुज्ञप्ति प्राप्त निजी बाजार प्रांगण में काम करने के लिए कमीशन एजेंटों और अन्य बाजार अधिकारियों को पंजीकृत कर सकता है।

(3) निजी बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, या इसकी प्रबंधन समिति, निजी बाजार प्रांगण में संपादित अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के क्रय-विक्रय पर उपयोग शुल्क, वसूल कर सकती है।

परन्तुक कि कृषक-विक्रेता से कोई उपयोग शुल्क नहीं लिया जाएगा। परन्तुक कि झारखंड सरकार जनहित में, समय समय पर, अधिसूचना द्वारा उपयोग शुल्क की दर की उच्चतम सीमा निर्धारित करेगी।

(4) निजी बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीयविपणन विकास कोष" में ऐसे उपयोगशुल्क संग्रह और पंजीकरण शुल्क जो प्रतिशत दर में बाजार समिति के समतुल्य हो, योगदान करेगा।

(5) निदेशक उप-धारा (4) के तहत कोष की राशि को सार्वजनिक विपणन आधारभूत संरचना, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और बंधक वित्तपोषण और इस तरह की अन्य गतिविधियों जो झारखंड राज्य में एक कुशल विपणन प्रणाली के विकास में सहायक हो, के लिए व्यय करेंगे।

(6) निजी बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी निजी बाजार प्रांगण में व्यावसायिक और गतिविधियों के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेंगे।

किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना (किसान द्वारा उपभोक्ता को खुदरा में कृषि उपज की सीधी बिक्री) **11**

(1) ऐसे नियमों और शर्तों एवं शुल्क के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, खुदरा में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन के लिए किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दे सकता है।

(2) ऐसे किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना किसी व्यक्ति द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए सुलभ जगह पर जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आधारभूत संरचना विकसित करके की जा सकती है: परन्तु कि उपभोक्ता इस बाजार में एक समय में जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, इतनी मात्रा से अधिक कृषि उत्पाद की खरीद नहीं करेगा।

(3) किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से कृषि उपज की बिक्री पर उपयोग शुल्क संग्रह कर सकता है और इस प्रकार प्राप्त की गई राशि किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी जाएगी:

परन्तु कि झारखंड सरकार द्वारा, सार्वजनिक हित में, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, उपयोग शुल्क के संग्रह की दर की उपरी सीमा निर्धारित किया जाएगा।

गोदाम/कोष्ठागार/शीत भंडार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान का बाजार उप-प्रांगण के रूप में घोषणा करना **12**

(1) इस अधिनियम में दिए गए अनुसार, झारखंड सरकार, अधिसूचना के द्वारा गोदाम/कोष्ठागार/शीत भंडार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान, जिसे आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं के साथ निर्धारित किया गया है, उसे बाजार उप-प्रांगण के रूप में कार्य करने के लिए घोषित कर सकता है।

व्याख्या: इस उप-धारा के तहत व्यक्त 'जगह' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह, इलाके, पैक हाउस/सफाई ग्रेडिंग और प्रसंस्करण इकाई आदि शामिल हैं।

(2) उप-धारा (1) के तहत बाजार उप-प्रांगण के रूप में ऐसी जगह की घोषणा के इच्छुक ऐसे गोदाम/शीत भंडार, या अन्य ऐसी संरचना या जगह, जैसा कि मामला हो, के मालिक, इस तरह के रूप में और इसी भांति और इस तरह के शुल्क में; और ऐसी अवधि के लिए लेकिन तीन वर्ष से कम नहीं, जैसा कि निर्धारित किया जाय, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(3) गोदाम/कोष्ठागार/शीत भंडार या अन्य ऐसी संरचना या स्थान के अनुज्ञप्तिधारी, धारा 12 के तहत घोषित बाजार उप-प्रांगण में लेनदेन किए गए अधिसूचित कृषि उपज पर यथा मूल्य उपयोग शुल्क वसूल सकता है:

परन्तु कि कृषक-विक्रेता से कोई उपयोग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

परन्तु कि झारखंड सरकार द्वारा, सार्वजनिक हित में, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह की दर की उपरी सीमा निर्धारित किया जाएगा।

(4) घोषित बाजार उप-प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन विकास कोष" में बाजार समिति के समतुल्य दर से ऐसे उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह का योगदान देगा। कोष का उपयोग इस अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत उद्देश्यों के लिए और यथोचित परिवर्तनों सहित किया जाएगा।

प्रत्यक्ष विपणन (बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण के बाहर किसानों से थोक प्रत्यक्ष खरीद) **13**

(1) अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और बनाए गए नियमों के तहत किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादन क्षेत्रों की निकटता में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, संग्रह/एकत्रीकरण केंद्र, आधारभूत संरचना के साथ, खुदरा श्रृंखला के संयोजन में स्थापित किए जा सकते हैं।

I. किसी व्यक्ति द्वारा खुदरा सम्बद्धता के साथ थोक में खरीद,

II. कृषक सहकारिता समिति द्वारा खुदरा सम्बद्धता के साथ थोक में खरीद,

III. कृषक उत्पादक संगठन द्वारा थोक में खरीद, और

IV. प्रसंस्करक/निर्यातक द्वारा उनके इकाई/परिसर में थोक में खरीद।

(2) उप-धारा (1) के तहत होने के बावजूद, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे स्थान की घोषणा करने के बाद प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण के बाहर भी प्रत्यक्ष थोक खरीद किया जा सकता है।

(3) प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी को दैनिक व्यापार लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड और सभी खातों को संधारित करना होगा और मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण

को निर्धारित किया गया है ।

(4) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है; और इस तरह के थोक खरीद के कामकाज और वहाँ आकस्मिक गतिविधियों का निरीक्षण और इससे संबंधित निर्देश जारी कर सकते हैं ।

(5) प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी, थोक खरीद पर लागू बाजार शुल्क का पचीस प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह के अनुज्ञप्तिधारी अगले महीने के 7 वें दिन तक निदेशक द्वारा संधारित “चक्रीय विपणन विकास कोष” में देय राशि जमा करेंगे। इस अधिनियम की धारा 10 (5) के उद्देश्यों के लिए यथोचित परिवर्तन सहित कोष का उपयोग किया जाएगा ।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और तत्संबंधी जारी किए गए नियंत्रण आदेश या उस समय लागू कोई अन्य कानून के बावजूद, स्टॉक सीमा का प्रावधान ऐसे प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी पर लागू नहीं होगा जो प्रसंस्करण/निर्यात की उसकी वार्षिक क्षमता की सीमा तक प्रसंस्करण के लिए कृषि उपज खरीद रहा है। हालाँकि, इस अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में परवर्ती प्रभावी होगी ।

अध्याय III

बाजार समिति का गठन

बाजार समिति की स्थापना 14 और इसका निगमन

(1) प्रत्येक परिसीमित बाजार क्षेत्र के लिए, एक बाजार समिति होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे।

(2) इस अधिनियम के तहत स्थापित प्रत्येक बाजार समिति एक निकाय होगा जिसे झारखंड सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट नाम से निगमित कर सकती है। इसका शास्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और यह इसके निगमित नाम से मुकदमा दायर कर सकता है और इस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है और, इस अधिनियम के द्वारा या इसके तहत अनुबंध, अधिग्रहण, अधिकार में रखने, पट्टे, बेचने या अन्यथा किसी भी संपत्ति अचल और चल-अचल दोनों को हस्तांतरित करने और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक अन्य सभी चीजें करना जिसके लिए यह स्थापित किया गया है के लिए सक्षम हो सकने, इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है ।

बशर्ते कि कोई अचल या चल-अचल संपत्ति जिसका मूल्य निर्धारित

सीमा से अधिक हो, उसे निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना बाजार समिति द्वारा अधिग्रहित या निपटाया नहीं जाएगा ।

बशर्ते कि निदेशक, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, जैसा कि मामला हो सकता है इस तरह के मामले के अधिग्रहण या निष्पादन के पूरा होने से पहले ऐसी अनुमति को रद्द कर सकते हैं ।

बशर्ते कि बाजार समिति निदेशक की पूर्व स्वीकृति के साथ और निर्धारित अधिकारी से मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, किसी भी भूमि या भवन के मालिक के साथ समझौता कर सकता है और ऐसी भूमि या भवन की खरीद कर सकता है ।

(3) किसी समय लागू अधिनियम में निहित किसी भी मामले/विषय के बावजूद, प्रत्येक बाजार समिति सभी उद्देश्यों के लिए, एक स्थानीय प्राधिकार माना जाएगा ।

(4) बाजार समिति को, निर्धारित दिशा निर्देशों के अधीन, निदेशक द्वारा, अन्य विचारों जैसा कि निदेशक उचित समझते हों, पर विचार करते हुए, कर्मचारी स्थापना व्यय और इसके लिए आवश्यक अन्य व्यय और भत्ते के लिए मानदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से वर्गीकृत किया जाएगा ।

बाजार समिति में स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति का निहित करना **15**

(1) स्थानीय प्राधिकार से संबंधित परिसीमित बाजार क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी भूमि या भवन से संबंधित स्थान स्थानीय प्राधिकार के द्वारा बाजार समिति को हस्तांतरण की आवश्यकता हो सकती है जो कि बाजार प्रांगण के स्थापना से तुरंत पहले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बाजार के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा था और स्थानीय प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता की प्राप्ति के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, भूमि और/या भवन का हस्तांतरण करें बाजार समिति ऐसी शर्तों पर सहमत हो सकती है ।

(2) जहां उप-धारा (1) के तहत स्थानीय प्राधिकरण से अधिवाचन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकरण और बाजार समिति के बीच उक्त उप-धारा के तहत कोई समझौता नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए बाजार समिति द्वारा आवश्यक भूमि या भवन बाजार समिति में निहित होगी और उप-धारा(5) के तहत स्थानीय प्राधिकरण को समाहर्ता द्वारा निर्धारित इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा ।

परन्तुक स्थानीय प्राधिकरण को इस तरह के स्थानीय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिनियमन में निहित प्रावधान के आधार पर इसमें, इस तरह के निहितार्थ के लिए बिना किसी राशि के भुगतान के, निहित किया गया किसी भूमि या भवन के संबंध में, कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

परन्तुक कि कोई पक्ष समाहर्त्ता के आदेश से असंतुष्ट हो, तो तीस दिनों के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध झारखण्ड सरकार से अपील कर सकते हैं।

(3) स्थानीय प्राधिकरण उप-धारा(2) के तहत इस तरह के निहितार्थ सात दिनों की अवधि के भीतरबाजार समिति में निहित करते हुए भूमि या भवनकब्जा देगा और उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की विफलता पर समाहर्त्ता भूमि या भवन पर दखल लेते हुए इसे बाजार समिति को हस्तांतरित कर देगा।

(4) समाहर्त्ता निम्न से संबंधित भूमि या भवन के मुआवजे की राशि तय करेगा -

(i) साल-दर-साल दिया जाने वाला भवन का अनुमानित वार्षिक किराया,

(ii) भवन की स्थिति;

(iii) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए किया गया मुआवजे की राशि का भुगतान, और

(iv) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि पर तैयार की गई भवन या किसी भी निष्पादित कार्य के वर्तमान लागत मूल्य।

(5) उप-धारा (4) के तहत तय किया गया मुआवजा, का भुगतान बाजार समिति के विकल्प पर, एकमुश्त या उचितसंख्या में समान किस्तों में ब्याज के साथ जैसा कि समाहर्त्ता द्वारा तय कर सकते हैं, किया जा सकता है।

बाजार समिति और बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण 16

(1) जब परिसीमित बाजार क्षेत्र के भीतर अवस्थित कोई भी भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, और बोर्ड या बाजार समिति इसे समझौता के जरिए हासिल करने में असमर्थ है, झारखंडसरकार, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या बाजार समिति द्वारा उस अधिनियम के तहत प्रदान की गई लागू मुआवजे और अधिग्रहण के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु व्यय किए गए किसी भी अन्य शुल्कों के भुगतान पर, बोर्ड या बाजार समिति के अनुरोध पर, ऐसी भूमि का अधिग्रहण "उचित मुआवजे

का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन पारदर्शिता अधिनियम, 2013 या और या कोई अन्य प्रासंगिक कानून जैसा कि वर्तमान तारीख तक संशोधन किया गया हो के प्रावधान के तहत कर सकता है,, भूमि बोर्ड या बाजार समिति में निहित होगी, जैसा कि मामला हो सकता है:

परन्तुक कि बाजार समिति द्वारा एक बार कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो इसे झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले ऐसे कारणों को छोड़कर इसे वापस नहीं लिया जाएगा ।

(2) बोर्ड या बाजार समिति, झारखंड सरकार के पूर्वानुमति के बिना, उप-धारा (1) के तहत बोर्ड या बाजार समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई किसी भी जमीन को हस्तांतरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि को उस उद्देश्य जिसके लिए उसे अधिग्रहित किया गया है से अलग किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

परन्तुक कि मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण या बोर्ड के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिसर नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल नहीं माना जाएगा ।

प्रथम बाजार समिति का गठन

17

(1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद परिसीमित बाजार क्षेत्र के लिए प्रथम बार प्रथम बाजार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य झारखंड सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। प्रथम गठित बाजार समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य, पंद्रह से कम नहीं हो सकते हैं, जिसमें दस कृषक सदस्य शामिल हो सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। अन्य पांच सदस्य हो सकते हैं-

(i) झारखण्ड सरकार के कृषि/बागवानी एवं सहकारिता विभाग से तीन सदस्य;

(ii) सहकारी विपणन सोसाइटी से एक; तथा

(iii) स्थानीय प्राधिकरण (महानगरपालिका) से एक, नगरपालिका, पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो) ।

परन्तुक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किसान सदस्यों के बीच से नामित किया जाएगा। झारखंड सरकार कृषक सदस्यों के नामांकन में सरकार की आरक्षण नीति का पालन कर सकता है ।

परन्तुक कि झारखंड सरकार पहली बार गठित की गई बाजार समिति के सदस्यों को नामित करने के बजाय, यदि यह आवश्यक

समझते हों, प्रशासक या प्रशासक मंडल की नियुक्ति कर सकता है; जिसे सभी उद्देश्यों के लिए इस प्रकार से नियुक्त, पहली बार गठित समिति माना जाएगा ।

(2) झारखंड सरकार या निदेशक, एक आदेश से, एक व्यक्ति को पहली बाजार समिति का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा ।

परन्तु कि प्रभारी अधिकारी की मृत्यु, इस्तीफा, छुट्टी या निलंबन की स्थिति में, ऐसे कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा और इस तरह की रिक्ति को यथाशीघ्र, झारखंड सरकार या निदेशक द्वारा नियुक्ति के द्वारा भरा जाएगा, और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक निदेशक द्वारा प्रतिनियुक्त/नामित व्यक्ति प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। प्रथम बाजार समिति के साथ ही प्रभारी अधिकारी सेवाएं संक्षिप्त होंगी ।

(3) उप-धारा (1) के तहत गठित पहली बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य उस समय के लिए पद धारण करेंगे जो समिति के गठन की अधिसूचना के दिन से एक वर्ष से अधिक न हो:

परन्तु कि यदि उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले नई बाजार समिति का गठन किया जाता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य नवगठित बाजार समिति की पहली आम बैठक के लिए नियुक्त तिथि पर कार्य करना बंद कर देंगे ।

झारखंड सरकार या निदेशक, पूर्ववर्ती अवधि की समाप्ति से पहले ही, कदाचार के सिद्ध होने पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। इस तरह की घटना में, एक आकस्मिक रिक्ति को माना जाएगा और इस तरह की रिक्ति को यथाशीघ्र, जैसा कि मामला हो सकता है झारखंड सरकार या निदेशक द्वारा एक व्यक्ति के नामांकन के द्वारा, भरा जाएगा ।

द्वितीय एवं परवर्ती बाजार समिति का गठन 18

1) जैसा कि धारा 17 में दिया गया है, गठन की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए गठित एक बाजार समिति में निम्न शामिल होंगे-

(क) धारा 23 के तहत नामित अध्यक्ष एवं चुने गए एक उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, एक परिसीमित बाजार क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से

प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये इस तरह की योग्यता रखने वाले कृषकों के दस प्रतिनिधि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

परन्तुक कि कोई भी कृषक बाजार समिति के कृषकों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं हो सकता है, जब तक कि उसने अपनी कृषि उपज को पूर्ववर्ती वर्ष में कम से कम एक बार, या पांच वर्षों में पांच बार, बाजार समिति के लिए परिसीमित बाजार क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण में बेचा हो।

(ग) ऐसे परिसीमित बाजार क्षेत्र के निवासी व्यापारियों के प्रतिनिधि, इस तरह की योग्यता रखने वाले, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे परिसीमित बाजार क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों में से चुने गए हों:

परन्तुक कि कोई भी व्यापारी एक समय में एक से अधिक बाजार समिति का मतदाता न हो।

परन्तुक कि वह इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत निर्वाचित होने के लिए अन्यथा अयोग्य नहीं है।

(घ) बाजार समिति द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त कमीशन एजेंट का एक प्रतिनिधि, ऐसी योग्यता रखता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जो अनुज्ञप्ति धारक कमीशन एजेंटों में से चुने गए हों, परन्तुक कि कोई भी कमीशन एजेंट एक समय में एक से अधिक बाजार समिति का मतदाता न हो।

परन्तुक कि वह इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत निर्वाचित होने के लिए अन्यथा अयोग्य नहीं है।

(ड.) भारोत्तोलकों, मजदूर और अन्य बाजार के अधिकारियों का एक प्रतिनिधि, ऐसी योग्यता रखता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, अनुज्ञप्ति धारक भारोत्तोलकों, मजदूर और अन्य बाजार अधिकारियों में से चुने गए हों।

परन्तुक कि कोई भी भारोत्तोलकों, मजदूर और अन्य बाजार के अधिकारी एक समय में एक से अधिक बाजार समिति के मतदाता नहीं होंगे।

परन्तुक कि वह इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत निर्वाचित होने के लिए अन्यथा अयोग्य नहीं है।

(2) प्रत्येक बाजार समिति में समिति के निम्नांकित अन्य सदस्य होंगे-

(क) परिसीमित बाजार क्षेत्र में कार्य करने वाले सहकारी विपणन

सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो इस तरह के सोसाइटी के प्रबंधन समिति द्वारा चुना जाएगा:

परन्तु कि यदि ऐसे एक से अधिक सोसाइटी परिसीमित बाजार क्षेत्र में कार्य करता है, तो ऐसे सदस्य का चुनाव ऐसे सोसाइटी की प्रबंध समितियों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा ।

परन्तु कि इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा यदि राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी भी सोसाइटी की प्रबंध समिति को अधिक्रमित करती हों ।

(ख) झारखंड सरकार के कृषि/बागवानी विभाग के एक अधिकारी को कृषि/बागवानी निदेशक द्वारा नामित किया जाना है;

(ग) परिसीमित बाजार क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत या जिला परिषद का एक प्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत हो परन्तु कि जिला मुख्यालय पर स्थित बाजार समिति में, प्रतिनिधि को जिला पंचायत के सदस्यों में से ही नामित किया जाएगा ।

(3) केवल उपधारा (1) के तहत सदस्यों को मतदान करने का अधिकार होगा ।

(4) झारखंड सरकार मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव का संचालन करने का नियम बना सकता है ।

(5) सदस्य का हर चुनाव और नामांकन आधिकारिक गजट में समाहर्ता/निदेशक द्वारा अधिसूचित होगा ।

(6) कोई भी व्यक्ति दो से अधिक कार्यकाल के लिए बाजार समिति का सदस्य नहीं हो सकता है ।

**निर्वाचन क्षेत्रों और सीट के
आरक्षण के लिए परिसीमित
बाजार क्षेत्र का विभाजन**

19

(1) समाहर्ता, अधिसूचना द्वारा या अन्यथा, एक परिसीमित बाजार क्षेत्र को कृषक के प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर निर्वाचित बाजार क्षेत्र को, लेकिन दस से कम नहीं, में विभाजित करेंगे।

(2) किसान सदस्यों के लिए एक बाजार समिति के लिए सीधे चुनाव के मामले में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सरकार की नीति के अनुसार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है ।

**मतदान करने की योग्यता और
कृषक प्रतिनिधि होना**

20

(1) हर व्यक्ति-

(क) जो झारखंड राज्य से संबंधित भूमि सुधार अधिनियम; भूमि रिकॉर्ड के अनुसार जिसका नाम गांव में भूमि के मालिक या पट्टेदार

के रूप में दर्ज किया गया है।

(ख) जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और

(ग) इस अधिनियम और बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत जिसका नाम तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है, कृषकों के प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य होगा:

परन्तु कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के योग्य नहीं होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कृषकों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि-

(क) उनका नाम मतदाताओं की सूची में शामिल है, जो कि परिचालित बाजार क्षेत्र के कृषक के रूप में हैं;

(ख) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत वह अन्यथा निर्वाचित होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(3) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बाजार समिति या निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा जैसा कि मामला हो सकता है।

चुनाव का प्रावधान

21 इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अधीन उपाध्यक्ष, बाजार समिति के सदस्य निर्धारित तरीके से चुने जाएंगे। मतदाताओं की सूचियों की तैयारी और रखरखाव और उनकी अर्हता और अयोग्यता, जमा राशि के भुगतान और उनके जब्ती, सीटों के आरक्षण और वहां से जुड़े सभी मामलों के लिए भी इस तरह के नियम प्रभावी होंगे।

चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

22 (1) निदेशक के निर्देशों के अधीन, बाजार समिति के सभी चुनावों के लिए मतदाताओं की सूचियों की तैयारी, निर्देशन और नियंत्रण, जिला समाहर्ता में निहित होंगे।

(2) झारखंड सरकार जिला समाहर्ता को प्रदत्त कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए ऐसे कर्मचारी और निधि उपलब्ध कराएगा जो इस अधिनियम के तहत आवश्यक हो सकते हैं।

(3) उपाध्यक्ष और बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के संबंध में सभी खर्च राज्य के समेकित निधि से मिलेंगे।

(4) उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, झारखंड सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग या इसके लिए प्राधिकृत किसी भी अन्य निकाय बाजार समिति चुनाव से जुड़े सभी

मामलों के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, जिसमें चुनाव गतिविधियों की तालिका को रद्द करने या मतदान स्थगित करने के निर्देश भी शामिल हैं।

अध्यक्ष का मनोनयन और 23(1) उपाध्यक्ष का चुनाव

अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा, जो कोई भी व्यक्ति या जन प्रतिनिधि होगा।

(1(क)) प्रत्येक व्यक्ति, जब तक कि इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित नहीं हो जाता, जब तक कि बाजार समिति के उपाध्यक्ष के रूप में एवंधारा 20 के धारा 18 के तहत कमीशन एजेंट और अन्य बाजार अधिकारी, व्यापारियों, के तहत किसानों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होने के लिए योग्य होंगे।

परन्तु कि कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह धारा 20 के तहत चुने जाने के योग्य न हो।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण सरकार की नीति के अनुसार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए एक साथ चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) यदि कोई परिसीमित बाजार क्षेत्र के अध्यक्ष का मनोनयन/या उपाध्यक्ष का चुनाव कराने में विफल रहता है, तो छह महीने के भीतर कार्यालय को भरने के लिए नए सिरे से चुनावी कार्यवाही शुरू की जाएगी:

परन्तु कि इस उप-धाराके तहतअध्यक्ष के मनोनयन के लंबित रहने तक चुने गए उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा।

इस उप-धाराके तहत अध्यक्ष का मनोनयन और उपाध्यक्ष का चुनाव लंबित होने पर, निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों 24 के पद की शर्तें

(1) सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या बाजार समिति की निरंतरता तक या राज्य सरकार की इच्छा पर्यंत जो भी पहले हो, तक होगा।

(1(क)) उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य, इस अधिनियम के तहत पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या बाजार समिति की निरंतरता तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेंगे।

(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधान के बावजूद, एक व्यक्ति जो सहकारी समिति, कृषि / बागवानी विभाग और ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में बाजार समिति का नामित सदस्य है, जैसा भी मामला हो, सोसाइटी के प्रबंध समिति या संबंधित ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल समाप्त होने पर, बाजार समिति का उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा या अन्यथा, या जब तक विभाग द्वारा संबंधित सदस्य के रूप पुनः नाम निदेशित नहीं किया जाता है।

**अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों
के पद का कार्यकाल** **25**

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक बाजार समिति के निर्वाचित सदस्यों के पद का कार्यकाल बाजार समिति के निवर्तमान पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति के तुरंत बाद या पहली बैठक की तारीख पर शुरू होगा।

(2) जब आम चुनाव के बाद या किसी भी समय बाजार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए कृषकों के आधे से अन्यून प्रतिनिधि और बाजार समिति के कुल सदस्यों में से आधे से अन्यून सदस्य उपलब्ध हैं इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, बाजार समिति विधिवत रूप से गठित या विधिवत रूप से कार्यशील माना जाएगा, और ऐसी बाजार समिति शक्तियों का उपयोग करने और बाजार समिति के कार्यों को करने के लिए सक्षम होगी।

सदस्यों का इस्तीफा **26**

बाजार समिति के पदेन सदस्य को छोड़कर, एक सदस्य बाजार समिति के अध्यक्ष को लिखित रूप में अपनी सदस्यता से इस्तीफा सौंप सकता है या भेज सकता है जिसे अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा, ऐसे सदस्य की जगह इस्तीफे की तारीख से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर रिक्त हो जाएगी, जब तक कि ऐसी अवधि के भीतर वह सदस्य अध्यक्ष को संबोधित कर लिखित में अपना इस्तीफा वापस नहीं लेता है।

**अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा
इस्तीफा और उनके कार्यालय
पदों की रिक्ति** **27**

(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा क्रमशः मंत्री, कृषि विपणन प्रभारी और अध्यक्ष को लिखित रूप में दे सकते हैं; और इस तरह के इस्तीफे की तारीख से स्पष्ट पंद्रह दिनों की समाप्ति पर पद रिक्त हो जाएगा, जब तक कि पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के भीतर वे मंत्री, कृषि विपणन प्रभारी या अध्यक्ष को लिखित रूप से इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं, जैसा कि

मामला हो ।

(2) अध्यक्ष के पद से इस्तीफे, मृत्यु निष्कासन या अन्यथा की वजह से रिक्ति के दौरान, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे जब तक कि अध्यक्ष का विधिवत मनोनयन नहीं हो जाता है, और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो इस अधिनियम में निहित कुछ के बावजूद, निदेशक कृषि विपणन के प्रभारी मंत्री के पूर्व अनुमोदन के साथ, एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो अध्यक्ष के विधिवत मनोनयन होने तक की उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा। उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा, मृत्यु निष्कासन या अन्यथा के कारण होने वाली रिक्ति के दौरान, अध्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपाध्यक्ष के कार्यों का निष्पादन तब तक करेंगे जब तक उपाध्यक्ष का विधिवत निर्वाचन नहीं हो जाता ।

**अध्यक्ष को हटाने और
उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास
प्रस्ताव** **28**

(1) सरकार किसी भी समय अपने विवेक से मनोनीत अध्यक्ष को पद से हटा सकती है ।

(1 (क)) उप-धारा (2) के तहत इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और यदि प्रस्ताव समिति के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई से अनून्त्य हो, के बहुमत से पारित हो जाता है, जैसा भी मामला हो, उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे ।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर बाजार समिति की एक बैठक निर्धारित तरीके से आयोजित की जाएगी। बाजार समिति का कोई पदेन सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के नोटिस जारी नहीं कर सकता है ।

बाजार समिति के पदेन सदस्य को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की बैठक की अध्यक्षता/एक अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे निदेशक, मंत्री, कृषि विपणन के प्रभारी से परामर्श से नियुक्त कर सकते हैं। हालाँकि, उपाध्यक्ष को बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और अन्यथा बोलने का अधिकार होगा ।

(4) यदि अविश्वास प्रस्ताव को पूर्वोक्त रूप से नहीं लाया जाता है या यदि कोरम के लिए बैठक का आयोजित नहीं की जा सकती है, तो उसी उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का कोई

नोटिस ऐसी निर्धारित बैठक की तारीख से छह महीने समाप्त होने के बाद तक नहीं जारी किया जा सकेगा।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के विरुद्ध अवकाश और बिना अवकाश के अनुपस्थिति के परिणाम **29**

(1) इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, प्रत्येक अध्यक्ष और प्रत्येक उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, जो समिति की तीन लगातार बैठकों से, कृषि विपणन के प्रभारी मंत्री से छुट्टी लिए बिना, खुद को अनुपस्थित रखता है, इस तरह की तीसरी बैठक के दिन और तारीख से अध्यक्ष नहीं रहेगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष की छुट्टी के बिना समिति की लगातार तीन बैठकों से खुद को अनुपस्थित करता है, इस तरह की तीसरी बैठक के दिन और तारीख से उपाध्यक्ष नहीं रहेगा।

(3) बाजार समिति की लगातार छह बैठकों के लिए उप-धारा (1) या (2) के तहत छुट्टी नहीं दी जाएगी। जब भी इस तरह की छुट्टी, अत्याधिक आवश्यकताओं, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दी जाती है, तो बाजार समिति ऐसे पात्र सदस्यों का चुनाव करेगी, जो बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को प्रभार सौंपने से इंकार **30**

(1) अध्यक्ष का मनोनयन या उपाध्यक्ष के चुनाव होने पर, जैसा भी मामला हो, निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद का प्रभार कार्यालय में उत्तराधिकारी को सौंपेंगे।

(2) यदि निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उप-धारा (1) के तहत अपने कार्यालय का प्रभार सौंपने में विफल रहता है या मना करता है, तो इस संबंध में निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी मंत्री, कृषि विपणन के प्रभारी के पूर्व स्वीकृति से निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को अपने कार्यालय के प्रभार के साथ-साथ सभी रिकॉर्ड, कोष और बाजार समिति की संपत्ति, यदि कोई उनके कब्जे में हों तो, को लिखित आदेश से हस्तांतरित करने का निदेश दे सकता है।

(3) यदि निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिन्हें उप-धारा (2) के तहत कोई निर्देश जारी किया गया है, तो ऐसे निर्देश का अनुपालन नहीं करता है, निदेशक या इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के पास वैसी ही शक्तियां होंगी जैसे कि एक सिविल कोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक आज्ञापत्र निष्पादित करते समय निहित होती हैं।

कुछ शर्तों के तहत बाजार समिति के रिकॉर्ड और संपत्ति को कब्जे में लेना **31**

(1) जहां निदेशक/प्रबंध निदेशक संतुष्ट हैं कि बाजार समिति की खातों और रिकॉर्डों को दबाए जाने, छेड़छाड़ करने या नष्ट होने की संभावना है, या किसी बाजार समिति के कोष और संपत्ति के

गबन-दुर्विनियोग की संभावना है, निदेशक/प्रबंध निदेशक बाजार समिति के रिकॉर्ड और संपत्ति को जब्त करने और कब्जा करने का आदेश दे सकता है ।

(2) उप-धारा (1) के तहत आदेश प्राप्त होने पर, पुलिस अधिकारी, जो स्थानीय क्षेत्र के उप-निरीक्षक के रैंक से नीचे नहीं हों, किसी भी स्थान जहाँ रिकॉर्ड या संपत्ति रखी जाएगी या रखे जाने की संभावना है, में प्रवेश करेगा और और उन्हें जब्त करने और तत्संबंधी निदेशक/प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप सकता है, जैसा भी मामला हो ।

एम0एन0आई0 की बाजार 32 समिति की स्थापना और संघटन

(1) जैसा कि धारा 14 (1) में दिया गया है, झारखंड सरकार अधिसूचना द्वारा, झारखंड राज्य में स्थित ऐसे बाजार प्रांगण जिसे “राष्ट्रीय महत्व” का बाजार प्रांगण माना जाता है के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अलग बाजार समिति का गठन कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम में बनाए गए बाजार समिति के लिए और इससे संबंधित सभी प्रावधान, जिसमें मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव शामिल हैं, के यथोचित परिवर्तनों सहित, “राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण” के लिए गठित बाजार समिति पर लागू होगी ।

(3) धारा 18 के तहत उपलब्ध कराए गए, राष्ट्रीय महत्व के बाजारप्रांगण की बाजार समिति में शामिल होंगे -

(i) अध्यक्ष.....1

(ii) उपाध्यक्ष..... 1

(iii) कृषक 10

दो अन्य राज्यों जहां से एम0एन0आई0 में आगमन प्राप्त कर रहे हैं से एक-एकसहित 2 कृषक (जहां एम0एन0आई0 स्थित है वहां के सरकार से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाने के लिए प्राप्त ऐसे नामांकन के अनुरोधों की प्राप्ति पर नामांकित किए जाने पर) ।

(iv) एम०एन०आई० के ऐसे परिसीमित बाजार क्षेत्र के निवासी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों में से चुने गए, एकल एकीकृत लाइसेंस रखने वाला व्यापारी, जो एक परिसीमित बाजार क्षेत्र का निवासी हो, जैसा कि निर्धारित हो इस तरह की योग्यता रखता हो 1

(v) झारखंड सरकार द्वारा नामित अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है 1

(vi) सदस्य के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त कमीशन एजेंट का एक प्रतिनिधि, जैसा निर्धारित किया जा सकता है 1

(vii) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उनके नामांकित

व्यक्ति जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हों.....1

(viii) क्षेत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/नगर आयुक्त या उनके नामांकित व्यक्ति..... 1

(ix) मुख्य नगर नियोजक या ऐसे प्राधिकार जिनके पास ऐसी शक्तियां हों या उनके नामांकित व्यक्ति..... 1

(x) निदेशक या उनके नामिती (पदेन), जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हों 1

(xi) प्रबंध निदेशक, राज्य कृषि विपणन पर्षद (पदेन) या उनके नामांकित व्यक्ति जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हों.....1

(xii) कार्यकारी सदस्य (जिसे झारखंड सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है, जो एम०एन०आई० की बाजार समिति के सचिव या सी०ई०ओ० के रूप में कार्य करेंगे)..... 1

एम०एन०आई० की बाजार समिति के सचिव की नियुक्ति और कार्य 33

बाजार समिति के सी०ई०ओ० के रूप में कार्य करने वाले सचिव को झारखंड सरकार द्वारा 10 साल के अनुभव वाले झारखंड राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों या इस प्रकार से संधारित पेशवरों के पैनल या कृषि विपणन में दस वर्ष के अनुभव वाले केंद्र/राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त में से नियुक्त किया जाएगा ।

एम०एन०आई० की कार्यकारी समिति 34

1) कार्यकारी समिति में शामिल होंगे.....

(i) एम०एन०आई०के अध्यक्ष..... 1

(ii) एम०एन०आई०का एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति रखने वाला व्यापारी ...1

(iii) निदेशक या उनके नामिती (पदेन), जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं.....1

(iv) एम०डी०, एस०ए०एम०बी० या उनके नामिती, जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं 1

(v) एम०एन०आई०की बाजार समिति का कार्यकारी सदस्य जो कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव के रूप में होगा 1

(2) आपातकाल के मामले में, कार्यकारी समिति बाजार समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मुद्दों को तय कर सकती है। हालाँकि, इस तरह के निर्णय, बाजार समिति द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जाने के पैंतालीस दिनों के भीतर अनुमोदित कर दिए जाएँगे। ऐसा करने में विफलता या बाजार समिति द्वारा इस तरह के निर्णयों की अस्वीकृति की स्थिति में, ऐसा निर्णय अशक्त और शून्य हो जाएगा, हालाँकि, इस तरह के किसी भी अस्वीकृति इस निर्णय के तहत किए गए कुछ की वैधता के पक्षपात के बिना होगा: परन्तु कि बाजार समिति इस तरह के निर्णय में कोई भी संशोधन करती है, इस तरह के संशोधन की तारीख से निर्णय केवल इस तरह के प्रभाव में होगा ।

(3) कार्यकारी समिति जैसा आवश्यक हो बैठक करेंगे, परन्तु कैलेंडर

एम०एन०आई० की कार्यकारी समिति के सदस्यों के पद की अवधि	35	माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करेंगे। कार्यकारिणी समिति के सदस्य झारखंड सरकार के इच्छानुसार कार्यालय संभालेंगे।
इस अधिनियम के अन्य प्रावधान राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण पर भी लागू होंगे	36	इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान, जो "राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण" के लिए विनिर्दिष्ट नहीं हैं, इस अधिनियम की धारा-9 के तहत स्थापित और अधिसूचित किए गए एम०एन०आई० पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय IV

कार्य का संचालन और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और बाजार समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य

अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य	37	(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बाजार समिति के अध्यक्ष बाजार समिति के मुख्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे। (2) अध्यक्ष - (क) बाजार समिति और उप समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों का संचालन करेगा; (ख) वित्तीय, विकासात्मक और कार्यकारी प्रशासन पर नजर रखेगा; (ग) आपातकाल के मामले में, किसी भी कार्य को रोकने या किसी भी कार्य को करने का निर्देश देना, जिसे बाजार समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य	38	बाजार समिति का उपाध्यक्ष निम्न कार्य करेंगे (क) इस अधिनियम या नियमों में दिए गए अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बाजार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे; (ख) अध्यक्ष के चुनाव लंबित रहने या अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष के शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का पालन करेंगे।
बाजार समिति की बैठक आदि	39	एक बाजार समिति प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख और समय में अपने कार्यवाही के संचालन के लिए बैठक कर सकते हैं: परन्तु कि बाजार समिति विशेष परिस्थितियों में, निर्धारित बाजार क्षेत्र, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बैठक कर सकती है।
बैठक में कोरम और प्रक्रिया	40	बाजार समिति की बैठक में कार्यवाही के संचालन के लिए बाजार समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई का कोरम होगा।

बैठक हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।

बाजार समिति के अधिकार और कर्तव्य 41

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बाजार समिति के निम्न कर्तव्य होंगे-

(i) इस अधिनियम के प्रावधानों, नियम और उपविधियों को प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के तहत लागू करना ।

(ii) निदेशक/प्रबंध निदेशक या झारखंड सरकार से समय-समय पर यथा निदेशित पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करना ।

(iii) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के संबंध में या पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को सुगम करने के लिए, और उपरोक्त से जुड़े उद्देश्यों के लिए, और इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए या इसके तहत प्रदान किए जा सकने वाले शक्तियों का उपयोग करना ।

(iv) मूल्य निर्धारण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाने और प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में होने वाले लेन-देन करने के लिए अन्य सभी कार्य करना।

(2) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता के पूर्वाग्रह बिना, बाजार समिति-

(i) मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण का परिसीमन बाजार क्षेत्र के भीतर बनाए रखेगी और प्रबंधित करेगी;

(ii) परिसीमित बाजार क्षेत्र में प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के भीतर पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना;

(iii) व्यापारियों को छोड़कर, बाजार के प्रतिभागी, को अनुज्ञप्ति देना/नवीनीकृत करना या ऐसा करने से इनकार करना;

(iv) व्यापारियों को छोड़कर, बाजार प्रतिभागियों, को दिए गए/नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द करना, और बाजार के प्रतिभागियों के गतिविधियों की पर्यवेक्षण करना और अनुज्ञप्ति की शर्तों को लागू करना;

(v) इस अधिनियम के तहत बनेनियमों और बाजार समिति के उपविधियों के तहत लागू प्रावधान और प्रक्रिया के अनुसार पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की ई-नीलामी सहित नीलामी को विनियमित या पर्यवेक्षण करना;

(vi) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के बिक्री, तौल, वितरण, भुगतान और संबंधित अन्य सभी मामलों के सहमति तैयार करने, प्रभावी करना और लागू करना या निरस्तीकरण को निर्धारित तरीके से विनियमित करना;

(vii) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन और इससे संबंधित सहायक गतिविधियों से जुड़े विक्रेता और खरीदार के बीच, ऑनलाइन सहित, किसी भी तरह के लेन-देनपर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निपटारा करना;

(viii) परिसीमित बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, कीमतों और आवाजाही के संबंध में विस्तार गतिविधियां, यथा, सूचनाओं का संग्रह, रख-रखाव, और सूचना के प्रसार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना;

(ix) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के नीचे खरीद और बिक्री की रोकथाम के लिए उपाय करना;

(x) दर, प्रभार, शुल्क और अन्य रकम जिसके लिए बाजार समिति हकदार हैं अधिरोपित करना, लेना, वसूलना और प्राप्त करना;

(xi) इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उपविधियों के कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों का नियोजन करना;

(xii) इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना और ऐसे अपराधों को कम करना;

(xiii) कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से भूमि अर्जन करना और किसी भी चल या अचल संपत्ति का निष्पादन करना;

(xiv) इस अधिनियम के नियमों या उपविधियों या इस अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों या निर्देशों या इस हेतु प्राधिकृत बाजार समिति, उसके अध्यक्ष या किसी अधिकारी द्वारा जारी नियमों या उपविधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाना;

(xv) किसी भी मुकदमे, अभियोजन, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन दायर या बचाव करना या ऐसे मुकदमे, कार्यवाही, आवेदन पर मध्यस्थता या समझौता करना;

(xvi) बाजार समिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते, ग्रेज्युटी, अवकाश भत्ता के लिए योगदान, भविष्य निधि निर्धारण से संबंधित मुद्दों को विहित प्रक्रिया के तहत संचालित करना

(xvii) धारा-82 के तहत बाजार समिति कोष को निर्धारित तरीके से खाते का प्रबंधन एवं संधारण करना;

(xviii) विनियमन के लाभों, लेन-देन की प्रणाली, प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण आदि में दी जा रही सुविधाओं के बारे में माध्यमों जैसे पोस्टर, पर्चे, होर्डिंग्स, सिनेमा स्लाइड, फिल्म शो, समूह की बैठकों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि, या किसी अन्य माध्यम से जो अधिक प्रभावी या आवश्यक माना जाता है, से प्रचार

करना ।

(xix) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण या ई-प्लेटफॉर्म पर हुए लेनदेन के संबंध में विक्रेता को उसी दिन या अगर प्रक्रियात्मक रूप से बहुत आवश्यक हो अधिकतम अगले दिन तक भुगतान सुनिश्चित करना। उपरोक्त के अनुसार भुगतान में चूक होने पर धारा 65 (2) के प्रावधान लागू होंगे। इस उपधारा में दिए गए अनुसार, ई-व्यापार के मामले में विक्रेता को भुगतान की प्रक्रिया धारा 59 (2) के अनुसार यथोचित परिवर्तन सहित प्रभावी होगी।

(3) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, बाजार समिति-

(i) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की मिलावट, यदि कोई हो तो, को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाना;

(ii) कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक निजी भागीदारी को स्थापित करना और बढ़ावा देना;

(iii) उपयुक्त डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों या उनके समूहों को उपभोक्ताओं से जोड़ने को बढ़ावा देना;

(iv) बाजार समिति में निहित प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश, यातायात को विनियमित करना;

(v) बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण में उपयोग किए जाने वाले तराजू, तौल और उपकरण और साथ ही जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, वाले तरीके से बाजार प्रतिभागी द्वारा संधारित लेखा खातों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और सत्यापन करना;

(vi) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप- बाजार प्रांगण, और बाजार उप-प्रांगण में खरीदे या बेचे जाने वाले पशुओं, गोधन, पक्षियों आदि के संबंध में पशु चिकित्सक से फिटनेस (स्वास्थ्य) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करना;

(vii) भारोत्तोलकों और हम्माल (लोडर) के संबंध में शुल्क वसूल करना और भारोत्तोलकों और हम्माल (लोडर/अनलोडर) को उक्त राशि को वितरित करना यदि खरीदार/विक्रेता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है;

(viii) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, कीमतों और परिवहन के संबंध में जानकारी एकत्र और संधारित करना और निदेशक/प्रबंध निदेशक/झारखंड सरकार द्वारा निर्देशित ऐसी जानकारी का प्रसार करना;

(ix) व्यापारियों द्वारा कृषि उपज की जमाखोरी और बाजार के प्रतिभागी द्वारा कृषक-विक्रेताओं के हितों को प्रभावित करने वाले कोई उत्पादक संघ बनाने से रोके जा सकने के लिए यथोचित कदम उठाना ।

(4) निदेशक / प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ, बाजार

समिति निम्न कार्य कर सकती है -

(i) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण और परिसीमित बाजार क्षेत्र में पशुधन सहित कृषि उपज के विपणन की सुविधा के लिए आंतरिक / संपर्क सड़कों, गोदामों और अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण और इस प्रयोजन हेतु बोर्ड, या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या उपक्रम या निदेशक / प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के लिए अनुदान या अग्रिम निधि प्रदान करना;

(ii) बिक्री हेतु उर्वरक, कीटनाशक, उन्नत बीज, कृषि उपकरण, इनपुट के स्टॉक का संधारण और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना;

(iii) कृषकों को कृषि उपज के संग्रहण के लिए किराए पर भंडारण की सुविधा प्रदान करना ।

(5) ई-व्यापार को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, बाजार समिति नियामक प्रणाली की स्थापना, आधारभूत संरचना का निर्माण और वहां आवश्यक अन्य गतिविधियों और कदम उठा सकती है ।

(6) बाजार समिति तृतीय पक्ष परीक्षण/जांच प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है या स्थापित करने की अनुमति दे सकती है, और, वहाँ, निर्धारण के अनुसार परीक्षण, ग्रेडिंग और गतिविधियों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक समिति गठित कर सकती है ।

उप-समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन 42

ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, बाजार समिति अपने एक या एक से अधिक उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है, जिसमें समिति के ऐसे सदस्य हों, जिन्हें यह अपने किसी भी कर्तव्य या कार्य, जो कार्य देने के लिए उपयुक्त समझते हैं, को निष्पादन के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं ।

ऋण लेने की शक्ति 43

(1) बाजार समिति निदेशक/प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ, बैंकों, वित्तीय संस्थानों से धन जुटा सकती है या उस उद्देश्य जिसके लिए यह स्थापित हुआ है इसमें निहित किसी भी संपत्ति की सुरक्षा पर और इस अधिनियम के तहत लगाए जा सकने वाले किसी भी शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक डिबेंचर जारी कर सकती है ।

(2) बाजार की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि, भवन, कर्मचारियों और उपकरणों पर प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से बाजार समिति, झारखंड सरकार या झारखंड राज्य के कृषि विपणन बोर्ड या अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर सकती है ।

(3) उप-धारा (2) के तहत जिन शर्तों के अधीन धन या ऋण दिया जाएगा, उन्हें प्राप्त किया जाएगा या और जिस समय के भीतर अदायगी किया जाएगा झारखंड सरकार या निदेशक या प्रबंध

निदेशक के पूर्ववर्ती अनुमोदन के अधीन होगा।

अपराधों का समाधान

44

(1) बाज़ार समिति किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के (धारा 64 के उल्लंघन के अलावा) या इसके तहत बने नियमों या उपविधिके विरुद्ध, कोई अपराध किया हो या उस पर इस तरह के अपराध किए जाने का यथोचित संदेह हो, ऐसे अपराधों के शमन करके निम्नांकित को स्वीकार कर सकती है

(क) जहां अपराध के अंतर्गत भुगतान करने में विफलता या किसी शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क की चोरी, या इस अधिनियम या नियमों या उपविधि के तहत वसूली योग्य अन्य राशि या इस प्रकार वसूली योग्य राशि जो शुल्क की राशि से कम न हों, या अन्य राशि जो शुल्क राशि की पांच गुना से ज्यादा नहीं हो और अन्य राशि अधिकतम दस हजार रुपये तक।

(ख) अन्य मामलों में धनराशि जो दस हजार रुपये से अधिक नहीं हों।

(2) उप-धारा (1) के तहत किसी भी अपराध की शमन पर, इस तरह के अपराध के संबंध में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी रहेगी, अगर उस अपराध के संबंध में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही पहले से ही उसके खिलाफ शुरू की गई है, जो उसके बरी होने तक प्रभाव में होगा।

गैर अदायगी शुल्क आदि को बड़े खाते में डालने की शक्ति

45

बाज़ार समिति कोई शुल्क/उपयोग शुल्क या इसके अलावा देय कोई भी राशि, चाहे वह किसी अनुबंध के तहत या अन्य प्रकार से हो, या इसके अतिरिक्त देय कोई राशि यदि उसकी राय में ऐसा शुल्क/उपयोग शुल्क या एक राशि को बड़े खाते में डाल सकता है: परन्तु कि कोई शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क या राशि को, यदि शुल्क या राशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक हो, तो बाज़ार समिति इस तरह के किसी भी उपयोगकर्ता शुल्क को बड़े खाते में डालने से पहले प्रबंध निदेशक की मंजूरी प्राप्त करेगी।

बाजार प्रांगण पर अतिक्रमण हटाने की शक्ति

46

इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त बाजार समिति का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्य बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण में एक स्थान में किसी भी अतिक्रमण को हटाने की शक्ति रखेगा और इस कार्य में हुए किसी भी व्यय का भुगतान अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की वसूली के अनुरूप होगी।

वजन उपकरणों का उपयोग, माप-तौल और उनका निरीक्षण

47

(1) राज्य का माप और तौल अधिनियम और उनके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित केवल इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण जो ऐसे वजन और माप की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, का उपयोग जैसा कि आवश्यक हो प्रमुख बाजार प्रांगण, उप बाजार

प्रांगण और बाजार-उप प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण और किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण में पशुधन सहित कृषि उपज को तौलने या मापने के लिए किया जाएगा।

परन्तु कि पशुधन सहित कृषि उपज की बिक्री और खरीद के लेन-देन में, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणका प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत समिति द्वारा रखे गए उपकरणों, वजन और माप का किसी भी समय निदेशक, या प्रबंध निदेशक या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण, परीक्षण और जाँच की जा सकती है।

अनुबंध करने की विधि

48

(1) एक बाज़ार समिति द्वारा खरीद, बिक्री, पट्टे, बंधक या अन्य हस्तांतरण, या अचल संपत्ति में ब्याज के अधिग्रहण हेतु किए जाने वाले प्रत्येक अनुबंध या समझौते को, लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है बाज़ार समिति की मंजूरी के साथ जिसे बाज़ार समिति की ओर से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में दिए गए अनुबंध के अलावा कोई भी अनुबंध मान्य और बाजार समिति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

बाजार समिति आदि का कार्यवाई को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए

49

बाज़ार समिति या इसकी कोई उप-समिति या कोई भी व्यक्ति जो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के रूप में कार्य कर रहा हो को केवल इस तरह के बाजार समिति, उप-समिति, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सचिव के गठन या नियुक्ति में किसी दोष के कारण, या इस आधार पर कि वे या उनमें से कोई भी ऐसे कार्यालय के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, या समिति की बैठक आयोजित करने के इरादे की औपचारिक सूचना या उप-समिति को विधिवत नहीं दिया गया था, या समिति या उप-समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव या सदस्य के कार्यालय में रिक्ति के दौरान ऐसे किसी कारण या ऐसी किसी अनौपचारिकता जो मामले के गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, अवैध नहीं माना जाएगा।

अध्याय V

बाजार समिति के कर्मी

बाजार समिति के सचिव**50**

प्रत्येक बाजार समिति में एक सचिव होगा, जो परिसीमित बाजार क्षेत्र के बाजार समिति का मुख्य कार्यकारी होगा, जो प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगणको प्रशासित करेगा और उसके सभी रिकॉर्ड और संपत्तियों का संरक्षक होगा:

परन्तुक सचिव कृषि/बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र/विपणन/कृषि व्यवसाय में स्नातक होना चाहिए और भर्ती के बाद किए गए न्यूनतम तीन महीने के सेवा प्रशिक्षण या इस तरह के प्रशिक्षण से युक्त होना चाहिये ।

परन्तुक निदेशक/प्रबंध निदेशक, बाजार समिति के सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए, पेशवरों के एक पैनल को रख सकते हैं, जिसमें खुले बाजार से पेशवर शामिल हों, जैसा कि नियमों में निर्धारित किया गया हो। निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास झारखंड सरकार बोर्ड की सेवाओं से और प्रतिनियुक्ति पर भी सचिव नियुक्त करने की शक्तियां होंगी और इस तरह की नियुक्तियां बाजार समिति के लिए बाध्यकारी होंगी ।

सचिव की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य**51**

सचिव अधिनियम, नियमों या उपविधियों में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य और कर्तव्यों का पालन और प्रदर्शन करेंगे, जैसे

(i) बाजार समिति और उप-समितियों की बैठकों का आयोजन, यदि कोई हो तो, और इस हेतु कार्यवाही का संधारण ।

(ii) बाजार समिति और प्रत्येक उप-समिति की बैठकों और चर्चाओं में भाग लेना, लेकिन ऐसी किसी भी बैठक में कोई भी प्रस्ताव नहीं लाएंगे या वोट नहीं देंगे ।

(iii) समिति और उप-समितियों के प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए कार्रवाई करना, और समिति को इस तरह के संकल्प के जल्द से जल्द किए जाने वाले सभी कार्यों के बारे में रिपोर्ट करना ।

(iv) बजट प्रस्ताव तैयार करना ।

(v) बाजार समिति को समय-समय पर समिति के रिटर्न, स्टेटमेंट, अनुमान, आंकड़े और रिपोर्ट, जैसा आवश्यकता हो सकता है, निम्न से संबंधित रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करना-

(क) किसी भी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कर्मचारी, सदस्य एवं बाजारकार्यकारियों और अन्य के विरुद्ध दंड और जुर्माना लगाना;

(ख) किसी भी व्यापारी द्वारा अत्याधिक व्यापार किया जाना;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम, नियमों, उपविधियों के प्रावधानों के तहत स्थायी आदेश का उल्लंघन;

(घ) अध्यक्ष या निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करना; तथा

(ड०) बाजार समिति का प्रशासन और प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में विपणन का विनियमन ।

(vi) बाजार समिति के समक्ष, ऐसे दस्तावेज, पुस्तकें, रजिस्टर और इन जैसे जो कि समिति या उप-समिति के व्यवसाय के लेन-देन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और जब भी बाजार समिति द्वारा ऐसा करने का आह्वान किया जाता है, प्रस्तुत करना ।

(vii) बाजार समिति के सभी अधिकारियों और सेवकों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना ।

(viii) बाजार समिति द्वारा लगाये गये या बकाया देय शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य धनराशि संग्रह करना।

(ix) बाजार समिति की ओर से जमा या प्राप्त सभी पैसों के लिए जिम्मेदार होना ।

(x) बाजार समिति द्वारा विधिवत् देय सभी पैसों का संवितरण करना ।

(xi) बाजार समिति कोष या संपत्ति के धोखाधड़ी, गबन, चोरी या नुकसान के संबंध में अध्यक्ष और निदेशक / प्रबंध निदेशक को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना ।

(xii) बाजार समिति की ओर से शुरू किए गए अभियोजन के संबंध में शिकायतों को प्राथमिकता देना और बाजार समिति की ओर से कार्यवाही, सिविल या आपराधिक मामलों का संचालन करना ।

लेखापाल की नियुक्ति

52

निदेशक/प्रबंध निदेशक, नियम/उपविधियों में निर्दिष्ट योग्यता के साथ, एक लेखापाल की नियुक्ति कर सकता है, जो बाजार समिति के लेखा खातों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा और सचिव को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा और बाजार समिति या सचिव द्वारा उन्हें सौंपे गए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

बाजार समिति द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

53

(1) प्रत्येक बाजार समिति अपने कर्तव्यों, जो आवश्यक और उचित हो, के कुशल निर्वहन के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है:

परन्तुक निदेशक/प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के कोई भी पद सृजित नहीं की जाएगी ।

(2) इस अधिनियम/नियमों में प्रावधानों के अधीन उप-धारा (1) के तहत नियुक्त अधिकारियों और सेवकों की सेवा को विनियमित करने के लिए और उन्हें शक्तियाँ, कर्तव्यों और कार्यों के अधिकार

प्रदान करने के लिए, बाजार समिति नियुक्ति, वेतन, छुट्टी, छुट्टी भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि में अंशदान और सेवा की अन्य शर्तों के लिए उपविधियाँ बना सकती है।

(3) इस अधिनियम या उसमें बनाए गए किसी भी नियम या उपविधि के

तहत कुछ भी निहित होने के बावजूद, निदेशक/प्रबंध निदेशक उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, बाजार समिति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी, जो किसी अन्य बाजार समिति के राजस्व शाखा द्वारा निर्धारित अधिकतम वेतनमान लेता हो, की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण कर सकता है और निदेशक/प्रबंध निदेशक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे इस उपधारा के तहत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण का आदेश पारित करने से पहले बाजार समिति या संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से परामर्श करें।

(4) उप-धारा (3) के तहत स्थानांतरित संबंधित अधिकारी या कर्मचारी, -

(क) मूल बाजार समिति में धारित पद पर उसका ग्रहणाधिकार होगा;

(ख) वेतन और भत्ते, जो उन्हें मूल बाजार समिति में प्राप्त हो रहा था, जिसके वे हकदार हैं, के संबंध में उन्हें किसी भी स्थिति में हानिकर स्थिति में नहीं रखा जाएगा,

(ग) ऐसी दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ते का हकदार होंगे जैसा कि निदेशक/प्रबंध निदेशक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है; तथा

(घ) अनुशासनात्मक नियंत्रण सहित ऐसे अन्य नियमों और शर्तों द्वारा शासित किया जा सकेंगे, जिन्हें निदेशक/प्रबंध निदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

अध्याय VI

ई-व्यापार

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म की स्थापना / संवर्धन **54**

(1) कोई भी व्यक्ति इस धारा के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) में दिए गए अनुसार, हालांकि, झारखंड सरकार या इसकी एजेंसियां, पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार के लिए ई-व्यापार प्लेटफॉर्म स्थापित और चला सकती हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना / **55**

(1) धारा-54 (1) के तहत ई-व्यापार प्लेटफॉर्म स्थापित करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति ऐसे शुल्क और सुरक्षा / बैंक गारंटी के साथ इस तरह के रूप और तरीके से निदेशक या उनके द्वारा

नवीनीकरण

प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा और ऐसी शर्तों को पूरा करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए उप-धारा (1) के तहत प्राप्त आवेदन को अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है:

परन्तुक कि इस धारा के तहत प्राप्त आवेदन को धारा-73 के तहत निजी बाजार प्रांगण के लिए निर्धारित शर्तों के यथोचित परिवर्तनों सहित शर्तों पर अस्वीकार कर दिया जा सकेगा।

(3) किसी व्यक्ति या झारखंड सरकार या उसकी एजेंसियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रबंधित और संचालित ई-व्यापार प्लेटफॉर्म, ई-व्यापार से जुड़ी सभी आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(4) अनुज्ञप्तिधारी या उसकी प्रबंधन समिति, ई-व्यापार प्लेटफॉर्म पर पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री लेनदेन पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूल कर सकती है:

परन्तुक कि कृषक-विक्रेता से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाएगा।

परन्तुक कि सरकार/प्रशासन सार्वजनिक हित में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह की दर को उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकता है।

(5) ई-व्यापार प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्तिधारी, अलग से निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन विकास कोष" में ए0पी0एल0एम0सी0 के अनुसार दर प्रतिशत पर पर उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में योगदान देगा। कोष का उपयोग इस अधिनियम की धारा-10 (5) के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

गोदाम/ कोष्टागार / शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान का एकीकरण, जिसे ई-प्लेटफॉर्म के लिए बाजार उप-प्रांगण घोषित किया गया है

56

बाजार उप-प्रांगण के लिए धारा-73 (1) के तहत ई-प्लेटफॉर्म से लिंक करने हेतु इच्छुक अनुज्ञप्ति धारक, झारखंड सरकार, या इसकी एजेंसियों के माध्यम से, कृषि विभाग, भारत सरकार को विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है।

निजी बाजार का एकीकरण

57

निजी बाजार प्रांगण की अनुज्ञप्तिधारी, ई-ट्रेडिंग पोर्टल के साथ एकीकृत करने के इच्छुक, झारखंड सरकार या इसकी एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार को आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

ई-व्यापार प्लेटफॉर्म की आंतरिक संचालन क्षमता

58

एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार को विकसित करने और विभिन्न ई-प्लेटफार्मों को एकीकृत करने के लिए, निदेशक या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार ई-प्लेटफॉर्म में आवेदन

अंतर-संचालन योग्य होने चाहिए ।

**विक्रेताओं को भुगतान और
खातों का संधारन** 59

(1) इस अधिनियम में निहित प्रावधान के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कारोबार किए गए अधिसूचित कृषि उपज पशुधन सहित का भुगतान, विक्रेता को बिक्री लेनदेन के उसी दिन या अधिकतम अगले दिन किया जाएगा, यदि प्रक्रियात्मक रूप से ऐसा आवश्यक हो। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर, विक्रेता को भुगतान की प्रक्रिया नियम और उपविधि में निर्धारित किया जा सकता है ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी या ए०पी०एल०एम०सी०, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किए गए सभी लेन-देन के खातों को संधारित करेंगे। और इस तरह के प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी को समय-समय पर, ऐसे समय और रूप में, प्रतिवेदन जमा करेगा, जैसा कि समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है ।

**इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म
के अनुज्ञप्ति को निलंबन या
रद्द करना** 60

निदेशक, अधिनियम/नियमों/उपविधि, निर्देश, आदेशों के किसी प्रावधान के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए, धारा 55 के तहत प्रदत्त अनुज्ञप्ति को एक लिखित आदेश पारित करके निलंबित या रद्द कर सकता है

परन्तु कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

विवाद का निपटारा-
(i) धारा 55 (1) के तहत
अनुज्ञप्तिधारियों के बीच ; तथा
(ii) अनुज्ञप्तिधारियों और
ए०पी०एल०एम०सी० के बीच

61 ई-प्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्तिधारियों के बीच/या अनुज्ञप्तिधारियों और ए०पी०एल०एम०सी०/राज्य की एजेंसियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारीपक्षों को अपनी बात कहने का उचित अवसर देते हुए संक्षिप्त सुनवाई कर तीस दिनों के अंदर निपटारा करेंगे ।

**राज्यांतरिक लेन देन के संबंध
में विवाद का निपटारा** 62

ई-प्लेटफॉर्म पर राज्यांतरिक लेनदेन के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में निपटारा, अनुज्ञप्तिधारी या बाजार समिति की प्रबंधन समिति के स्तर पर, जैसा कि मामला हो सकता है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से, या सुलह और मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से, सात कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा; जबकि जल्द खराब होने वाले कृषि उपज के मामले में यह तीन कार्यदिवसों के भीतर होगा। प्रबंधन समिति या बाजार समिति, जैसा भी मामला हो, सकारण आदेश जारी करके मामले का निपटारा करेगी ।

**अंतर-राज्य व्यापार लेनदेन के
संबंध में विवाद का निपटारा** 63

ई-प्लेटफॉर्म या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अंतर-राज्य व्यापार लेनदेन से उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में, झारखंड सरकार ऐसे प्राधिकरण का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता ले सकता है,

जिसका गठन संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कानून या इसके लिए बनाए जाने वाले किसी कानून के तहत किया जाय ।

अध्याय VII

व्यापार का विनियमन

अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का क्रय विक्रय-लेनदेन 64

(1) पशुधन सहित सभी अधिसूचित कृषि उपजों को इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त या नहीं प्राप्त मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण या पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म पर आम तौर पर बेचा जाएगा, परन्तु कि पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज को इस अधिनियम के तहत विशेष रूप से नुमति प्राप्त लाइसेंस धारक को अन्य स्थानों पर भी बेचा जा सकता है ।

(2) कृषि उपज के संबंध में, उप-धारा (1) में उल्लेखित कुछ भी निम्नलिखित बिक्री और खरीद पर लागू नहीं होगा जहां,

(i) निर्माता द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियमों के तहत निर्धारित सीमा तक उसकी घरेलू खपत के लिए बिक्री की जाती हो;

(ii) सर पर ढोकर बिक्री हेतु लाया गया हो;

(iii) खरीद और बिक्री एक लघु व्यापारी द्वारा की जाती हो;

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के डीलर द्वारा भारतीय खाद्य निगम, "राज्य वस्तु व्यापार निगम" या केंद्र या झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी या संस्था से की गई खरीद; तथा

(v) अग्रिम प्राप्त करने के उद्देश्य से सहकारी समिति से ऐसी कृषि उपज का हस्तांतरण ।

(3) पशुधन के संबंध में, उप-धारा(1) में उल्लेखित कुछ भी पशुधन की खरीद या बिक्रीजैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, के मूल्यसे अधिक होने पर लागू नहीं होगा ।

(4) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज, जिसे मुख्य बाजार प्रांगण, उप- बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगणमें बिक्री के लिए लाया जाता है,का मूल्य निविदा बोली या खुली नीलामी द्वारा निपटाया जाएगा, जिसमें ई-नीलामी या कोई अन्य पारदर्शी नीलामी प्रणाली भी शामिल है और विक्रेता से किसी भी खाते पर सहमत मूल्य से कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

(5) खरीदे गए पशुधन सहित सभी अधिसूचित कृषि उपज का

खरीदने और बेचने की शर्तें और प्रक्रिया

65

वजन या माप या गणनाएँसे व्यक्ति और इस तरह के प्रणाली जैसा कि उपविधिमें प्रावधानित किया गया हो या बाजार समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अन्य स्थान में किया जाएगा ।

(1) दो व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति जो प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप प्रांगण में पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज खरीदता है, ऐसा रूप में जैसा कि विक्रेता के पक्ष में निर्धारित किया जा सकता है, तीन प्रतियों में एक समझौते को निष्पादित करेगा। समझौते की एक प्रति खरीदार द्वारा रखा जाएगा, एक प्रति विक्रेता को प्रेषित की जाएगी और शेष प्रति को बाजार समिति के रिकॉर्ड में रखा जाएगा ।

(2) (क) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण या ई-प्लेटफॉर्म पर विक्रय लेनदेन किए गए अधिसूचित कृषि उपज के मूल्यका भुगतान, उसी दिन या यदि प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक हो, तो अधिकतम अगले दिन विक्रेता को किया जाएगा। प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय किए गए अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का भुगतान उसी दिन कृषक-विक्रेता को वहीं किया जाएगा ।

(ख) यदि क्रेता अनुच्छेद (क) के तहत भुगतान नहीं करता है, तो वह कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो विक्रेता को पांच दिनों के भीतर देय होगा ।

(ग) यदि क्रेता अनुच्छेद (क) और (ख) के तहत विक्रेता को खरीद के दिन से पाँच दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान नहीं करता है, तो उसका अनुज्ञप्ति छठे दिन रद्द माना जाएगा। इस निरस्तीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उसे इस अधिनियम के तहत कोई अनुज्ञप्ति या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(3) कमीशन एजेंट लेनदेन किए गए गैर-नष्ट होने वाले कृषि उपज पर अपना स्वयं का/इसका कमीशन स्वयं के/इसके प्रमुख व्यापारी से यथामूल्य अधिकतम दो प्रतिशत की दर से वसूल करेगा; जबकि नष्ट होने वाले कृषि उपज के मामले में, यह हस्तांतरित उपज पर यथामूल्य 4 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगा, जिसमें उपज के भंडारण और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं सहित सभी व्यय शामिल होंगे/इसे प्रदान किया जाएगा:

परन्तुकि कृषक-विक्रेता से कोई कमीशन वसूलनहीं किया जाएगा ।

बाजार शुल्क की वसूली (बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी)

66

(1) बाजार समिति झारखंड राज्य के बाहर से या झारखंड राज्य के अंदर से मुख्य बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण में से ऐसे खरीदार द्वारा खरीदे गए पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में खरीदार से, जैसा अधिसूचित किया जा सकता है उस दर से परंतु जो गैर-नष्ट होने वाले कृषि उपज पर यथा मूल्य दो प्रतिशत की दर से अधिक नहीं हो और नष्ट होने वाले कृषि उपज एवं पशुधन पर यथा मूल्य एक प्रतिशत की दर से अधिक नहीं हो, शुल्क अधिरोपण करेगी और बाजार शुल्क वसूल करेगी:

परन्तुकि इस धारा के तहत विनिर्दिष्ट बाजार शुल्क जिसे झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजारप्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म आदि में जिस भी नाम, यानी सेस, उपयोगिता शुल्क, सेवा शुल्क इत्यादि कहा जाता हो, दूसरी बार नहीं लगाया जाएगा,

परन्तुकि उक्त अधिसूचित कृषि उपज पर लागू दर पर बाजार शुल्क पहले से ही किसी भी मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भुगतान किया गया हो और संबंधित व्यक्ति द्वारा इस आशय का प्रमाणप्रस्तुत किया गया है कि झारखंडराज्य में उपरोक्त बाजार शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

परन्तुकि व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक लेन-देन के मामले में, बाजार शुल्क विक्रेता द्वारा एकत्र और भुगतान किया जाएगा।

परन्तुकि खरीदार अनुज्ञप्तिधारी न हो और विक्रेता किसान हो, बाजार शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी कमीशन एजेंट की होगी, जो खरीदार से बाजार शुल्क एकत्र कर बाजार समिति को जमा करेगा ।

परन्तुकि क्रेता के अनुज्ञप्तिधारी नहीं होने तथा विक्रेता के किसान होने के मामले में बाजार शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व कमीशन एजेंट का होगा जो क्रेता से बाजार शुल्क वसूली करेगा और बाजार समिति में जमा करेगा ।

(2) बाजार समिति उपविधि में विनिर्दिष्ट किये गए दर पर बाजार प्रांगण (ओं) में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क का करारोपण एकत्र करेगी:

परन्तुकि कृषक विक्रेताओं पर ऐसा कोई और करारोपण नहीं किया जाएगा और शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

**बाजार समिति द्वारा उपयोग
शुल्क की वसूली**

- 67** (1) इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के बावजूद, बाजार समिति पशुधन सहित कृषि उपज के उन वस्तुओं में भी व्यापार की अनुमति दे सकती है जो अधिनियम के तहत विनियमन के लिए अधिसूचित नहीं हैं और विनियमन के लिए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।
- (2) बाजार समिति जैसा कि उप-धारा (1) के तहत प्रदान किए गए व्यापार की अनुमति के लिए, नियमावली में निर्दिष्ट, दर से परंतु जो गैर-नष्ट होने वाले कृषि उपज पर यथा मूल्य दो प्रतिशत की दर से अधिक नहीं हो और नष्ट होने वाले कृषि उपज एवं पशुधन पर यथा मूल्य एक प्रतिशत की दर से अधिक नहीं हो, उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकती है ।
- (3) इस अधिनियम में दिए गए अनुसार, बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप प्रांगण के बाहर होने वाले फलों और सब्जियों की बिक्री-लेनदेन पर न तो विनियमन लागू करेगी और न करारोपण करेगी और न ही बाजार शुल्क वसूल करेगी ।

**बाजार शुल्क से छूट देने की
शक्ति**

- 68** झारखंड राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा और ऐसी शर्तों और प्रतिबंध के अधीन, यदि कोई हो, के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, इस तरह की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में बिक्री के लिए लाया या खरीदा या बेचा गया किसी भी कृषि उपज पशुधन सहित में, जैसा कि है उसमें विनिर्दिष्ट है, ऐसी अवधि के लिए बाजार शुल्क का भुगतान से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सकती है ।
- इस धारा के तहत जारी कोई भी अधिसूचना उस अवधि, जिसके लिए यह लागू रहा था, की समाप्ति से पहले निष्प्रभावी किया जा सकता है और ऐसे निष्प्रभावी होने से ऐसी अधिसूचना लागू नहीं रहेगी ।

**व्यापारियों के अलावा बाजार के
प्रतिभागी को अनुज्ञप्ति प्रदान/
नवीकरण करना**

- 69** (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और इस संबंध में बने नियमों, प्रत्येक व्यक्ति, जो पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में, मुख्य बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण में, व्यापारी को छोड़कर, कमीशन एजेंट, तुलाइकार, मापनेवाला, हम्माल (लोडर-अन लोडर) या अन्य ऐसे बाजार में काम करने वाले के रूप में काम करना चाहता है, बाजार समिति के

पास इस तरह के रूप में और इस तरह से निर्धारित किए गए तरीके से अनुज्ञप्ति के प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(2) बाजार समिति या बाजार समिति द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष उप-धारा (1) के तहत किए गए एक आवेदन पर और इस तरह की पूछताछ करने के बाद, अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकृत करने के लिए जैसा कि उपयुक्त पाया गया हो, अनुज्ञप्ति प्रदान कर या नवीनीकृत कर सकते हैं या निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के आधार पर ऐसे किसी भी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या नवीनीकृत करने से मना कर सकते हैं-

(i) आवेदक नाबालिग है या वास्तविक नहीं है ।

(ii) आवेदक को अधिनियम और नियमावली और उपविधि के तहत चूककर्ता घोषित कर दिया गया है ।

(iii) आवेदक को अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है ।

(iv) बाजार समिति और/या बोर्ड और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित कोई भी आवेदक के विरुद्ध बकाया है ।

(v) कोई अन्य कारण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) बाजार समिति या उप-धारा (2) के तहत प्राधिकृत उसके अध्यक्ष उप-धारा (1) के तहत प्राप्त आवेदन का ऐसी तिथि, जब से आवेदन है सभी प्रकार से पूर्ण है, से बीस दिन के अंदर निपटान करेंगे ।

व्याख्या: बाजार समिति, आवेदन और संलग्न और दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर जांच करने पर, ऐसी तिथि जब से आवेदन है सभी प्रकार से पूर्ण है, से बीस कार्य दिवसों के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी/नवीनीकरण करेगी; या, लिखित में कारण (ओं) को उल्लेखित करने के बाद, ऐसा करने से मना कर सकते हैं ।

(4) उप-धारा (3) के तहत बीस कार्यदिवसों की अवधि समाप्त होने पर, यदि आवेदन का

निस्तारण नहीं किया गया है, तो जैसा भी मामला हो, यह माना जाएगा कि अनुज्ञप्ति प्रदान कर दिया गया है या नवीनीकृत किया गया है ।

(5) बाजार समिति या उसके अध्यक्ष, यदि इस प्रकार से प्राधिकृत हो तो, कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए अधिनियम/नियमों/उपनियमों, निर्देश, आदेशों के किसी प्रावधान के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए इस धारा के तहत प्रदान किए

गए अनुज्ञप्ति को एक आदेश को पारित करके निलंबित या रद्द कर सकते हैं।

परन्तु कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

**एकीकृत
अनुज्ञप्ति
करना**

**एकल
प्रदान**

**व्यापार
/नवीकरण**

70

(1) व्यापारी के लिए पूरे झारखंड राज्य के लिए एक एकल अनुज्ञप्ति लागू होगा, जो किसी भी प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजारप्रांगण, उप प्रांगण, इ-व्यापार प्लेटफॉर्म या झारखंड राज्य में इस प्रयोजन के लिए चिन्हित जगह में व्यापारी के रूप में काम करने के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस तरह और इस तरह के रूप में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, से प्रदान/नवीनीकृत किया जाएगा। बाजार समितियों द्वारा दिए गए मौजूदा व्यापार अनुज्ञप्ति झारखंड राज्य कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम 2022 की शुरुआत की तारीख से छह महीने के भीतर निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा झारखंड राज्य के एकल व्यापार अनुज्ञप्ति में बदल दिए जाएंगे। तब तक, बाजार समितियों द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान व्यापार अनुज्ञप्ति झारखंड राज्य में एकल व्यापार अनुज्ञप्ति माने जाएंगे।

व्याख्या: निजी बाजार अनुज्ञप्तिधारी या इस तरह के अन्य अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबंधन समिति, इस तरह के बाजार प्रांगण में संचालित करने की अनुमति देने के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति धारक को पंजीकृत कर सकती है।

(2) व्यापारी के रूप में उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या नवीनीकृत करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, उचित शुल्क के साथ प्रपत्र में निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आवेदन कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उप-खण्ड (2) के तहत प्रपत्र में और इस तरह की अवधि के लिए आवेदन पर, जैसा आवश्यक प्रतीत हो जांच के बाद, अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीनीकृत कर सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

परन्तु कि इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बावजूद, ऐसे अनुज्ञप्ति के प्रदान/नवीनीकरण के लिए अधिवास, खरीद/संग्रह केंद्र की अनिवार्य आवश्यकता और न्यूनतम मात्रा पर विचार नहीं किया जाएगा।

परन्तु कि इस तरह प्रदान या नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति से, अनुज्ञप्तिधारी के लिए बिना किसी भेदभाव के किसी भी रूप या निम्नलिखित प्राथमिक या द्वितीयक या किसी भी तरह का व्यापार करना अपरिहार्य होगा।

धारा 70 के तहत प्रदान किए गए /नवीनीकृत एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करना **71**

(1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस तरह की जाँच के बाद, जैसा वह निर्धारित करने के लिए उचित समझता है, और देने के बाद, निर्धारित तरीके से, अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, धारा 70 के तहत जारी किए गए अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निलंबित या रद्द कर सकता है

(क) कि, अनुज्ञप्ति को जानबूझ कर गलत विवरण देकर या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया है;

(ख) कि, अनुज्ञप्तिधारी स्वयं या अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के साथ मिलीभगत करके किसी भी प्रकार के बाजार में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में जानबूझकर बाधा डालने, निलंबित करने या रोकने के इरादे से कार्य करता है या बाजार में अपने सामान्य व्यवसाय के द्वारा करता है, और इसके परिणाम स्वरूप अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित, निलंबित या बंद हो गया हो।

(ग) कि, अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिनियम या नियमों या उपविधि के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया हो;

(घ) कि, अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिनियम या नियम या नियमावली के तहत दण्डनीय अपराध हेतु दण्डित किया गया हो,

(ड०) कि, अनुज्ञप्तिधारी दिवालिया हो गया है; या

(च) कि, अनुज्ञप्तिधारी पर निर्धारित आधार पर कोई भी अयोग्यता लागू होता है।

(2) इस धारा के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द कर दिया जाने पर, इस तरह के अनुज्ञप्ति के धारक को इसे निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करना होगा जिसकी पुष्टि निर्धारित तरीके से की जाएगी और इस तरह के निलंबन/रद्द कर दिया जाने पर किसी भी मुआवजे या अनुज्ञप्ति शुल्क या किसी भी अन्य पैसे का पूरा या किसी भी हिस्से की वापसी खाते

**अंतर-राज्य व्यापार के लिए 72
व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान /
नवीकरण करना**

पर किसी भी दावे के हकदार नहीं होंगे।

(1) जैसा कि इस अधिनियम में निहित है, अंतरराज्यीय व्यापार के लिए देशव्यापी एकल अनुज्ञप्ति होगा जो निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे तरीके या रूप में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, देश में प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण, या इस उद्देश्य के लिए चिन्हित किसी भी स्थान एवं इ-प्लेटफार्म संचालित करने के लिए प्रदान/नवीनीकृत किया जाएगा।

व्याख्या: इस धारा के तहत अभिव्यक्त "स्थान" में में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह, इलाके, सड़क सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और प्रसंस्करण इकाई आदि शामिल होंगे, जो कि परिसीमित बाजार क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।

(2) धारा 70 के तहत एकीकृत एकल अनुज्ञप्ति, धारा 72 (1) के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या नवीनीकृत करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन पत्र में अपेक्षित शुल्क के साथ, के रूप में आवेदन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) उप-धारा (2) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान के अधीन, आवेदन पर निदेशक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस तरह की जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता हो, धारा 70 के अनुसार यथोचित परिवर्तनों सहित, इस तरह की अवधि, के लिए ऐसे रूप और तरीके से अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीनीकृत कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, झारखंड राज्य द्वारा जारी अंतरराज्यीय व्यापारिक अनुज्ञप्ति धारक को देश भर में ई-प्लेटफार्म या किसी अन्य प्रारूप जो संचालन में हो पर व्यापारिक लेनदेन करने की अनुमति दी जाएगी।

(5) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए झारखण्ड सरकार एक विशेष कोड (Unique) का उपयोग कर सकती है, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(6) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक झारखंड राज्य में लागू दर पर बाजार शुल्क और अन्य विपणन शुल्क का भुगतान, जिस तरह

से निर्धारित किया जा सकता है, करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक निर्धारित किए गए या अनुमान के अनुसार, बोली के साथ ऑनलाइन लेनदेन किए जाने वाले लॉट / पशुधन के मूल्य का न्यूनतम पांच प्रतिशत जमा करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(8) इस धाराके प्रावधानों के बावजूद, अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक व्यापार के तौर-तरीकों, भुगतान के तरीके, लॉजिस्टिक्स सहित उत्पाद की वितरण का पालन करेगा, जैसा कि नियम और उपविधि में निर्धारित है।

(9) इस अधिनियम/नियमों/उपविधियों या निर्देशों या आदेशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, निदेशक/प्रबंध निदेशक/बाजार समिति, सुनवाई का अवसर देने के बाद, केवल झारखण्ड राज्य के भीतर, जब एक निश्चित अवधि के लिए या इस अधिनियम/नियमों/उप-कानूनों या निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के गंभीरता के आधार पर, एक निश्चित अवधि या हमेशा के लिए व्यापार उद्देश्य के लिए इस तरह के अनुज्ञप्ति धारी को काली सूची में डाल सकेंगे।

व्याख्या: उप-धारा (3) के तहत व्यक्त कुछ अवधि के लिए 'काली सूची' झारखंड राज्य में ऐसी अवधि के लिए निलंबन माना जायेगा जबकि हमेशा के लिए 'काली सूची' में डालना राज्य में व्यापारिक उद्देश्य हेतु हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है माना जाएगा।

(10) निदेशक/प्रबंध निदेशक/बाजार समिति, साथ साथ, साक्ष्य के साथ उल्लंघन के प्रकार और प्रकृति का विवरण देने वाला एक प्रस्ताव अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकार को उचित कारवाई के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

**निजी बाजार प्रांगण, किसान-
उपभोक्ता बाजार प्रांगण और
बाजार उप-प्रांगण के लिए
अनुज्ञप्ति प्रदान करना /
नवीकरण।**

73

(1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के तहत, निजी बाजार प्रांगण स्थापित करने की इच्छा रखता है, या धारा 11 के तहत, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण स्थापित करने की इच्छा रखता है, या धारा 12 के तहत ऐसी जगह की इच्छा रखता है, जिसे बाजार उप-प्रांगण घोषित किया जाए। निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए, जैसा कि मामला हो, ऐसे रूप में और इस तरह से, और जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है इस तरह की अवधि के लिए जो तीन साल से कम नहीं हो, आवेदन कर सकता है।

(2) धारा 73 (1) के तहत निजी बाजार प्रांगण या किसान-बाजार

प्रांगण या बाज़ार उप-प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरणके लिए, इस तरह के उचित अनुज्ञप्ति शुल्क और सुरक्षा/बैंक गारंटी के साथ, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आवेदन किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के साथ स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगा:

परन्तु कि इस धारा के तहत प्राप्त आवेदन को निम्न शर्त पर अस्वीकार कर दिया जाएगा:

- (i) कि, आवेदक नाबालिग है या वास्तविक नहीं है;
 - (ii) कि, आवेदक को अधिनियम और नियमों और उप-उपविधि के तहत चूककर्ता घोषित किया गया है;
 - (iii) कि, बाजार समिति और/या बोर्ड और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित कोई भी राशि आवेदक के विरुद्ध बकाया है;
 - (iv) कि, संबंधित प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक के पास बुनियादी ढांचा, अनुभव या निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी या किसी अन्य आवश्यकताएं जो कि निजी बाजार प्रांगण या किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना के लिए निर्धारित की जा सकती हैं नहीं हैं; और / या
 - (v) किसी अन्य कारणों से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- (4) इस धारा के तहत प्रदान या नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति को ऐसे नियम और शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। अनुज्ञप्तिधारक इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

धारा 73 के तहत 74
प्रदत्त/नवीनीकृत अनुज्ञप्ति का
निलंबन/रद्द किया जाना

(1) धारा 73 के प्रावधानों के अधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, अनुज्ञप्तिधारक को लिखित रूप में सूचित करते हुए अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि:

- (क) अनुज्ञप्ति जानबूझकर गलत विवरण या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया है; और/या
- (ख) अनुज्ञप्ति धारक या उसके प्रतिनिधि या उसकी ओर से या उसकी अनुमति या निहित अनुमति के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति, अनुज्ञप्ति के किसी भी नियम, नियम और शर्तों का

उल्लंघन करता है; और/या

(ग) अनुज्ञप्ति धारक स्वयं या अन्य अनुज्ञप्ति धारक के साथ मिलीभगत से, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में जानबूझकर बाधा डालने, निलंबित करने या रोकने के इरादे से कोई भी कार्यया बाजार क्षेत्र में अपने सामान्य व्यवसाय करने से परहेज करता है; और/या

(घ) अनुज्ञप्ति धारक दिवालिया हो गया है; और/या

(ड०) अनुज्ञप्ति धारक पर निर्धारित किए गए कोई भी अयोग्यता लागू होता है; और/या

(च) अनुज्ञप्ति धारक को इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का दोषी ठहराया जाता है ।

(2) इस धारा के तहत किसी भी अनुज्ञप्ति को उसके धारक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा।

(3) धारा 74 के प्रावधानों के अधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकार धारा-73 के तहत प्रदान किए गए या नवीनीकृत अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने के बारे में अनुज्ञप्ति धारक को मुखर आदेश द्वारा सूचित करेगी।

प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना। 75

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसमें किसान सहकारी, किसान उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) और प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातक शामिल हैं, धारा-13 के तहत प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, निजी बाजार प्रांगण के बाहर किसानों से सीधे कृषि उपज खरीदने की इच्छा रखते हैं, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास, जैसा भी मामला हो, ऐसे रूप में और इस तरह से; और ऐसी अवधि के लिए भी, जैसा की निर्धारित किया जायेगा, आवेदन करेगा ।

(2) प्रत्यक्ष विपणन के लिए इस तरह के उचित अनुज्ञप्ति शुल्क और सुरक्षा/बैंक गारंटी के साथ, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आवेदन करना होगा ।

(3) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए धारा-75 (1) के तहत प्राप्त आवेदन को धारा-73 (3) के तहत यथोचित परिवर्तनों सहित स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है ।

(4) इस धारा के तहत दी गई या नवीनीकृत की गई एक प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति को ऐसे नियम और शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और अनुज्ञप्तिधारी

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। अनुज्ञप्तिधारक इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

**प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति का
निलंबन या रद्द करना।**

76 धारा-13 के प्रावधानों के अधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, जिसने अनुज्ञप्ति जारी किया है खंड 75 के तहत प्रदत्त/नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति को धारा-74 के तहत यथोचित परिवर्तनों सहित निलंबित या रद्द कर सकता है।

**विवाद निपटारा - (i)
अनुज्ञप्तिधारियों के बीच (i i)
अनुज्ञप्तिधारी और
ए0पी0एल0एम0सी0 के बीच**

77 निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण और प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्तिधारियों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद या अनुज्ञप्तिधारीयों के बीच/और ए०पी०एल०एम०सी० के बीच विवाद को निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किये गये अधिकारी द्वारा तीस दिनों के भीतर संक्षिप्त सुनवाई करते हुए पक्षों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद हल किया जा सकता है।

अपील

78 (1) धारा 61 और 77 के तहत निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, ऐसे रूप और तरीके के अनुसार, सरकार/प्रशासन या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है। पक्षों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण तीस दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(2) बाजार समिति और निजी बाजारप्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, बाजार सब-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की प्रबंधन समिति, के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर उप-धारा (1) के लिए रूप और तरीके से यथोचित परिवर्तनों सहित निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है। पक्षों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण तीस दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(3) धारा-78 (1) के प्रावधान के अनुसार, धारा-63 के तहत ई-प्लेटफॉर्म या किसी अन्य ऐसे मंच पर अंतर-राज्यीय व्यापार के संबंध में अपील, किसी भी कानून के तहत प्रदान किए जाने वाले

प्रावधानों के अनुसार होगी ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो इस अवधि के लिए अपील किए गए आदेश पर, जैसा उपयुक्त हो, स्थगन दे सकता है ।

(5) इस धारा के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए इस तरह के आदेश में सिविल कोर्ट के निर्णय की शक्ति होगी और इस तरह लागू किया जाएगा ।

तदर्थ थोक खरीदार का पंजीकरण 79

(1) कोई भी व्यक्ति जो बाजार-प्रांगण से या बाजार-प्रांगण के बाहर से थोक खरीद का इच्छुक हो, अपने स्वयं के उपभोग के लिए दिन के आधार पर भी बिना वैध लाइसेंस के धारा-75 के तहत दिए गए संबंधित बाजार समिति के साथ उक्त प्रपत्र एवं तरीके से पंजीकरण कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

(क) ऐसे खरीदार पंजीकरण करते समय खरीद की जगह और दिन विनिर्दिष्ट करेंगे;

(ख) बाजार प्रांगण में किए गए इस तरह के खरीद के मामले में, खरीददार बाजार समिति के लिए लागू दर पर बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और बाजार प्रांगण के बाहर किए गए क्रय पर, खरीदार बाजार समिति को लागू बाजार शुल्क के एक-चौथाई का भुगतान करेगा ।

परन्तु कि राज्य में इस तरह की थोक खरीद एक महीने में तीन बार से अधिक नहीं की जा सकती है ।

सिविल न्यायालयों पर अधिकार क्षेत्र 80

(1) किसी भी सिविल कोर्ट के पास किसी भी प्रश्न के साथ समाधान करने, निर्णय लेने या उससे निपटाने या किसी भी मामले को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जो इस अधिनियम के तहत या उसके तहत समाधान, तय या निपटाए जाने की आवश्यकता है ।

(2) कोई भी अदालत, निदेशक या प्रबंध निदेशक या उसकी ओर से किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गयी शिकायत को छोड़कर इस अध्याय के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लेगी ।

अध्याय VIII

बजट और बाजार समिति कोष

बजट की तैयारी और अनुमोदन 81

(1) प्रत्येक बाजार समिति संबंधित वर्ष का अपने आय और व्यय

का प्राक्कलन निर्धारित प्रारूप में तैयार करेगी और पारित करेगी और प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि से पहले प्रबंध निदेशक के पास अनुमोदन हेतु जमा करेगी। प्रबंध निदेशक इसके प्राप्ति तिथि के एक महीने के भीतर, संशोधन के साथ या उसके बिना बजट को स्वीकृति प्रदान करेंगे। यदि प्रबंध निदेशक एक माह के अंदर बजट को नहीं लौटाते हैं तो इसे अनुमोदित माना जायेगा ।

(2) प्रबंध निदेशक उप धारा (1) तहत स्वीकृत बजट पर निदेशक की सहमति भी ले सकता है। यदि निदेशक की टिप्पणियों के साथ बजट इसकी प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर वापस नहीं लौटता है, यह माना जाएगा कि निदेशक ने सहमति दे दी है ।

(3) बाजार समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं और डिजाइनों के आधार पर बाजार समिति उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट स्थायी कोष के अलावा इसके स्वयं के कोष से इसके निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे सकती है और उनका निष्पादन कर सकती है, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।

पेंशन के भुगतान के अलावा कोई खर्च पेंशन निधि से नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी भी मद पर बाजार समिति द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाएगा यदि स्वीकृत बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि इसे किसी अन्य मद के तहत बचत से पुनर्विनियोग द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। पुनः विनियोग के लिए अनुमोदन प्रबंध निदेशक से प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु कि एक प्रमुख मद के अधीन लघु मदों से पुनर्विनियोग के मामले में, पुनर्विनियोग के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

(5) बाजार समिति वर्ष के दौरान किसी भी समय, जिसके लिए कोई बजट स्वीकृत किया गया हो, मूल बजट के अनुसार संशोधित या अनुपूरक बजट स्वीकृत और अनुमोदित कर सकती है ।

(6) बाजार समिति अपने सकल प्राप्तियों, जिसमें अनुज्ञप्ति शुल्क और बाजार शुल्क शामिल हैं, का तीस प्रतिशत तक की राशि को स्थायी कोष और प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित निधि के रूप में पेंशन कोष में जमा करने हेतु बजट में प्रावधान करेगी। स्थायी निधि से कोई व्यय बिना पूर्व अनुमोदन या प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए निर्देश के नहीं किया जाएगा। इस निधि से या धारा 82 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान की गई राशि से कोई

व्यय उप-धारा (1) में विनिर्दिष्टबजट में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा ।

(7) प्रबंध निदेशक/बोर्ड, निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति देते समय अपने विवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि कार्यों का निष्पादन भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार/प्रशासन या बोर्ड/झारखंड सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को इस उद्देश्य के लिए सौंपा जाएगा ।

बाजार समिति कोष

82

(1) उप-धारा (2) में उपबंधित के सिवाय, बाजार समिति द्वारा प्राप्त सभी धन को एक कोष जिसे "बाजार समिति कोष" कहा जाएगा को दिया जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए सभी व्यय को उक्त कोष से किया जाएगा। इस तरह के व्यय को पूरा करने के बाद बाजार समिति के पास शेष कोई भी अधिशेष को जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, इस तरह से निवेश किया जाएगा ।

(2) बाजार समिति द्वारा मध्यस्थता शुल्क या विवादों से संबंधित मध्यस्थता कार्यवाही के सुरक्षा लागत के रूप में या सुरक्षा जमा के रूप में, भविष्य निधि में अंशदान या आवश्यकतानुसार पशुओं सहित अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में और बाजार के कार्यकारियों को आवश्यक देय शुल्क और किसी माध्यम से जैसा कि नियमों या उपविधि में प्रावधान किया जा सकता है बाजार समिति द्वारा प्राप्त ऐसे अन्य राशि, बाजार समिति कोष का हिस्सा नहीं बनेंगे और जैसा निर्धारित किया जा सकता है संधारित किए जाएंगे ।

(3) जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया हो बाजार समिति कोष में जमा राशि और साथ ही बाजार समिति द्वारा प्राप्त अन्य राशि एक अनुसूचित राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक या डाकघर बचत बैंक या किसी अन्य में बचत करने हेतु प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के साथ रखा जाएगा ।

बाजार समिति कोष का उपयोग

83

धारा-82 के प्रावधानों के अधीन, बाजार समिति इस अधिनियम के तहत कार्यों के निर्वहन के लिए और उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाजार समिति कोष का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रावधान की व्यापकता के पक्षपात के बिना बाजार समिति कोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे-

- (i) बाजार प्रांगण के लिए स्थल या स्थलों का अधिग्रहण ।
- (ii) बाजार प्रांगण की स्थापना, रखरखाव और सुधार ।
- (iii) बाजार प्रांगण के प्रयोजन के लिए और बाजार प्रांगण का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के लिए

आवश्यक भवन का निर्माण और मरम्मत ।

(iv) मानक माप तौल का रखरखाव ।

(v) बाजार समिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि में अंशदान, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए भुगतान सहित स्थापना की बैठक का प्रभार्य ।

(vi) बाजार समिति के कर्मचारी को ऋण और अग्रिम ।

(vii) बाजार यार्डों के विकास के प्रयोजन के लिए और कार्य योजना में शामिल अन्य कार्यों के लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान; और ऐसे ऋणों के संबंध में निक्षेप निधि का प्रावधान ।

(viii) फसल के आंकड़ों और कृषि उपज के कुशल विपणन से संबंधित जानकारी का संग्रह और प्रसार ।

(ix) बाजार समिति के खाते के अंकेक्षण में होने वाले खर्च।

(x) बाजार समिति के पदेन सदस्य (सदस्यों) को छोड़कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क का भुगतान ।

(xi) बोर्ड द्वारा संधारित विपणन विकास कोष और निदेशक द्वारा संधारित चक्रीय विपणन विकास कोष में अंशदान ।

(xii) परिवहन सहित कृषि विपणन के विकास के लिए किसी भी योजना में अंशदान

(xiii) ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन सेवाओं और गतिविधियों के लिए आकस्मिक गतिविधियों जैसी सुविधाएं प्रदान करना ।

(xiv) इस अधिनियम के तहत चुनावों पर होने वाले खर्चों का भुगतान

(xv) पशुधन सहित कृषि उपज के विपणन के विकास में अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण पर सभी व्यय करना ।

(xvi) बंधक वित्तपोषण और विपणन ऋण को बढ़ावा देने के लिए व्यय करना ।

(xvii) फसलोत्तर कार्य के लिए स्वयं या सार्वजनिक निजी साझेदारी के द्वारा पशुधन, शीत भंडार, प्री-कूलिंग सुविधाएं पैक हाउस के लिए आधारभूत संरचना विकास सहित आधुनिक विपणन प्रणाली विकसित करने के लिए ऐसी सभी आधारभूत संरचना बनाना और बढ़ावा देना ।

(xviii) इस अधिनियम के तहत पशुधन सहित कृषि उपज के विपणन से जुड़ा कोई अन्य उद्देश्य, जिसमें बाजार समिति कोष का जनहित में व्यय प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन है।

अध्याय IX

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन

झारखंड राज्य कृषि विपणन
पर्षद की स्थापना

84 झारखंड सरकार बाजारों और विपणन आधारभूत संरचना और उपयुक्त सेवाओं के विकास से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने और समन्वय के लिए और इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन, प्रदत्त या सौंपे गये इस तरह के अन्य शक्तियों के प्रयोग और ऐसे कार्यों का प्रदर्शन करते हुए झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद की स्थापना और गठन करेगी ।

बोर्ड का निगमन

85 पर्षद एक निगमित निकाय होगा जिसमें सतत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुहर और जो अपने निगमित नाम से मुकदमा दायर कर सकेगा या जिस पर मुकदमा किया जा सकेगा और चल एवं अचल दोनों संपत्तियों अर्जित करने और रखने और इस तरह की संपत्ति को पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा किसी को हस्तांतरित, अनुबंध करने और अन्य सभी काम जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है को करने के लिए आवश्यक है, हेतु सक्षम होगा ।

झारखंड राज्य कृषि विपणन
पर्षद का गठन

86 पर्षद में झारखंड सरकार द्वारा नियुक्त या निर्वाचित एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इस तरह के निर्वाचित अन्य सदस्य हो सकते हैं ।

झारखंड राज्य कृषि विपणन
पर्षद की संरचना

87 पर्षदकी संरचना इस प्रकार होगी,

1. अध्यक्ष -झारखंड राज्य के बाजार समिति के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और और अन्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए:
परन्तु कि अध्यक्ष एक कृषक हो ।
2. उपाध्यक्ष -झारखंड राज्य के बाजार समिति के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और और अन्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए ।
3. (i) झारखंड सरकार द्वारा बाजार समितियों के अध्यक्षों में से छह सदस्यों को विहित प्रक्रिया के अनुसार नामित किया जाना है।
(ii) झारखंड सरकार द्वारा निजी बाजार प्रांगण, प्रत्यक्ष विपणन, बाजार उप-प्रांगण और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्तिधारियों, के बीच में प्रत्येक से एक सदस्य को नामित किया जाना है ।
(iii) सरकार/प्रशासन द्वारा पंजीकृत किसानों-उत्पादक कंपनी, यदि कोई हो, से एक सदस्य को नामित किया जायेगा ।
(iv) झारखंड सरकार द्वारा एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति धारकों में से एक सदस्य, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, को नामित किया जाना है ।
(v) झारखंड सरकार द्वारा अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति धारक के

बीच से एक सदस्य को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा ।

4. अन्य पदेन सदस्य -

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी या उनके नामिती जो झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का न हो ।

(ii) मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शहरी/ग्रामीण विकास या उनके नामिती जो झारखण्ड सरकार के उप सचिव के पद से अन्यून न हो ।

(iii) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के प्रतिनिधि जो उप-महाप्रबंधक के पद से अन्यून न हो ।

(iv) सहकारी समितियों के निबंधक

(v) झारखंड राज्य के कृषि विपणन पर्षद के प्रबंध निदेशक ।

बोर्ड के प्रबंध निदेशक, अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति **88**

(1) पर्षद में एक प्रबंध निदेशक होगा जो झारखंड सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक, पर्षद के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(3) पर्षद अधिनियम के तहत कर्तव्यों और कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है।

(4) सभी अधिकारियों और सेवकों पर अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड के प्रबंध निदेशक में निहित होगा ।

बोर्ड के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल **89**

(1) पर्षद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के पद का कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए होगा ।

हालाँकि, सदस्यों की सदस्यता सरकार की इच्छा पर रहेगा।

झारखंड सरकार, यदि यह उचित समझे तो, बोर्ड के किसी भी सदस्य को उनके पद का कार्यकाल समाप्ति से पहले हटा सकता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति दो कार्यकाल से अधिक बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकता है।

(3) झारखंड सरकार अपने प्रस्ताव पर या कुल सदस्यों और पर्षद के बहुमत मतदान एवं दो तिहाई उपस्थित सदस्यों से पारित प्रस्ताव पर बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कदाचार या लापरवाही या कर्तव्य निभाने में अक्षम होने पर हटा सकती है और इस तरह के निष्कासन पर वह ऐसे निष्कासन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु कि इस तरह के निष्कासन का कोई आदेश संबंधित को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल	90	बोर्ड के एक आधिकारिक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जैसे ही उनका कार्यालय अधिकार, जिसके आधार पर उन्हें नामांकित किया गया था का अंत हो जाएगा। बाजार समिति, जहाँ से सदस्य बोर्ड में नामित रहे हैं, के अधिक्रमण की स्थिति में संबंधित सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
बोर्ड के सदस्यों के लिए भत्ता	91	पदेन सदस्यों के अलावा बोर्ड के अन्य सदस्यों को विपणन विकास निधि से इसके बैठक में भाग लेने और अन्य कार्यों में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता एवं अन्य भत्ता का भुगतान किया जायेगा, जो राज्य सरकार/प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकेगा।
आकस्मिक रिक्तियों को भरना	92	बोर्ड के किसी भी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र या अयोग्यता या निष्कासन की स्थिति में या उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उत्पन्न होने वाली कार्यालय में रिक्ति, एक आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा। इस तरह के कार्यालय में और इस तरह की रिक्ति को नामांकन द्वारा झारखंड सरकार द्वारा जैसे शीघ्र हो सकता है, भरा जाएगा। जिस व्यक्ति को नामांकित किया गया है, वह अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यालय अवधि के लिए इस पद पर रहेगा।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के इस्तीफे	93	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य झारखंड सरकार के पास अपना इस्तीफा देकर संबंधित पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनके इस्तीफे की स्वीकृति की तारीख से इस तरह का पद खाली हो जाएगा: परन्तु कि उपाध्यक्ष और कोई सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को सूचना देते हुए झारखंड सरकार के पास अपना इस्तीफा देकर संबंधित पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
पर्षद के सदस्यों की अयोग्यता	94	कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो- (क) दिवालिया है, या किसी भी समय, दिवालिया हो चुका है; या (ख) अपराधी है, या एक अपराध का दोषी पाया गया है, जिसमें सरकार / प्रशासन की राय इसमें नैतिक अधमता शामिल है; या (ग) सक्षम अदालत द्वारा अस्वस्थ दिमाग का घोषित किया गया हो; या (घ) बोर्ड या बाजार समिति के साथ कोई अनुबंध में किसी कंपनी या फर्म का निदेशक या सचिव, प्रबंधक या अन्य वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी हो; या (ड०) किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 114 और / या 126 के तहत दोषी पाया गया है; या

(च) सरकार/प्रशासन की राय में, एक सदस्य के रूप में अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि बोर्ड में उनका बना रहना आमजन के लिए हानिकारक हो।

उप-समिति की नियुक्ति

95 पर्षद, अपने किसी भी कर्तव्य या कार्य के निष्पादन के लिए या किसी भी मामले पर आकस्मिक रूप से सलाह देने के लिए, अपने तीन या अधिक सदस्यों से युक्त उप-समितियों को नियुक्त कर सकता है जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी शामिल होंगे, और इस तरह के उप-समिति को अपने किसी भी कर्तव्य या कार्य को, जैसा आवश्यक समझा जा सकता, सौंप सकता है।

बोर्ड का अधीक्षण

96 झारखंड सरकार बोर्ड और इसके अधिकारियों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगी और जैसा आवश्यक प्रतीत हो, इस तरह के सूचना की मांग कर सकती है। पर्षद ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके संतुष्ट होने की स्थिति में, यह बोर्ड को निलंबित कर सकता है और जब तक एक नया पर्षद गठित नहीं हो जाता है, तब तक पर्षदके कार्यों के निर्वहन के लिए, जैसा यह उचित समझा, व्यवस्था करेगी।

परन्तु कि इसके निलंबन की तिथि से छह महीने के अंदर पर्षद का गठन किया जाएगा।

बोर्ड के कार्य एवं शक्तियां

97 (1) पर्षद, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित कार्य करेगी और इसे जैसा आवश्यक हो या इन कार्यों के निष्पादन के लिए इस तरह की शक्ति होगी:

(i) बाजार समितियों के कार्य और इस प्रकार के अन्य मामलों यथा ऐसे बाजार समितियों द्वारा प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण सहित परिसीमित बाजार क्षेत्रों का विकास के लिए किए गए कार्यक्रमों का समन्वय;

(ii) मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में कृषि उपज सहित पशुधन का विकास के लिए झारखंड राज्य स्तर की योजना कार्यान्वित करना।

(iii) झारखंड राज्य विपणन विकास निधि प्रशासित करना।

(iv) सामान्य रूप से बाजार समितियों या विशेष रूप से किसी भी बाजार समिति को उसमें सुधार सुनिश्चित किए जा सकने हेतु निदेशित करना।

(v) इस अधिनियम के तहत सौंपा गया कोई अन्य विशेष कार्य।

(vi) सरकार/प्रशासन द्वारा इसे सौंपे जा सकने वाले समान प्रकृति के ऐसे अन्य कार्य।

(2) वर्तमान प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, बोर्ड के कार्यों में निम्नांकित शामिल होंगे:

(i) प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण

की स्थापना के लिए बाजार समितियों द्वारा नए स्थलों के चयन के प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ii) प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण और परिसीमित बाजार क्षेत्र में भी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी;

(iii) बाजार समितियों द्वारा किए गए निर्माण कार्य की योजनाओं और प्राक्कलनों को तैयार करने में बाजार समितियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन;

(iv) पर्षद के कोष से भारित सभी कार्यों का निष्पादन;

(v) इस तरह के रूप में लेखा खातों का रखरखाव जैसा, कि निर्धारित किया जा सकता है और जैसा कि पर्षद के विनियमन में निर्धारित किया गया हो, उसी तरह से लेखा परीक्षण करना;

(vi) वर्ष के अंत में इसकी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, बैलेंस शीट और परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण का प्रकाशन; और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और झारखंड सरकार को इसकी प्रतियों का प्रेषण;

(vii) विपणन प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के हस्तांतरण के लिए बोर्ड में अलग से विपणन विस्तार प्रकोष्ठ स्थापित करना। बोर्ड कृषि उत्पादों के विनियमित विपणन से संबंधित मामलों पर जागरूकता सृजन अभियान के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है जिसमें पशुधन और विपणन सुविधाओं का विकास शामिल है;

(viii) सभी स्तरों पर कृषि विपणन में प्रशिक्षित कर्मियों की मांग का आकलन करने के बाद बाजार समितियों के अधिकारियों और सेवकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना। विभिन्न बाजार कार्यकारियों, समिति के सदस्यों और किसानों आदि के लिए भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय, जो राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है, की आवश्यक अकादमिक सहायता से कृषि विपणन में प्रशिक्षण के लिए कॉलेज/केंद्रों के साथ एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ तैयार करना।

(ix) उपयुक्त तकनीक के माध्यम से किसानों या उनके समूहों को उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करना;

(x) आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करने में मदद करना

(xi) बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाजार समिति को ऋण पर उपदान देना

(xii) कृषि विपणन से संबंधित विषयों पर सेमिनार/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों आदि की व्यवस्था या आयोजन करना

(xiii) ऐसे अन्य कार्य करना जो बाजार समितियों के लिए सामान्य

हित के हो सकते हैं या बोर्ड के कुशल कामकाज के लिए आवश्यक माने जा सकते हैं;

(xiv) बाजार समितियों को पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के ग्रेडिंग और मानकीकरण को बढ़ावा देने में सुविधा, ऑन लाइन व्यापार और गतिविधियों के लिए जांच प्रयोगशालाओं और अन्य बुनियादी संरचनाओं की स्थापना में सहायता करना

(xv) बाजार समितियों को पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के लिए रोधक बाजार विकसित करने हेतु ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना; तथा

(xvi) विपणन निदेशालय के तकनीकी सहायता के साथ एक सलाहकार समिति का गठन और अधिसूचित कृषिउपज और पशुधन के कुशल विपणन, जिसमें ग्रेडिंग, मानकीकरण, पैकेजिंग गुणवत्ता प्रमाण पत्र से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है को बढ़ावा देना ।

विनियम

- 98 (1) पर्षद झारखंड सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ नियम बना सकता है जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत नहीं हो ।
- (2) विशेष रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह पूर्वगामी शक्ति के सामान्यता के लिए सभी या निम्नलिखित मामलों में से कोई या सभी ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं -
- (क) बोर्ड की बैठकों को बुलाना और आयोजित करना, इस तरह की बैठकें आयोजित करने का समय और दिनांक ऐसी बैठकों में कार्य का संचालन और उसका कोरम बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ।
- (ख) पर्षद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारी की शक्तियां और कर्तव्य ।
- (ग) पर्षद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और बाजार समितियों के अधिकारियों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ।
- (घ) पर्षद की संपत्ति का प्रबंधन ।
- (ङ०) पर्षद की ओर से अनुबंध और संपत्ति के आश्वासनों का निष्पादन ।
- (च) पर्षद द्वारा खातों का रखरखाव और बैलेंस शीट की तैयारी
- (छ) इस अधिनियम के तहत पर्षद के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया।
- (ज) अन्य मामले जिसके लिए विनियमन में प्रावधान होना है या

हो सकता है ।

“विपणन विकास कोष”	99	पर्षद की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी धन एक कोष “विपणन विकास कोष” में जमा किया जाएगा।
बोर्ड द्वारा किया गया भुगतान	100	पर्षद द्वारा, सभी भुगतानों को “विपणन विकास कोष” से अदा कर दिया जायेगा ।“
“विपणन विकास कोष” में योगदान	101	इस अधिनियम के तहत पर्षदको सौंपे गए कार्यों का निष्पादन एवं बोर्ड की स्थापना के खर्च और किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्येक बाजार समिति, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता हो, अपनी आय का बीस प्रतिशत तक, जो अनुज्ञप्ति शुल्क और बाजार शुल्क से प्राप्त आय का प्रतिशत होगा, पर्षद द्वारा बनाए गए “विपणन विकास कोष” को भुगतान करेगी।
बॉन्ड या स्टॉक जारी करके ऋण लेना	102	इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, पर्षद झारखंड सरकार से या झारखंड सरकार के पिछले अनुमोदन के साथ से निम्न से ऋण ले सकता है (i) किसी अन्य एजेंसी से; या (ii) इस अधिनियम या बने नियमों के तहत इसमें निहित किसी संपत्ति के प्राधिकार पर या भविष्य में इसके होने वाली आय के एक हिस्से की प्रतिभूति पर डिबेंचर जारी करना ।
बोर्ड द्वारा संधारित विपणन विकास कोष का उपयोग	103	(1) विपणन विकास कोष का उपयोग पर्षद द्वारा स्वयं या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इस अधिनियम के तहत बोर्ड को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाएगा । (2) इस प्रावधान की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, विपणन विकास कोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, यथा- (i) पर्षद के प्रशासनिक व्यय का भुगतान । (ii) पर्षद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की यात्रा और अन्य भत्ते का भुगतान । (iii) पर्षद द्वारा किए गए कानूनी खर्चों का भुगतान । (iv) विकास के प्रस्तावों के लिए ऋण या अनुदान के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर बाजार समितियों को सहायता प्रदान करना । (v) कृषि उपज के विपणन से संबंधित मामलों में प्रचार और प्रसार

पर ।

(vi) बाजार समितियों और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा बाजार प्रतिभागियों और कृषकों को भी प्रशिक्षण देना ।

(vii) विपणन के विकास पर कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन और व्यवस्था करना ।

(viii) प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण में आधारभूत संरचना सुविधाओं को बढ़ावा देना और निर्माण और परिसीमित बाजार क्षेत्र में भी सामान्य आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(ix) कौशल विकास और बंधक वित्तपोषण गतिविधियाँ करना ।

(x) बाजार सर्वेक्षण और अनुसंधान, ग्रेडिंग और मानकीकरण, गुणवत्ता परख, कृषि उपज का गुणवत्ता प्रमाणन, ऑन-लाइन ट्रेडिंग और अन्य से जुड़ी गतिविधियां करना ।

(xi) बोर्ड के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए भवनों या भूमि के पट्टे या अन्यथा अधिग्रहण या निर्माण या किराए पर लेना ।

(xii) बोर्ड और बाजार समितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा।

(xiii) परिसीमित बाजार क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के विपणन के लिए हाट बाजारों और किसान-उपभोक्ता बाजारों का विकास; और पशुधन के लिए भी ऐसे बाजार विकसित करने की संभावना का पता लगाना ।

(xiv) इस अधिनियम के तहत या आवश्यकतानुसार अन्य उद्देश्य हेतु सरकार / प्रशासन द्वारा निर्देशित पर्सदको सौंपे गए कार्यों का निष्पादन ।

पर्सद के खातों का लेखा परीक्षण 104

(1) पर्सद के खाते झारखंड राज्य स्थानीय लेखा परीक्षा अधिनियम के तहत या प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट या सरकार/प्रशासन के अनुसार, अन्य एजेंसी द्वारा किए जाएंगे जो उपयुक्त हो ।

(2) पर्सद खातों के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कि यह उपयुक्त समझे।

(3) पर्सदके वार्षिक खातों और बैलेंस शीट को प्रबंध निदेशक द्वारा तैयार किया जाएगा और बोर्ड द्वारा विभिन्न स्रोत से एकत्रित या प्राप्त सभी धनराशि की निकासी या भुगतान की गई राशि खातों में दर्ज की जाएगी ।

(4) लेखा परीक्षा के समय, लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, लेखा

परीक्षा अधिकारी द्वारा मांगे जानेवाले सभी खातों, रजिस्टर, दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक कागजात को प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए इस तरह के अधिकारी द्वारा मांगे गए व्याख्या को तुरंत उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) लेखा परीक्षित होने पर लेखा खातों को छापा जाएगा। खातों की लेखा परीक्षा टिप्पणी के साथ पर्षद के समक्ष रखा जाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

105

(1) (i) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, प्रबंध निदेशक /सदस्य सचिव या इसके द्वारा नियुक्त उप-समिति या बोर्ड के किसी भी अधिकारी को, जैसा यह उपयुक्त हो सकता है, अधिनियम के तहत शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकता है।

(2) पर्षद का अध्यक्ष या सदस्य सचिव इस अधिनियम के तहत पर्षद के किसी अधिकारी को अपनी शक्ति सौंप सकता है।

अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी का पर्यवेक्षण और नियंत्रण

106

(1) पर्षद के अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) पर्षद के अधीक्षण के अधीन, पर्षद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण और निदेशन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी में निहित होंगे।

प्रबंध निदेशक के कार्य एवं शक्तियां

107

प्रबंध निदेशक निम्न कार्य करेगा:

(i) कार्यकारी प्रशासन, खातों और अभिलेख से संबंधित मामलों, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण स्थापित करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों के सेवा से संबंधित सभी मामलों का निपटान ;

(ii) पर्षद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश और प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;

(iii) स्वीकृत कार्य के मद्दों पर विपणन विकास कोष से व्यय का वहन करना;

(iv) आपात स्थिति के मामले में, किसी भी कार्य के क्रियान्वयन या रोकने हेतु निर्देशित करना और

किसी भी कार्य को करना जिसे पर्षद की मंजूरी की आवश्यकता होती है;

(v) पर्षद का वार्षिक बजट तैयार करना;

- (vi) पर्षद के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना;
- (vii) पर्षद की बैठकों की व्यवस्था करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पर्षद की बैठकों की कार्यवाही के रिकॉर्ड को संधारित करना;
- (viii) पर्षद के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जैसा आवश्यक समझे कदम उठाना;
- (ix) अपने स्वयं के निधि या ऋण और/या पर्षद या किसी अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों से बाजार समितियों द्वारा किए गए निर्माण कार्य का निरीक्षण या सुधारात्मक उपाय करना;
- (x) सरकार या प्रशासन को, इस तरह के बाज़ार समितियों या बोर्ड के ऐसे कार्य जो इस अधिनियम या नियमों और उपविधियों के तहत निर्धारित प्रावधानों के विपरीत हैं का रिपोर्ट करना;
- (xi) पर्षद के कार्यों का प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे गए कदम उठाना ।

पर्षद के कार्यकलापों का संचालन

108

- (1) पर्षद इसके कार्यकलापों के लिए प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्धारित जगह और समय पर, बैठक आयोजित करेगा।
- (2) अन्यथा उप-धारा (1) में दिए गए अनुसार अध्याय iv के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ पर्षद के व्यवसाय के संचालन के लिए लागू होंगे ।
- (3) पर्षद की सभी कार्यवाही अध्यक्ष, सदस्य-सचिव/प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और पर्षद द्वारा जारी किए गए अन्य सभी आदेश और अन्य निर्देश अध्यक्ष, सदस्य-सचिव/प्रबंध निदेशक या विनियमन द्वारा पर्षद के इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है ।
- (4) पर्षद व्यवसाय का संचालन नियम के तहत निर्धारित रीति से करेगा ।

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियाँ

109

- पर्षद के अध्यक्ष, जैसा की निर्धारित किया जा सकता है, इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

निदेशक की नियुक्ति अधिकार एवं शक्तियां

कृषि विपणन निदेशक की
नियुक्ति

110 इस अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत झारखंड सरकार कृषि विपणन निदेशक के अधिकार का प्रयोग करने या कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है:
परन्तु कि कृषि विपणन निदेशक बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पद के समतुल्य नहीं होंगे।

कृषि विपणन निदेशक की
शक्ति और कार्य।

111 (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के तहत बोर्ड के प्रबंध निदेशक के लिए निर्धारित किए गए कार्यों के अलावा, निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अन्य ऐसे कार्य कर सकता है, जिससे इस अधिनियम के प्रावधानों का उचित निष्पादन हो सके। अधिनियम, नियमों के तहत राज्य सरकार स्वयं में निहित किसी भी या सभी विनियामक शक्तियों को निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) धारा 116 के प्रावधानों की व्यापकता के बिना विशेष रूप से और पूर्वाग्रह के बिना, निदेशक के कार्यों में निम्न शामिल हो सकते हैं-

(i) निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्रत्यक्ष विपणन की स्थापना और /या संचालन हेतु किसी व्यक्ति को दिया गया अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/ नवीकरण और निलंबन या रद्द करना

(ii) झारखण्ड राज्य के लिए एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/नवीकरण और निलंबन या रद्द करना

(iii) अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/नवीकरण और निलंबन या रद्द करना;

(iv) किसी अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी झारखंड राज्य क्षेत्र के भीतर अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति के संचालन को काली सूची में डालना;

(v) मुख्य बाजार के प्रांगण, उप- बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण में पशुधन सहित कृषि उपज के लेनदेन से संबंधित अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाजार समितियों पर पर्यवेक्षण;

(vi) परिसीमित बाजार क्षेत्रों में नियमन को लागू करना;

(vii) बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधान (ओं) के उल्लंघन के लिए अभियोजन की शुरुआत;

- (viii) अधिनियम के उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिनियम और नियमों में संशोधन करने के लिए झारखंड सरकार को सुझाव देना;
- (ix) इस अधिनियम और नियमों के तहत बाजार समिति द्वारा बनाए गए उपविधियों की मंजूरी;
- (x) बाजार समिति और पर्षद के खातों के लेखा परीक्षण के लिए व्यक्ति (ओं) या संगठन की पहचान करना।
- (xi) बाजार समिति के बजट के अनुमोदन पर सहमति;
- (xii) बाजार समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के सृजन को मंजूरी;
- (xiii) राज्य कृषि विपणन सेवाओं के कर्मियों की नियुक्ति और स्थानांतरण, यदि कोई हो, और उनके लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;
- (xiv) बाजार समिति और बोर्ड के चुनावों के समयबद्ध और उचित संचालन के लिए कदम उठाना और इससे जुड़ी गतिविधियाँ करना;
- (xv) बाजार समिति के अध्यक्ष के इस्तीफे की स्वीकृति;
- (xvi) निजी बाज़ार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाज़ार प्रांगण, निजी बाज़ार प्रांगण, उप-बाज़ार प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और प्रत्यक्ष विपणन और एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति और अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति के धारक के अनुज्ञप्तिधारी के लिए विवाद समाधान प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए;
- (xvii) बाजार समिति के एक आदेश से पीड़ित किसी व्यक्ति के अपीलपीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;
- (xviii) बाज़ार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन;
- (xix) बाज़ार समिति के उपाध्यक्ष और सदस्य को, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है तरीके से, पद से हटाया जाना;
- (xx) यदि आवश्यक हो तो, बाजार समिति के खातों और कार्यालय का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराया जाना ।

- (1) निदेशक, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप-प्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्रत्यक्ष विपणन और अनुज्ञप्तिधारियों के अंशदान और बाजार समिति सहित अन्य से प्राप्त अंशदान प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए एक अलग "चक्रीय विपणन विकास कोष" का संधारण करेगा।
- (2) प्रत्येक बाजार समिति अनुज्ञप्ति शुल्क और बाजार से प्राप्त शुल्क, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, से प्राप्त अपनी आय का पाँच प्रतिशत अंशदान निदेशक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन विकास कोष" में योगदान करेगी ।

(3) निदेशक, उप-धारा (1) के तहत संधारित, कोष का झारखंड राज्य में एक कुशल विपणन प्रणाली तैयार करने में सहायक सामान्य विपणन आधारभूत संरचना विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और बंधक वित्तपोषण और ऐसे अन्य गतिविधियों में व्यय करेंगे।

कृषि विपणन निदेशक के कार्यालय और कर्मचारी।

113

(1) निदेशक, इस तरह के कर्तव्यों का निर्वहन करने और इस अधिनियम/नियमों के तहत सौंपे गए कार्यों को करने के लिए, झारखंड सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित कर सकते हैं।

(2) जिला स्तर के कार्यालयों का प्रमुख अधिकारी, ऐसी योग्यता और अनुभव रखने वाले, लेकिन उप निदेशक या भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे नहीं होने चाहिए।

(3) जिला स्तर के अन्य अधिकारी, इस तरह की निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले, राज्य के कृषि विपणन सेवा संवर्ग, यदि कोई हो, या अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर नियम के अनुसार होने चाहिए।

अध्याय XI

दंड

अधिनियम, नियमों और उपविधि के उल्लंघन के लिए जुर्माना

114

कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का या इसके तहत जारी किसी भी नियम या उपनियम या आदेश उल्लंघन करता है, जो छह महीने तक के साधारण कारावास तक या पांच हजार रुपये तक जुर्माना के साथ या दोनों के साथ दण्डनीय हो सकता है।

परन्तु कि धारा 65 के प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन के मामले में, उसे एक और जुर्माना के साथ दंडित किया जा सकेगा, जो पहली सजा के बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन दो सौ रुपये के हिसाब से बढ़ सकता है।

बाजार की बकाया राशि की वसूली

115

जब भी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो दंडाधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी जुर्माना के अतिरिक्त, इस अधिनियम या नियम या उपविधि के अधीन बकाया और बाजार समिति को उसके द्वारा देय कुल शुल्क की राशि या किसी अन्य राशि का भुगतान की वसूली कर सकता है, इसके अतिरिक्त स्वयं के विवेक से, बाजार समिति को अभियोजन की लागतों को भी वसूली और भुगतान करा सकता है।

अपराधों का संज्ञान

- 116** सिविल (व्यवहार) न्यायालय इस अधिनियम या किसी नियम या किसी भी उपविधि के तहत किए गए किसी भी दंडनीय अपराध का इस संबंध में निदेशक या इसके लिए अधिकृत अधिकारी या बाजार समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या बाजार समिति द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के अलावा संज्ञान नहीं लेगा।

अध्याय XII

नियंत्रण

निरीक्षण, पूछताछ, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आदि।

- 117** (1) स्वविवेक से, प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, या सरकार/प्रशासन या अधिकारियों के निर्देश पर कर सकते हैं-
- (क) बाजार समिति के खाते और कार्यालयों का निरीक्षण करना या कराना;
- (ख) बाजार समिति के मामलों की जांच करना;
- (ग) ऐसी समिति द्वारा संधारित किसी भी रिटर्न, स्टेटमेंट, लेखा या प्रतिवेदन मांगा जा सकता है; जो उपयुक्त समझे।
- (घ) बाजार समिति के विचारार्थ आवश्यकता -
- (i) समिति के द्वारा या उसकी ओर से किए जा रहे या किए जाने वाले किसी भी कार्य में अवैधता या अक्षमता या असंगतता उनके समक्ष प्रकट होने पर आपत्ति करना;
- (ii) ऐसी समिति द्वारा किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ऐसी कोई भी सूचना जो वह प्रस्तुत करने में सक्षम है और जो उसे प्रतीत होता है, और
- (iii) इस तरह के काम करने या न करने का कारण बताते हुए उचित समय के भीतर उन्हें लिखित जवाब देना।
- (ड.) लेकिन यदि कोई कार्य जो किया जाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है, उसे निर्धारित समय के भीतर करने का निर्देश देना।
- (2) जब किसी बाजार समिति के मामलों की जाँच इस धारा के तहत की जाती है या किसी बाजार समिति की कार्यवाही की जाँच प्रबंध निदेशक द्वारा धारा-124 के तहत की जाती है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य सभी अधिकारी और सेवक और ऐसे बाजार समिति के सदस्य आवश्यकतानुसार प्रबंध निदेशक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जैसा भी मामला हो, मामलों या कार्यवाही के संबंध में उनके पास उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत करेंगे।
- (3) धारा-125 के तहत किसी भी बाजार समिति की कार्यवाही की जांच करने वाले या उप-धारा (1) के अधीन बाजार समिति के मामलों की जाँच करने वाले अधिकारी या निदेशक या झारखंड

सरकार बाजार समिति के अधिकारी या सदस्य (यों) को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और सबूत देने के लिए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत सिविल कोर्ट के मामले में प्रदान किए जाने वाले तरीके से और जहां तक संभव हो, उसी तरीके से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें मजबूर करने की शक्ति होगी।

(4) जहाँ प्रबंध निदेशक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बाजार समिति की खातों और अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट होने की संभावना है या बाजार समिति के धन या संपत्ति के दुर्विनियोग किए जाने या गलत होने की संभावना है, प्रबंध निदेशक स्वयं के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को बाजार समिति के ऐसी खातों और अभिलेखों, कोष और संपत्ति को जब्त करने और कब्जा करने और बाजार समिति के ऐसे खातों और अभिलेखों, कोष और संपत्ति की निगरानी के लिए जिम्मेदार बाजार समिति के अधिकारी (ओं) को इन सभी को प्राधिकृत व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए लिखित रूप से निर्देश दे सकता है।

उपाध्यक्ष या बाजार समिति के सदस्य को हटाने के लिए निदेशक की शक्तियाँ **118**

(1) निदेशक अध्यक्ष के परामर्श से उपाध्यक्ष और बाजार समिति के सदस्यों को हटा सकता है जहां वह कार्य के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि:

(क) उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कदाचार या कर्तव्य की घोर लापरवाही का दोषी है;

(ख) उपाध्यक्ष या सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रखता हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत हटाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(3) निदेशक इस प्रकार से या उप धारा (1) में यथोचित परिवर्तन करके, किसी भी उपाध्यक्ष या किसी बाजार समिति के सदस्य और जिसके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई हो और जो इस तरह के नोटिस की सेवा के बाद अनियमितता करता हो, शिकायत की प्राप्ति की तारीख या निदेशक द्वारा अनियमितताओं की सूचना देने की तारीख से लेकर उनके मामले में अंतिम निर्णय लेने तक की अवधि में, उप धारा (1) या उप धारा (2) के तहत जैसा भी मामला हो, निलंबित कर सकता है।

बाजार समिति का अधिक्रमण **119**

जहां निदेशक स्वविवेक या प्रबंध निदेशक के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बाजार समिति अपने कार्यों के निष्पादन या अपने कर्तव्यों का निर्वहन में विफल रही है या इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के परे जा कर कार्य किया है या दुरुपयोग किया है, झारखंड सरकार के साथ पूर्व परामर्श पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बाजार समिति का अधिक्रमण कर सकता है:

परन्तु कि जब तक निदेशक ने बाजार समिति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया हो, तब तक अधिक्रमण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

बाजार समिति के अधिक्रमण का परिणाम

120

धारा 119 के तहत एक बाजार समिति का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचना प्रकाशन से, निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित होंगे:

(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाजार समिति के सभी सदस्य, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होने के साथ, अपना पद छोड़ देंगे।

(ii) झारखंड सरकार या निदेशक धारा-17 के तहत एक नई बाजार समिति के गठन के लिए कदम उठाने हेतु निदेश देंगे और जब तक धारा-17 के तहत एक नई बाजार समिति का गठन किया जाता है, तब तक निदेशक बाजार समिति के कार्यों को करने के लिए, अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए, जैसा उपयुक्त हो व्यवस्था करेंगे, और इस प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के तहत, बाजार समिति और उसके अध्यक्ष के सभी कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्यों के निष्पादन हेतु, क्रियान्वयन और निर्वहन निदेशक द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में नियुक्त ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किए जाने के लिए निदेशित करेंगे, एवं ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को जैसा कि मामला हो, बाजार समिति या अध्यक्ष माना जा सकता है।

बोर्ड का अधिक्रमण

121

जहाँ झारखंड सरकार का मत है कि बोर्ड अपने कार्यों के निष्पादन या अपने कर्तव्यों का निर्वहन में विफल रही है या इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के परे जा कर कार्य किया है या दुरुपयोग किया है, यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अधिक्रमण कर सकता है

परन्तु कि जब तक झारखंड सरकार ने बोर्ड को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक अधिक्रमण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

बोर्ड के अधिक्रमण का परिणाम

122

धारा 121 के तहत एक बोर्ड का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचना प्रकाशन से, निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित होंगे:

(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सभी सदस्य, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होने के साथ, अपना पद छोड़ देंगे।

(ii) झारखंड सरकार धारा-86 के तहत एक नए बोर्ड के गठन के लिए कदम उठाने हेतु निदेश देंगे और जब तक धारा-86 के तहत

एक नई बोर्ड का गठन किया जाता है, तब तक झारखंड सरकार बोर्ड के कार्यों को करने के लिए, अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए, जैसा उपयुक्त हो व्यवस्था करेगी, और इस प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के तहत, बोर्ड और उसके अध्यक्ष के सभी कार्य, शक्तियों और कर्तव्यों का निष्पादन, क्रियान्वयन और निर्वहन झारखंड सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में नियुक्त ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किए जाने के लिए निदेशित करेगी, एवं ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को जैसा कि मामला हो, बोर्ड या अध्यक्ष माना जा सकता है।

बाजार समिति उपविधियों में संशोधन हेतु निर्देश के लिए निदेशक की शक्ति।

123

(1) यदि यह निदेशक को प्रतीत होता है, कि कृषि विपणन के हित में किसी भी उप-नियम को लागू करना या किसी मौजूदा उप-नियम (ओं) में संशोधन करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा संबंधित बाजार समिति को उप-नियम बनाने या मौजूदा उप-नियम (ओं) में संशोधन के लिए निदेशित कर सकता है।

(2) यदि बाजार समिति विनिर्दिष्ट समय के अंदर इस तरह के उपविधि बनाने या मौजूदा उपविधि (ओं) में संशोधन करने में विफल रहती है, तो बाजार समितिको कारण बताने का एक उचित अवसर देने के बाद, निदेशक ऐसा उप-नियम बना या मौजूदा उपविधि (ओं) में संशोधन कर सकता है और इसके बाद उप-धारा

(3) के तहत किसी भी आदेश के अधीन बने ऐसे नए उपविधि (ओं) और इस तरह के संशोधित उपविधि (ओं) को इस अधिनियम या नियमन के प्रावधान के अनुसार बाजार समिति द्वारा बनाया या संशोधित किया गया माना जाएगा और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम बाजार समिति के लिए बाध्यकारी होंगे।

(3) उप-नियम (2) के तहत निदेशक के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील आदेश और निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर झारखंड सरकार के समक्ष दायर करना होगा और ऐसे अपील पर झारखंड सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बाजार समिति द्वारा किए गए प्रस्ताव या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन पर रोक लगाने के लिए प्रबंध निदेशक की शक्ति

124

(1) प्रबंध निदेशक स्वविवेक पर, या प्राप्त प्रतिवेदन या शिकायतों पर, आदेश द्वारा, बाजार समिति या उसके अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित किए गए संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन पर रोक लगा सकता है, यदि उनको प्रतीत होता है कि इस तरह का संकल्प सार्वजनिक हित के लिए पूर्वाग्रही है, या किसी भी बाजार प्रांगण या उपबाजारप्रांगण में व्यापार के कुशल संचालन में बाधा की संभावना है या इस अधिनियम या इसके तहत नियमों या उपविधि के प्रावधानों के विरुद्ध है।

(2) जहां उप-नियम (1) के तहत किए गए किसी आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या आगे क्रियान्वयन निषिद्ध किया गया है और यह लागू है, यदि प्रबंध निदेशक के लिए आवश्यक हो, तो यह बाजार समिति का कर्तव्य होगा, ऐसी कार्यवाही जिसके लिए बाजार समिति अधिकृत है यदि ऐसा संकल्प या आदेश पारित नहीं किया गया या नहीं दिया गया जो अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक को संकल्प या आदेश के तहत कुछ भी करने या रोकने के लिए आवश्यक है।

बाजार समिति और प्रबंध निदेशक / निदेशक को कार्यवाही के लिए बुलाने की शक्ति 125

(1) किसी भी लिए गए निर्णय या पारित आदेश की वैधानिकता और उपयुक्तता हेतु तथा बाजार समिति या निदेशक/प्रबंध निदेशक की कार्यवाही की नियमितता के रूप में, जैसा कि मामला हो सकता है, निदेशक/प्रबंध निदेशक, स्वववेक से या उनके पास किए गए आवेदन पर, किसी भी बाजार समिति को कार्यवाही हेतु बुला सकते हैं और जांच कर सकते हैं एवं झारखंड सरकार, अपने प्रस्ताव पर, या उनके पास किए गए आवेदन पर, जैसा भी मामला हो, स्वयं को या स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, निदेशक/प्रबंध निदेशक की कार्यवाही हेतु बुला सकते हैं और जांच कर सकते हैं। यदि किसी भी मामले में, यह निदेशक/प्रबंध निदेशक या सरकार को प्रतीत होता है कि इस तरह के किसी भी निर्णय या आदेश या कार्यवाही को संशोधित किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए, उलट दिया जाना चाहिए, या पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए या वह ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसे उचित हो।

परन्तु कि इस धारा के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए सरकार को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से साठ दिनों के भीतर आवेदित किया जाएगा, जिस दिन वह निर्णय या आदेश जिस पर संबंधित आवेदन आवेदक को सूचित किया गया था।

परन्तु कि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना इस तरह का कोई आदेश उप-धारा (1) के तहत पारित नहीं किया जाएगा।

(2) सरकार, बाजार समिति/निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा उप-धारा (1) के तहत उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिए गए निर्णय या आदेश के निष्पादन को निलंबित कर सकता है।

नुकसान, बर्बादी या हेराफेरी आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की देयता। 126

(1) इस अधिनियम की धारा-117 के अंतर्गत यदि पूछताछ या निरीक्षण के दौरान या अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या आरोपी जिसे बाजार समिति का प्रबंधन सौंपा गया था, बाजार समिति के भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रभारी अधिकारी, या बाजार

समिति का कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी या सरकार/प्रशासन के एक अधिकारी ने इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों के प्रावधानों के विपरीत किसी भी प्रयोजन के लिए पुष्टिकर मतदान या संबंधित कार्यवाही में सम्मिलित होकर या स्वीकृति या सहमति के द्वारा इस तरह की समिति से संबंधित या इसके नियंत्रण में किसी भी प्रकार का भुगतान या किसी भी पैसे या अन्य संपत्ति को हड़पा हो या इस हेतु निदेशित किया है या घोर लापरवाही या कदाचार के कारण हुए किसी भी तरह की कमी या नुकसान हुआ है या बाजार समिति से संबंधित किसी भी पैसे या अन्य संपत्ति के दुर्विनियोग या धोखे से कब्जे में रखा गया है, निदेशक/प्रबंध निदेशक स्वविवेक पर या बाजार समिति के आवेदन पर, खुद से पूछताछ कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को आदेश द्वारा विधिवत प्राधिकृत करते हुए इस मामले में लेखापरीक्षा की प्रतिवेदन, पूछताछ या निरीक्षण जैसा कि मामला हो, के दो वर्ष के भीतर ऐसे व्यक्ति के आचरण के बारे में पूछताछ करने के लिए लिखित रूप से निदेशित कर सकते हैं।

(2) यदि उप-धारा (1) के तहत की गई पूछताछ पर, निदेशक/प्रबंध निदेशक संतुष्ट हो कि उसके अधीन आदेश का औचित्य है, तो वह ऐसे व्यक्ति या आरोपी व्यक्ति के मामले में, उनके वैधानिक प्रतिनिधि जो उनके संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैंको पैसे या संपत्ति या किसी भी हिस्से को उचित दर पर ब्याज के साथ, चुकाने या अंशदान और जैसा कि उचित और न्याय संगत हो लागत या उस सीमा तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए आदेश दे सकते हैं।

परन्तु इस उपधारा के तहत कोई भी आदेश तब तक नहीं पारित किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को इस मामले में सुनवाई हेतु उपयुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

परन्तु कि आरोपी के वैधानिक प्रतिनिधि की देयता ऐसे वैधानिक प्रतिनिधि को विरासत में प्राप्त आरोपी के संपत्ति तक होगी।

(3) उप-धारा (2) के तहत किए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश के संप्रेषण की तिथि से तीस दिनों के भीतर, सरकार / प्रशासन से अपील कर सकता है और बाद का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा:

परन्तु कि सीमा की गणना करने में, आदेश के प्रति अपील प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।

(4) उप-धारा(2) या उप-धारा(3) के तहत पारित कोई आदेश कानून की किसी भी अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।

(5) उप-धारा(2) या उप-धारा(3) के तहत किया गया कोई भी आदेश, निदेशक/प्रबंध निदेशक के आवेदन पर, किसी भी स्थानीय

अनुसूची में संशोधन के लिए सरकार / प्रशासन की शक्ति।	127	न्यायाधिकार के सिविल कोर्ट द्वारा इस तरह के न्यायालय के एक फरमान की तरह से लागू किया जाएगा, या इस तरह के आदेश द्वारा भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि को भू-राजस्व के बकाया की तरह से वसूला जा सकता है। झारखंड सरकार, अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उपज के किसी भी वस्तु को अधिसूचना द्वारा जोड़ या संशोधित या हटा सकती है, और उसके अनुसार अनुसूची में संशोधन किया गया माना जाएगा: परन्तु कि गजट में पूर्व सूचना, जो 30 दिनों से कम नहीं होगा जैसा की झारखंड सरकार इस तरह की अधिसूचना जारी करने के अपने इरादे के बारे में उचित विचार कर सकता है, के प्रकाशन के बिना इस धारा के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।
दिशा/निर्देश देने के लिए सरकार / प्रशासन की शक्ति।	128	(1) झारखंड सरकार बोर्ड और बाजार समितियों को निर्देश दे सकता है। (2) बोर्ड और बाजार समितियाँ उप-धारा (1) के तहत सरकार/प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी।
बोर्ड / बाजार समिति के बकाया रकम की वसूली	129	इस अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या उपविधि के प्रावधान के तहत बाजार समिति या बोर्ड का किसी प्रकार का बकाया कर,लागत, खर्च, शुल्क, किराए और किसी अन्य बकाया के लिए कोई भी राशि भूमि राजस्व के बकाया वसूली की प्रक्रिया के अनुसार वसूलनीय होगी।
बाजार समिति और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और सेवक इत्यादि लोक सेवक होंगे	130	भारतीय दंड संहिता की धारा 21, 1860 (1860 का नंबर 45) के तहत बाजार समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अन्य अधिकारी और सेवक और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य सेवक को लोक सेवक माना जाएगा।
सरकार / प्रशासन द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन	131	झारखंड सरकार धारा 136 के तहत नियम बनाने की शक्तियों के अलावा उस पर या अधिनियम के तहत प्रदत्त कोई भी शक्ति, झारखंड सरकार के किसी भी अधिकारी, जो निदेशक के पद से नीचे नहीं हों, को सौंप सकता है। इस धारा के तहत प्रत्यायोजित अधिकारी अपनी शक्तियों को झारखंड सरकार के किसी भी अधिकारी, जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में उप निदेशक या भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून को सौंप सकता है।
सिविल मुकदमा से रोक और अच्छे नीयत से कार्य करने वाले व्यक्ति को संरक्षण	132	इस अधिनियम या नियम या उपविधि के तहत अच्छी नीयत में किए गए किसी भी मामले के संबंध में, निदेशक/प्रबंध निदेशक या झारखंड सरकार के अधिकारी के खिलाफ या बोर्ड या किसी बाजार समिति के खिलाफ या बोर्ड या किसी बाजार समिति के किसी अधिकारी या सेवक के खिलाफ या निदेशक/प्रबंध निदेशक या समिति या वैसे अधिकारी के निर्देशों के अनुसार काम करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या कानूनी

- कार्यवाही नहीं होगा ।
- सूचना के अभाव में मुकदमा करने पर रोक 133** अधिनियम की किसी भी धारा के बावजूद, बोर्ड या किसी भी बाजार समिति के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि कारण को स्पष्ट करते हुए वादी का नाम और निवास स्थान के बारे में बताते हुए लिखित नोटिस के बाद दो महीने की अवधि तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कथित कारण या कार्रवाई की तारीख से छह महीने के भीतर वाद दायर नहीं किये जाने पर ऐसे मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा ।
- जानकारी और सहायता देने के लिए स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य 134** यह प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह अपने अधिकारियों के पास या नियंत्रण में उस क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज की स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के अंदर और बाहर आवाजाही से संबंधित सभी सूचनाओं को बिना किसी भी शुल्क के बाजार समिति या उसके प्राधिकृत अधिकारियों को प्रदान करे।
- चुंगी के संग्रह से संबंधित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों का यह कर्तव्य भी होगा कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाजार समिति के किसी भी अधिकारी को हर संभव सहायता दे ।
- अधिनियम को अनौपचारिकता, रिक्ति आदि द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता 135** इस अधिनियम के तहत बोर्ड, बाजार समिति या बोर्ड द्वारा नियुक्त उप समिति द्वारा, की गई कार्रवाई या कार्यवाही को निम्न के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता
- (क) बोर्ड या उप-समिति के गठन में कोई रिक्ति या दोष; या
- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष या अनियमितता; या
- (ग) ऐसे अधिनियम या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता, तथ्यों को प्रभावित नहीं करते ।

अध्याय XIII

नियम और उपविधि

- नियम बनाने की शक्ति 136** (1) झारखंड सरकार, पूर्व प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जा सकते हैं-
- (i) धारा-8 और 9 के तहत क्रमशः वार्षिक प्रवाह क्षमता तथा आय

और आधारभूत संरचना के आधार पर "विशेष वस्तु बाजार प्रांगण (ऑ) और राष्ट्रीय महत्व के बाजार प्रांगण (ऑ) (एम0एन0आई0) की घोषणा और इसके लिए बाजार समिति का गठन;

(ii) धारा-14 (4) के तहत वार्षिक प्रवाह क्षमता तथा आय और आधारभूत संरचना के आधार पर बाजार समिति का वर्गीकरण;

(iii) धारा-17 (1) के तहत प्रथम बाजार समिति और उसके बाद के बाजार समिति के गठन की प्रक्रिया तथा प्रतिनिधियों की योग्यता ;

(iv) उपाध्यक्ष, किसान सदस्य और बाजार समिति के अन्य सदस्यों के चुनाव और इसके लिए सीटों का आरक्षण;

(v) बाजार समिति की बैठक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की छुट्टी, कोरम और बाजार समिति के कर्तव्य और शक्तियां;

(vi) धारा-42 के तहत उप-समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन; धारा-48 के तहत अनुबंध करने की विधि और धारा 50 के तहत बाजार समिति के सचिव की नियुक्ति;

(vii) सभी भार और मापकों और बाजार के प्रांगण में उपयोग में आने वाले भारक और मापक उपकरणों का समय-समय पर निरीक्षण;

(viii) धारा-51 के तहत बाजार समिति के सचिव की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य, बाजार समिति के लेखापाल और कर्मचारियों की युक्ति, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि।

(ix) धारा-64 (2) के उपनियम (i) के तहत बिक्री की मात्रा का निर्धारण;

(x) बाजार शुल्क की वसूली के लिए प्रक्रिया, बाजार शुल्क की चोरी के लिए जुर्माना और रिटर्न भरने में चूक के लिए शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया;

(xi) धारा-69 के तहत व्यापारी के अलावा अन्य बाजार प्रतिभागियों के अनुज्ञप्ति की स्वीकृति / नवीनीकरण / निलंबन/ रद्द करना;

(xii) धारा-70 एवं 71 के तहत एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति के स्वीकृति / नवीनीकरण / निलंबन / रद्द करने की प्रक्रिया

(xiii) धारा-72 के तहत अंतर-राज्य व्यापार के लिए एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति अनुमति देने की प्रक्रिया और इसकी काली सूचीकरण।

(xiv) निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना एवं प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति / नवीनीकरण / निलंबन / रद्द करने की प्रक्रिया;

(xv) थोक तदर्थ खरीदारों के पंजीकरण की प्रक्रिया और शर्त;

(xvi) वेयरहाउस / कोष्ठागार / शीत भंडारण या अन्य उप संरचना या स्थान को बाजार उप-प्रांगण घोषित करने की प्रक्रिया और नियम;

(xvii) उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान जिनके द्वारा और प्रपत्रों की प्रतियां और दस्तावेजों की प्रविष्टियों को बाजार समिति की लेखाबही में प्रमाणित किया जा सकता है और ऐसी प्रतियों की आपूर्ति के लिए लगाया जाने वाला शुल्क;

(xviii) एक बाजार प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज में किसी भी लेनदेन में किसी भी व्यक्ति द्वारा बकाया या प्राप्त किया जा सकने वाला व्यापार भत्ता;

(xix) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच और अनुज्ञप्तिधारियों और बाजार समिति के बीच विवाद निपटान का तरीका;

(xx) अधिसूचित कृषि उपज के एक खरीदार और विक्रेता या उनके एजेंटों के बीच विवादों, जिनमें वस्तुओं की गुणवत्ता या वजन के बारे में विवाद, बेची गई वस्तुओं की कीमत के संबंध में भुगतान और रैंपिंग, कंटेनरों, गंदगी या अन्य अशुद्धियाँ के लिए देय राशि या मध्यस्थता करना, मध्यस्थता या अन्य किसी भी कारण से कटौती; समाधान हेतु व्यवस्था ।

(xxi) बाजार समिति के खर्च पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निर्मित किए जाने वाले कार्यों के लिए योजनाओं और प्राक्कलनों की तैयारी, और ऐसी योजनाओं और अनुमानों को मंजूरी प्रदान करना;

(xxii) वह प्रपत्र, जिसमें किसी बाजार समिति के खातों को संधारित किया जाएगा, ऐसे अंकेक्षण का लेखा-जोखा और प्रकाशन और लेखा के अंकेक्षण ज्ञापन का निरीक्षण और इस तरह के ज्ञापन की आपूर्ति;

(xxiii) बाजार समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक बजट और रिपोर्ट और रिटर्न के अनुमोदन के लिए तैयारी और प्रस्तुत करना और धारा-97 (2) (v) के तहत बोर्ड के खातों के रखरखाव से संबंधित मुद्दे;

(xxiv) समय और प्रक्रिया, जब एक व्यापारी या कमीशन एजेंट बाजार समिति को, जैसा आवश्यक हो, रिटर्न प्रस्तुत करेगा;

(xxv) निजी क्षेत्र और गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के संवर्धन सहित गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रक्रिया। विपणन निदेशालय के तकनीकी सदस्य के साथ समिति का पुनर्गठन एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के संवर्धन हेतु निरीक्षण।

(xxvi) ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना

और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना;

(xxvii) बाजार समिति और अन्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कृषि उपज की आवक और कीमतों का रिकॉर्ड रखना;

(xxviii) वैसी प्रक्रिया, जिससे ई-नीलामी सहित कृषि उपज की नीलामी का आयोजन एवं बोली स्वीकार की जाएगी;

(xxix) इस अधिनियम के द्वारा या उसके तहत देय शुल्क की वसूली और निपटान;

(xxx) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों के तहत अपराधों की भरपाई और उसके तहत मुआवजा तय करना;

(xxxi) राज्य कृषि विपणन सेवाओं के गठन की प्रक्रिया

(xxxii) राज्य कृषि विपणन सेवा के सदस्यों की भर्ती, योग्यता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश, अवकाश भत्ता, कार्यकारी भत्ता, ऋण, पेंशन, ग्रेच्युटी, वार्षिकी, अनुकंपा निधि, बर्खास्तगी, निष्कासन, आचरण, विभागीय दंड, अपील और अन्य सेवा शर्तें

(xxxiii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने आदि के लिए मानदेय, परिवहन भत्ता, बैठक शुल्क और किसी भी अन्य भुगतान की सीमा;

(xxxiv) बाजार समिति कोष में अधिशेष के निवेश का तरीका;

(xxxv) निजी बाजार प्रांगण, बाजार उप-प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एवं प्रत्यक्ष विपणन के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विपणन विकास कोष में अंशदान (जमा राशि) के नियम और शर्तें एवं उसका व्यय;

(xxxvi) उपविधियों, उनके संशोधनों या रद्द करने और उनके पूर्ववर्ती और अंतिम प्रकाशन के लिए प्रक्रिया

(xxxvii) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल;

(xxxviii) बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ;

(xxxix) इस अधिनियम के तहत नियमों द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए आवश्यक सभी मामले;

(xl) इस अधिनियम के तहत सूचना तामिला तरीका;

(xli) बाजार समिति का सामान्य मार्गदर्शन।

(3) कोई भी नियम बनाने में, झारखण्ड सरकार/प्रशासन निर्देश दे सकती है कि इसके उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।

(4) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

उपविधि बनाने की शक्ति**137**

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, एक बाजार समिति अपने प्रबंधन के तहत एक प्रमुख बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण के संबंध में, उपविधि बना सकती है।

(i) बाजार समिति के व्यवसाय का विनियमन;

(ii) मुख्य बाजार प्रांगण और उप-बाजार प्रांगण में व्यापार की शर्तें;

(iii) अधिकारियों और सेवकों को शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का प्रत्यायोजन, नियुक्ति, वेतन, सजा, पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी, भत्ते, उनके द्वारा किसी भी भविष्य निधि में अंशदान जो ऐसे अधिकारियों और सेवकों के लाभ के लिए स्थापित किया जा सकता है, और सेवा की अन्य शर्तें;

(iv) किसी उप-समिति को कर्तव्यों और कार्यों का शक्ति प्रदत्त, यदि कोई हो;

(v) व्यापारियों के अलावा, बाजार के प्रतिभागी, जिन्हें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक होगा;

(vi) ई-व्यापार के लिए और गतिविधियों और सेवाओं से संबंधित प्रावधानों को सक्षम और नियमित करना;

(vii) इस अधिनियम के तहत कोई अन्य मामले जिनके लिए उपविधि बनाए जाने हैं या इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उपविधि को लागू करना आवश्यक हो सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी उपनियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।

(3) किसी भी उपविधि को बनाने के क्रम में बाजार समिति यह निर्देश दे सकती है कि इसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि दो हजार रुपये तक हो सकता है और जहां पहले के बाद उल्लंघन आगे चलकर लगातार होता है, तो जुर्माना दो सौ रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है।

अध्याय XIV**निरसन और बचाव****निरसन और बचाव****138**

(1) झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 को अंगीकृत करने संबंधी अधिसूचना संख्या-153 दिनांक-27.01.2001 यथा अद्यतन संशोधित को एतद द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद-

(i) निरसन इस प्रकार से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, और किसी भी ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत या द्वारा कुछ भी कृत या किए गए कार्रवाई (किसी भी नियुक्ति, किए गए प्रत्यायोजन या घोषणा, अधिसूचना, नियम के तहत, जारी निदेश या नोटिस, गठित

उपविधियाँ, घोषित स्थापित या अधिसूचित किए गए बाजार क्षेत्र, बाजार, उप-बाजार और प्रांगण, दिए गए अनुज्ञप्ति, लगाए गए और एकत्र किए गए शुल्क, निष्पादित साधन, किसी भी निधि की स्थापना या गठन सहित), जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, को इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया है या लिया गया माना जाएगा, और जब तक इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य या किसी भी कार्रवाई से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक लागू रहेगा;

(ii) झारखंड सरकार, जैसा कि यह आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, अधिसूचना के द्वारा इस तरह के प्रावधान कर सकता है-

(क) निरस्त अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना, आदेश, नियमों से विलोपन, जोड़ने और संशोधनों और अनुरूपण और संशोधनों के लिए; तथा

(ख) प्राधिकरण, अधिकारी या व्यक्ति, जो किसी भी निरस्त अधिनियम या किसी भी नियम, अधिसूचना और आदेश के तहत प्रयोग किए जाने वाले ऐसे कार्यों को, जो उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किए जा सकते हैं, को निर्दिष्ट करने के लिए सक्षम होगा।

(iii) जब तक झारखंड सरकार अन्यथा निर्देश न दे, बाजार समिति उपनियम (i) निर्दिष्ट होगा और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके सदस्य निरस्त अधिनियम के तहत उनके कार्यावधि समाप्ति या एक बाजार समिति के गठन तक, जो भी पहले हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यरत रहेंगे।

(iv) उप धारा (2) के उपनियम (ii) के तहत एक निदेश जारी करने पर, यदि बाजार समिति उस तिथि को भंग हो गई हो, धारा के प्रावधान उस निदेश में निर्दिष्ट तिथि से लागू होंगे।

कठिनाई को दूर करने की शक्ति

139 यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो झारखंड सरकार तत्काल आवश्यकतानुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले आदेश के द्वारा, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक या समीचीन कार्रवाई कर सकती है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

9 फरवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-02/2022-15—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-03/02/2023 को अनुमत झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

THE JHARKHAND STATE AGRICULTURAL PRODUCE AND LIVESTOCK MARKETING (PROMOTION & FACILITATION) ACT, 2022

(Jharkhand Act- 03, 2023)

An Act to provide for geographically restriction-free trade transaction of agricultural produce including livestock across the State of Jharkhand to give freedom to the agriculturists to sell their produce across time and space; to enhance transparency in trade operations and price settlement mechanism through adoption of electronic and other innovative form of technology; to promote emergence of multiple channels for competitive marketing, agri-processing and agricultural export; to encourage investments in development of markets and marketing infrastructure in the State of Jharkhand and whereas it is expedient to put in place facilitative regulation, professional management and conducive policy framework there for and purposes connected therewith and to lay down procedures and systems thereto.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS - Agriculture like any other enterprise can sustain, only when it can generate net positive returns to the producer. A market is a place, where a produce is transacted and price per unit is determined, resulting in the total value that a farmer-producer fetches. Since value returns impinge upon a farmer's income, agricultural markets and marketing efficiency become critical. In the light of the Government's vision to increase the farmers' income, it entails an urgent need to revisit the existing market structure of the state and bring in a more competitive marketing environment. This combined with improved levels of productivity and reduced cost of cultivation/production can drive agricultural growth, farmers' welfare, productive employment and economic prosperity in rural areas of the state. Organized wholesale marketing in the country is promoted through a network of regulated markets set up under the provisions of States' Agricultural Produce Marketing (Regulation) Bill. These market structures aimed at regulation and attainment of transparency in transactions, with a view to transferring remunerative prices to the farmer-producer. Over time, however, these markets have largely been rendered restrictive and monopolistic, falling well below the intended objectives. Further, the existing regulatory framework does not support free flow of agricultural produce; and direct interface of farmers with the processors /exporters/ bulk buyers / end users, and in sequel has let in large number of intermediaries who may or may not be adding any value along the value chain. This is neither advantageous to the farmers nor serves well the interests of the consumers. The profile of India's farm

produce is changing. It is getting more cosmopolitan with higher levels of outputs in the domain of horticulture, dairying, poultry and fisheries, besides of course increasing quanta of cereals, pulses and oilseeds. Since the onset of economic liberalization of the country in 1991, that state has also been experiencing visible changes in its transport and communication infrastructure besides penetration of internet and smart phones in the rural areas and greater technology-friendliness amongst the youths, who dominate the demography. With increasing purchasing power, mobility and changes in tastes and preferences, the consumers abetted by greater information and awareness are beginning to demand quality and differentiated products at rational price. The restrictive and monopoly-centric agricultural market structure as exists in the state today is not capable of permitting the producers to harvest the economic advantages of place, time and form value of their agricultural commodity.

2. These constraints can be overcome by replacing the current market structure and its regulatory framework by a more liberal and progressive law that allows free competition, promotes transparency, facilitates flow of commodities across space and time and encourages operation of multiple marketing channels by market players. What is needed is a barrier-free unified agricultural market for the state. The structure of agriculture is changing, and the sector is diversifying around cereals, pulses, oilseeds, commercial crops like cotton, horticultural crops, livestock, fisheries, poultry etc. It is, therefore, appropriate that a re-drafted and comprehensive Bill is adopted, that is promotional and facilitative in unifying the fragmented markets. What also needs to be appreciated is, that piecemeal amendments leading to patchy improvements will not serve the purpose of a growing Indian economy. The state's economy is more integrated with the national/global economy, than any time before. The provisions of the APMC Act, 2000 and 2008 therefore, need a comprehensive overhaul.

3. The salient features of **THE JHARKHAND STATE AGRICULTURAL PRODUCE AND LIVESTOCK MARKETING (PROMOTION & FACILITATION) ACT, 2022** are:

(i) Abolition of fragmentation of market within the Jharkhand State by removing the concept of notified market area in so far as enforcement of regulation by Agricultural Produce and Livestock Market Committee (APLMC) is concerned (Jharkhand State/level single market).

(ii) Full democratization of Market Committee and Jharkhand State Marketing Board.

(iii) Disintermediation of food supply chain by integration of farmers with processors, exporters, bulk retailers and consumers

(iv) Clear demarcation of the powers and functions between Director of Agricultural Marketing and Managing Director of Jharkhand State Agricultural Marketing Board with the objective that the former will have to largely carry out regulatory functions, while the latter will be mandated with developmental responsibilities under the Bill.

(v) Creation of a conducive environment for setting up and operating private wholesale market yards and farmer consumer market yards, so as to enhance competition among different markets and market players for the farmer's produce, to the advantage of the latter.

(vi) Promotion of direct interface between farmers and processors/ exporters/ bulk-buyers/ end users so as to reduce the price spread bringing advantage to both the producers & the consumers.

(vii) Enabling declaration of warehouses/ silos/ cold storages and other structures/ space as market sub –yard to provide better market access/ linkages to the farmers.

(viii) Giving freedom to the agriculturalists to sell their produce to the buyers and at the place & time of their choice, to whom so ever and wherever they get better prices.

(ix) Promotion of e-trading to enhance transparency in trade operations and integration of markets across geographies.

(x) Provisions for single point levy of market fee across the State and unified single trading licence to realise cost-effective transactions.

(xi) Promotion of national market for agriculture produce through provisioning of inter- state trading licence, grading and standardization and quality certification.

(xii) Rationalization of market fee & commission charges.

(xiii) Provision for Special Commodity Market yard(s) and Market yard(s) of National Importance (MNI).

(xiv) Providing a level playing field to the licensees of private market yard, private market sub-yard, electronic trading and direct marketing vis-à-vis the APMCs and removing the conflict of interest that the latter are likely to practice, if both development and regulatory functions are centered in the same authority.

An Act be enacted by the legislature of the state of Jharkhand in the Seventy-Three years of the republic of India as follows:

CHAPTER –I PRELIMINARY

Short title, extent, and commencement.

- 1.(1) This may be called “The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2022.
- (2) It extends to the whole of Jharkhand State.
- (3) It shall come into force on the date of notification by the State Government of Jharkhand.

Definition.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context -
 - (1) “**Administration**” means an administration of the Jharkhand State;
 - (2) “**Ad-hoc buyer**” includes a buyer to be registered under Section 79 of this Act;
 - (3) “**Agricultural produce**” includes all produce, whether processed or not, of agriculture, horticulture, apiculture, forest excluding trees grown on private land, specified in the schedule;
 - (4) “**Agriculturist**” means a person who is engaged in production of agricultural produce including rearing of livestock by himself or by hired labour or

otherwise, including tenant.

“Agriculturist” also includes association of farmers, by whatever name called, registered under any law for the time being in force and is engaged in aggregation of member farmers’ produce including livestock.

(Explanation: If a question arises, as to whether any person is an agriculturist or not for the purpose of this Act, the decision of the District Collector / Deputy Commissioner/ District Magistrate/ Officer In-charge of Land Revenue of the District by whatever name it may be called in which such person is engaged in production of agricultural produce and/or rearing of livestock, shall be final. Further, the expressions of land holder and tenant shall have the meaning assigned to them in the respective Land Reforms Bill of the Jharkhand State.

- (5) **“Assaying lab”** means a laboratory set up, as prescribed in the Rules/Bye-laws/guidelines/instructions, for testing of quality parameters as per the tradable parameters or grade-standards or any other parameters notified by the competent authority;
- (6) **“Board”** means the State Agricultural Marketing Board, established by respective State Government;
- (7) **“Buyer”** means a person, who himself or itself or on behalf of any person or agent buys or agrees to buy agricultural produce including livestock in the market;
- (8) **“Bye-laws”** means subject to any Rules made by State Government of Jharkhand Administration under this Act, the Market Committee may, in respect of principal market yard and sub-market yard(s) or other submarket-yard(s) under its management, make Bye-laws for the regulation of business and conditions of trading therein”;
- (9) **“Cold storage”** means cold storage declared as market sub-yard under Section 12 of this Act”;

- (10) **“Commission agent”** means a person who buys or sells agricultural produce including livestock on behalf of his principal, or facilitates buying and selling at primary and other level of transaction, on e-platform or any other mode of transaction and activities ancillary thereto, keeps it in his custody and controls it during the process of its sale or purchase, and collects payment thereof, if required, from the buyer and pays it to the seller, and receives by way of remuneration a commission or percentage upon the amount involved in such transaction;
- (11) **“Collector”** means District Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate.
- (12) **“Delineated Market Area”** means a geographical area notified under Section-5 for the purpose of election of the Members of Market Committee and undertaking marketing related development therein;
- (13) **“Director”** means Director of Agricultural Marketing or any other officer, excepting Managing Director of State Jharkhand Agricultural Marketing Board, appointed by the State Government Jharkhand State Administration, by notification to exercise and/or perform such of the powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act or the Rules, as may be prescribed in notification;
- (14) **“Direct marketing”** in relation to agricultural produce, means direct wholesale purchase of agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, bulk buyers, etc outside the principal market yard, sub-market yard, private market yard and market sub-yard under Section 13 of this Act;
- (15) **“Electronic trading”** means trading of notified agricultural produce including livestock in which registration, auctioning, billing, booking, contracting, negotiating, information exchanging, record keeping, and other connected activities are done electronically on computer network/ internet;
- (16) **“Electronic trading platform”** means electronic platform set up either by State Government Jharkhand Administration or its agencies or a person licenced under Section-54 for conducting trading in notified agricultural produce including

-
- livestock through electronic media or by any means of communication in which registration, buying and selling, billing, booking, contracting and negotiating are carried out online through computer network/ internet or any other such electronic device;
- (17) **“Export”** means dispatch of agricultural produce including livestock outside India;
- (18) **“Farmer-Consumer Market Yard”** means market yard established under Section 11 of this Act;
- (19) **“Farmer-Producer Company (FPC)”** means a company of farmer-producer members as defined in Section-IXA of the Indian Companies Act, 1956, including any amendments thereto, re-enactment thereof and incorporated with the Registrar of Companies;
- (20) **“Government”** means the State Government of Jharkhand State;
- (21) **“Government/ Administration Agency”** means Jharkhand State Agricultural Marketing Board/Directorate/ Jharkhand State Agricultural Marketing Board (JSAMB), Agricultural Produce and Livestock Market Committee (APLMC) established or constituted under this Act;
- (22) **“Licence”** means licence granted under the provisions of this Act;
- (23) **“Licencee”** means a person holding a licence issued under the provisions of this Act;
- (24) **“Livestock”** means cows, buffaloes, bullocks, bulls, goats and sheep, and includes poultry, fish and such other animals, and products thereof, specified in the schedule;
- (25) **“Managing Director”** means Managing Director of the Jharkhand State Agricultural Marketing Board or any other Officer, excepting the Director of Agricultural Marketing, appointed by the State Government of Jharkhand, to exercise and/or perform such of the powers and functions of the Managing Director or Chief Administrator or Administrator or Chief Executive Officer or Secretary, or by whatever name it is called, of the Jharkhand State Agricultural Marketing Board;

-
- (26) **“Market Committee”** means the Agricultural Produce and Livestock Market Committee established under the provisions of this Act or established under existing regulation;
- (27) **“Marketing”** in relation to agriculture produce means all activities involved in the flow of agricultural produce from production point commencing at the stage of harvest till the same reaches the ultimate consumers viz. grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;
- (28) **“Market Sub-Yard”** means warehouse/ silos/ cold storage, or other such structure or place declared to be market sub-yard or deem to be market sub-yard under Section 12;
- (29) **“Market Yard”** in relation to delineated market area includes principal market yard, sub-market yard and market sub-yard in such delineated market area notified by the Government/ Administration, and managed & operated by the Agricultural Produce and Livestock Market Committee;
- (30) **“Market Yard of National Importance”** means a market yard as notified under Section-9 of this Act;
- (31) **“National Agriculture Market (NAM)”** means an integrated market, without prejudice to any law for the time being in force, where buying and selling of notified agricultural produce including livestock and activities incidental thereto are carried out in India possessing marketing utility across time and space”
- (32) **“Notified Agricultural Produce and Livestock”** means agricultural produce and livestock, specified in the schedule of this Act;
- (33) **“Over trading”** in relation to a trader means the amount exceeding the value of the agricultural produce including livestock purchased at any point of time vis-à-vis to the amount of security deposited with or the bank guarantee he has furnished to the market committee;
- (34) **“Person”** includes individual, a co-operative society, Hindu Undivided Family, a company or firm or an association or a body of individuals, whether incorporated or not;

-
- (35) **“Petty Trader”** in relation to agricultural produce means a non-licensee trader under this Act who carries on purchasing or selling of notified agricultural produce in the quantity not exceeding of such quantity as specified in this Act and notified by the State Government of Jharkhand as retail ;
- (36) **“Prescribed”** means prescribed by Rules and/or Bye-laws made under this Act;
- (37) **“Private Market Yard”** means a market yard established under Section-10 of this Act;
- (38) **“Processing Unit”** means processing unit declared as market sub-yard under Section -12 of this Act”;
- (39) **“Processor”** in relation to agriculture produce means a person that undertakes processing of any notified agricultural produce on his own accord or on payment of a charge;
- (40) **“Registration”** means registration made under this Act for the purpose as specified;
- (41) **“Regulation”** means regulation made by the Board under Section-98 in accordance with the provisions of this Act;
- (42) **“Retail Sale”** in relation to a notified agricultural produce means, a sale not exceeding such quantity as specified in this Act and notified by the State Government of Jharkhand;
- (43) **“Revolving Market Development Fund”** means a non-lapsable Fund maintained by Director under Section 112 (1) of this Act;
- (44) **“Rules”** means rules made under this Act by the State Government of Jharkhand;
- (45) **“Seller”** means a person who sells or agrees to sell agricultural produce including livestock for consideration of price;
- (46) **“Schedule”** means the Schedule appended to this Act;
- (47) **“Silo”** means silo declared as market sub-yard under Section-12 of this Act ;

- (48) **“Special Commodity Market Yard”** means a market yard as notified under Section-8 of this Act;
- (49) **“Trader”** means, a person who buys notified agricultural produce including livestock either for himself or as an agent of one or more persons for the purpose of selling, processing, manufacturing or for any other purpose, as the case may be , except for the purpose of domestic consumption ;
- (50) **“Year”** means the year as may be notified by the State Government of Jharkhand;
- (51) **“Warehouse”** means warehouse declared as market sub-yard under Section 12 of this Act”.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF MARKETS

Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce and livestock.

- 3.(1) The Government/ Administration may, by notification in the official gazette, declare its intention of regulating the marketing of such agricultural produce and livestock, in the State of Jharkhand, as may be specified in the notification. The notification may be brought to the notice of the interested public by publishing in local language & English on widely circulated platforms/ media like newspapers, websites and such other formats.

Provided that no area within the limits of a municipality shall be included for regulation under this Act except after consultation with the municipal Board or municipal council, as the case may be.

- (2) The notification under sub-section (1) shall state that any objections or suggestions which may be received by the Government of Jharkhand within such period as shall be specified in the notification, not being less than thirty days, will be considered by the Government of Jharkhand.
- (3) Government of Jharkhand may hold consultations with Local bodies, including Panchayati Raj Institutions (PRIs), who own and operate rural periodical markets or haats or any other such markets for marketing of agricultural produce within their jurisdictional area, to bring such markets under the regulation of this Act, so as to develop these markets to efficiently function as marketing platform nearest to the farm gate.

Declaration of whole State of Jharkhand as one unified market area.

4. Subject to the notification made under Section-3 and after considering such objections and suggestions as may be received from any source before expiry of such period, the Government of Jharkhand may, by another notification, declare the whole State of Jharkhand as one unified market area specified in the notification issued under Section-3 for the purpose of regulation of marketing of all or any of the kinds of agricultural produce specified in the notification issued under Section-3 under this Act.

(Explanation – The area so declared shall be a single unified market area for the whole State of Jharkhand for regulation of marketing of notified agricultural produce and livestock).

Notification of delineated market area.

5. Subject to the provision made in Sections 3 and 4, the Government of Jharkhand may, by further notification, delineate geographical area for a Market Committee as a delineated market area for the purpose of election of the Members of such Market Committee.

(Explanation -The Market Committee shall not regulate marketing of notified agricultural produce and livestock in its delineated market area. The Market Committee will enforce regulation on marketing of notified agricultural produce and livestock within the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s).

Alteration/ Amalgamation of delineated market area and of items of agricultural produce and livestock.

6.(1) Subject to the procedure specified in Sections-3 and 5, Government of Jharkhand may, at any time by notification, exclude from any delineated market area, any area or include therein an additional area or split one delineated market area in two or more such areas or amalgamate two or more such areas in one delineated market area, or may exclude any notified agricultural produce and livestock from regulation, or include any agricultural produce and livestock, hitherto not regulated, for regulation under this Act.

(2) After the alteration of delineated market area or the items of agricultural produce and livestock, if any, under Section 6, it shall not be necessary for the Director to make any declaration under this section unless he is of the opinion that it is necessary to

declare any area, hitherto not declared, as delineated market area of any Market Committee.

Principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, private market sub-yard, farmer-consumer market yard, private farmer-consumer market and electronic trading platform.

7. (1) In a State of Jharkhand, there may be-
- (a) principal market yard(s) managed by the Market Committee;
 - (b) sub- market yard(s) managed by the Market Committee;
 - (c) market sub-yard (s) managed by the Market Committee;
 - (d) private market yard(s) managed by a person, holding a licence under Section-10 ;
 - (e) private market sub-yard(s) managed by a person ,holding a licence under Section-12 ;
 - (f) farmer-consumer market yard(s) managed by the Market Committee;
 - (g) private farmer-consumer market yard(s) managed by a person , holding a licence under Section-11 ;
 - (h) electronic trading platforms.
- (2) The Government of Jharkhand shall, as soon as possible after the issue of notification under Sections 4 and 5, by a notification, declare any 'place' in the delineated market area as principal market yard or sub-market yard or market sub-yard or farmer-consumer market yard, as the case may be, managed by a Market Committee, for the purpose of regulation of marketing of notified agricultural produce and livestock, expressly or impliedly in physical , electronic or other such mode, under this Act.
- Explanation-** In this sub-section (2) , the expression 'place' shall include any structure, enclosure, open space locality, street including warehouse/silos/pack house/cleaning, grading & packaging and processing unit vested in the Market Committee of the delineated market area.
- (3) The Government of Jharkhand may, by notification, declare a 'place', licenced under Section-73, to be private market yard, private market sub- yard, private farmer-consumer market yard, as the case may be, for marketing of notified agricultural produce and livestock, expressly or impliedly in physical, electronic or other such mode, under this Act.

Explanation- In this sub-section (3), the expression

'place' shall include any structure, enclosure, open space locality, street including warehouse/silos/pack house/cleaning grading & packaging and processing unit vested in the person licenced for the purpose under this Act.

Establishment and notification of "Special Commodity Market yard".

8. (1) Government of Jharkhand may designate the existing any market yard established under Section-7 (2) as "Special Commodity Market yard" or establish and notify any market yard as "Special Commodity Market yard" after consideration of such aspects as throughput of particular agriculture produce and livestock and special infrastructure requirements there for. It may be-
- (i). fruits, vegetables & flowers markets, including onion market, apple market, orange market and such other markets;
 - (ii). cotton market;
 - (iii) medicinal and aromatic plants market;
 - (iv).livestock market including camel market, fish market, poultry markets and such other markets;
 - or
 - (v) any other such markets.
- (2) All provisions for and in relation to the Market Committee made in the Act shall *mutatis mutandis* apply to the Market Committee established for "Special Commodity Market yard".

Establishment and notification of "Market yard of National Importance (MNI)".

9. Government of Jharkhand may designate and notify the existing any market yard established under Section-7 (2) as "Market yard of National Importance" or establish and notify any market as "Market yard of National Importance" after consideration of such aspects as total throughput, value, upstream catchment area, down-stream number of consumers served and special infrastructure requirements therefore.

Provided that the market yard handling not less than such annual tonnage or such annual value, as may be prescribed, may be considered for conferring the status as the "Market yard of National Importance".

Provided further that out of such annual tonnage or such annual value, 30 per cent may arrive from not less than two other States.

Establishment of private market yard.

10. (1) Subject to such reasonable conditions and such fee as may be prescribed, the Director or the Officer authorized by him may grant a license to a person to establish a private market yard, for trading of notified agricultural produce and livestock.
- (2) The private market yard licensee, or its management committee, by whatever name it is called, may register commission agents and other market functionaries to operate in the licenced private market yard.
- (3) The private market yard licensee, or its management committee, may collect user charge *advalorem* on notified agricultural produce and livestock transacted in the private market yard.-

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

Provided further that Government of Jharkhand in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.

- (4) The private market yard licensee shall contribute, of such user charge collection and registration fee, to the separate "Revolving Marketing Development Fund" maintained by the Director at the rate in percentage at par with Market Committee.
- (5) The Director will spend the money from such Fund under sub-section (4) in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the Jharkhand State.
- (6) The private market licensee shall formulate a Standard Operating Procedure (SOP) for conduct of business and activities ancillary thereto in the licensed private market yard.

Establishment of farmer-consumer market yard (direct sale of agricultural produce by farmer to consumer in retail).

- 11.(1) Subject to such terms & conditions and fee, as may be prescribed, the Director or the Officer authorized by him, may grant license to a person to establish farmer-consumer market yard for marketing of specified agricultural produce in retail.

- (2) Such farmer-consumer market yard may be established by a person by developing infrastructure, as may be prescribed, and at a place accessible to both farmer(s) and consumer(s)-

Provided that the consumer shall not purchase more than such quantity of agriculture produce at a time in this market, as may be prescribed.

- (3) The farmer-consumer market yard licensee may collect the user charge on the sale of agriculture produce from the seller and amount so realized shall be retained by farmer-consumer market yard licensee-

Provided further that Government of Jharkhand in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.

**Declaring
warehouse/silos/cold
storage or other
such structure or
place as market
sub-yard.**

- 12. (1)** Save as otherwise provided in this Act, the Government of Jharkhand may, by notification declare warehouse/ silos/ cold storage or other such structure or place with infrastructure and facilities as prescribed, to function as market sub-yard.

Explanation: the expression 'place' under this sub-section shall include any structure, enclosure, open space, locality, street including pack house/cleaning grading & processing unit etc.

- (2) The owner of such warehouse/ cold Storage, or other such structure or 'place', as the case may be, desirous of declaration of such place as market sub-yard under sub-section (1), shall apply to the Director or an Officer authorized by him, in such form and in such manner and such fee; and also, for such period but not less than three years, as may be prescribed.
- (3) The licensee of such warehouse/ silos/ cold storage or other such structure or place, may collect user charge *advalorem* on notified agricultural produce transacted at the declared market sub-yard under Section 12.

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

Provided further that Government of Jharkhand in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.

- (4) A declared market sub-yard licensee shall contribute, of such user charge collection, to the separate "Revolving Marketing Development Fund" maintained by the Director at the rate in percentage at par with Market Committee. The Fund will be utilized for the purposes and in the manner *mutatis mutandis* to Section 10 (5) of this Act.

Direct marketing (Wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub-market yard, private market yard)-

- 13. (1)** Collection/aggregation centres in the proximity of the production areas may be set up by a person with infrastructure, as may be prescribed, with linkage to retail chain, in accordance with the provisions of this Act and Rules made there under for marketing of notified agricultural produce.
- (i) wholesale purchase by a person with linkages to retail;
 - (ii) wholesale purchase by Farmers' Cooperative with linkages to retail ;
 - (iii) wholesale purchase by Farmers' Producer Organization (FPO); and
 - (iv) wholesale purchase by processor/exporter at their processing units/ premises.
- (2) Notwithstanding anything contained under sub-section (1), direct wholesale purchase can also be carried out outside the principal market yard, sub-market yard, private market yard by declaring the place of such purchase, as may be prescribed.
- (3) Direct marketing licensee shall have to maintain records and all accounts relating to daily trade transactions and shall submit monthly report, as may be prescribed, to the Licensing Authority.
- (4) The Licensing Authority can seek any type of additional information from the direct marketing licensee; and can also inspect and issue direction

relating to functioning of such wholesale purchases and the activities incidental thereto.

- (5) The direct marketing licensee shall be liable to pay twenty five percent of the applicable market fee on wholesale purchases made. The such licensee shall deposit the due amount towards "Revolving Marketing Development Fund" maintained by Director for the month by 7th day of the next month. The Fund will be utilized for the purposes and in the manner *mutatis mutandis* to Section 10 (5) of this Act.
- (6) Notwithstanding anything contained in the Essential Commodities Act, 1955 and Control Orders issued there under or any other law for the time being in force, the provision of stock limit shall not be applicable on such direct marketing licensee purchasing the agricultural produce for processing/ export to the extent of his/ its annual capacity of processing/ export. However, in case any dispute arises between the provisions of this Act and Essential Commodities Act, 1955, the latter shall prevail.

CHAPTER-III

CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE

Establishment of Market Committee and its incorporation.

14. (1) For every delineated market area, there shall be a Market Committee consisting of a Chairperson, a Vice-Chairperson and other Members.
- (2) Every Market Committee established under this Act shall be a body corporate by such name as the Government of Jharkhand may, by notification, specify. It shall have perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall, subject to such restrictions as are imposed by or under this Act, be competent to contract, acquire, hold, lease, sell or otherwise transfer any property, both immovable and movable and to do all other things necessary for the purpose for which it is established.

Provided that no immovable or moveable property the value of which exceeds the prescribed limits shall

be acquired or disposed of by the Market Committee without the prior permission of the Director.

Provided further that the Director may, for the reason to be recorded in writing, revoke such permission before the completion of the acquisition or execution of the deed, as the case may be.

Provided also that Market Committee may, with the prior approval of the Director and after obtaining valuation certificate from the prescribed officer, enter into agreement with the owner of any land or building and purchase such land or building.

- (3) Notwithstanding anything contained in any enactment for the time being in force, every Market Committee shall for all purposes, be deemed to be a local authority.
- (4) The Market Committee shall be classified by the Director, subject to the prescribed guidelines, considering throughput and other consideration as Director deems fit, for the purpose of laying down the norms for staff, establishment expenditure and other expenses and allowances required therefore.

**Vesting of
property of Local
Authority in
Market
Committee.**

15. (1) The Market Committee may require a local Authority to transfer to it any land or building belonging to the local Authority which is situated within the delineated market area and which, immediately before the establishment of the market yard was being used by the local Authority for the purposes of the market and the local Authority shall within one month of the receipt of the requisition, transfer the land and or building, as the case may be, to the Market Committee on such terms as may be agreed between them.
- (2) Where within a period of thirty days from the date of receipt of requisition by the local Authority under sub-section (1) no agreement is reached between the local Authority and the Market Committee under the said sub-section, the land or building required by the Market Committee shall vest in the Market Committee for the purposes of this Act and the Local authority shall be paid such compensation as may be determined by the Collector under sub-section (5).

Provided that no compensation shall be payable to a local Authority in respect of any land or building which

had been vested in it by virtue of the provision contained in the enactment relating to the Constitution of such local Authority without payment of any amount whatsoever may be, for such vesting.

Provided further that any party aggrieved by the order of the Collector may within thirty days from the date of such order, appeal to the Designated Officer of Jharkhand.

(3) The local Authority shall deliver possession of the land or building vesting in the Market Committee under sub-section (2) within a period of seven days from such vesting and on failure of the local Authority to do so, within the period aforesaid, the Collector shall take possession of the land or building and cause it to be delivered to the Market Committee.

(4) The Collector shall fix the amount of compensation for the land or building having regard to —

(i) the annual rent for which the building might reasonably be expected to be let from year to year;

(ii) the condition of the building;

(iii) the amount of compensation paid by the Local Authority for the acquisition of such land; and

(iv) the cost of the present value of any building erected or other work executed on the land by the Local Authority.

(5) The compensation fixed under sub-section (4) may, at the option of the Market Committee, be paid in lump sum or in reasonable number of equal installments with interest thereon as the Collector may fix.

Acquisition of land for Market Committee and /or Board.

16. (1) When any land within the delineated market area is required for the purposes of this Act, and the Board or the Market Committee is unable to acquire it by agreement, the Government of Jharkhand may, at the request of the Board or the Market Committee, as the case may be, proceed to acquire such land under the provisions of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and/or any other relevant Law, as amended up to date and on the payment of the applicable compensation awarded under that Act by the Board or Market Committee and of any other charges incurred by the Government of Jharkhand in connection with the acquisition, the land shall vest in the Board or the Market Committee, as the case may be.

Provided that once a proposal is made by the Market Committee, it shall not be withdrawn by it except for such reasons as may be approved by the Government of Jharkhand.

- (2) The Board or the Market Committee shall not, without the previous sanction of the Government of Jharkhand transfer any land which has been acquired for this purpose by the Board or the Market Committee under sub-section (1) or divert such land to a purpose other than the purpose for which it has been acquired.

Provided that the premises used for principal market yard, sub- market yard or for the purpose of the Board shall not be deemed to be included in the limits of the Municipal Corporation, Municipal Council, Notified Area, Gram Panchayat or a Special Area Development Authority, as the case may be.

Constitution of the first Market Committee.

17. (1) The first Market Committee shall be constituted, for the first time for a delineated market area declared after commencement of this Act, all the members thereof including Chairperson and Vice-Chairperson, shall be nominated by the Government of Jharkhand. The first Market Committee so constituted may consist of Members including Chairman and Vice-Chairperson, not less than fifteen, which may include ten agriculturist members, as may be prescribed. Other five Members may be-
- (i) three from Department of Agriculture, Animal Husbandry & Cooperative, Government of Jharkhand.
 - (ii) one from cooperative marketing society; and
 - (iii) one from Local Authority (Mahanagarpalika, Nagarpalika, Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be).

Provided that the Chairperson and Vice-Chairperson shall be so nominated from amongst the agriculturist members.

Provided further that Government of Jharkhand may abide by the reservation policy of the Government in nomination of agriculturist Members.

Provided also that the Government of Jharkhand may, if it considers expedient, instead of nominating the Members of the Market Committee constituted for the

first time, appoint an Administrator or the Board of Administrators; so, appointed, shall, for all purposes, be considered to be the committee constituted for the first time.

- (2) Government of Jharkhand or the Director shall, by an order, appoint a person to be the Officer-in-charge of the first Market Committee for a period not exceeding one year.

Provided that in the event of death, resignation, leave or suspension of the officer-in-charge, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as may be, by appointment of a person thereto by the Government of Jharkhand or the Director and until such appointment is made, a person deputed/ nominated by the Director shall act as Officer-in-charge. The services of Officer-in-charge shall be coterminous with the first Market Committee.

- (3) The members including the Chairperson and Vice-Chairperson of the first Market Committee constituted under sub-section (1) shall hold office for a period not exceeding one year from the day of notification of constitution of the committee.

Provided that if new Market Committee is constituted before the expiry of period aforesaid, Members including the Chairperson and Vice-Chairperson shall cease to function on the date appointed for the first general meeting of the newly constituted Market Committee.

Provided further that Government of Jharkhand or the Director may, on proven misconduct, even before expiry of the period aforesaid, dismiss any Member including the Chairperson and Vice-Chairperson. In such event, a casual vacancy shall be deemed to have occurred and such vacancy shall be filled, as soon as may be, by nomination of a person thereto, as the case may be, by the Government of Jharkhand or the Director.

Constitution of the second and subsequent Market Committee.

18. (1) Save as provided in Section 17, a Market Committee constituted for a term of five years from the date of notification of its constitution, shall consist of –
nominated and a Vice-Chairperson elected under Section 23 as the case may be;

(b) ten representatives of agriculturists possessing such qualifications, as may be prescribed, chosen by direct election from the constituencies of a delineated market area in accordance with the provisions of this Act and the Rules made there under-

Provided that no agriculturist may be qualified to be elected as representative of agriculturists of the second Market Committee unless he has sold his agricultural produce at least once in preceding one year, or five times in five years for subsequent Market Committee, in the principal market yard or sub-market yard falling in the delineated market area.

(c) One representative of traders resident of a delineated market area, possessing such qualifications, as may be prescribed, elected from amongst the licenced traders resident of such delineated market area-

Provided that no trader shall be a voter of more than one Market Committee at a time.

Provided further that he is otherwise not disqualified for being so elected under the provisions of this Act or any other law for time being in force.

(d) One representative of licenced commission agent , possessing such qualifications, as may be prescribed, elected from amongst the licence holder commission agents , granted by the Market Committee-

Provided that no commission agent shall be a voter of more than one Market Committee at a time.

Provided further that he is otherwise not disqualified for being so elected under the provisions of this Act or any other law for time being in force.

(e) One representative of the weighmen, hammals and other market functionaries, possessing such qualifications, as may be prescribed, elected from amongst the licence holder weighmen, hammals and other market functionaries, granted by Market Committee-

Provided that no weighmen, hammals and other market functionaries shall be a voter of more than one Market Committee at a time.

Provided further that he is otherwise not disqualified for being so elected under the provisions of this Act or any other law for time being in force.

- (2) Every Market Committee will have following other committee Members-

(a) One representative of the co-operative marketing society functioning in the delineated market area who shall be elected by the managing committee of such society-

Provided that if more than one such society functions in the delineated market area, such Member shall be elected by all the Members of the managing committees of such societies.

Provided further that nothing in this clause shall apply if the managing committee of any society stands superseded under the provisions of the State Co-operative Societies Act;

(b) An officer of the agriculture/horticulture department of the Government of Jharkhand to be nominated by the Director of Agriculture/Horticulture.

(c) One representative of the Gram Panchayat or Zilla Parishad that falls within the jurisdiction of the delineated market area nominated by the Chairperson of the Zilla Panchayat-

- (3) Only Members under sub-section (1) shall have a right to vote.
- (4) Government of Jharkhand may make Rules for the preparation of voters' list and conduct of election.
- (5) Every election and nomination of the Member shall be notified by the Collector/Director in the official gazette.
- (6) No person may be Member of the Market Committee more than two terms.

Division of delineated market area for constituencies and reservation of seat.

19. (1) The Collector shall, by notification or otherwise, divide a delineated market area into as much number of constituencies equal to the number of the representatives of the agriculturist to be chosen from such area but not less than ten.
- (2) In case of direct election for agriculturist Members to a Market Committee, reservation of seats for scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women will be as per the Government policy, as may be prescribed.

Qualification to vote and be the representative of agriculturist.

20. (1) Every person-

(a) whose name is entered as land owner in the village land records or is a tenant as per the Jharkhand respective Land Reforms Act ;

(b) who has completed the age of 18 years; and

(c) whose name is included in the voter's list prepared under the provisions of this Act and the Rules made there under, shall be qualified to vote at the election of a representative of agriculturists-

Provided that no person shall be eligible to vote in more than one constituency.

(2) No person shall be qualified to be elected as a representative of agriculturists unless-

(a) his name is included in the list of voters as agriculturist of the delineated market area;

(b) he is otherwise not disqualified for being so elected under the provisions of this Act or any other law for time being in force.

(3) No person shall be eligible for election for more than one Market Committee or constituency as the case may be.

Provision for election.

for

21. Subject to the provisions of this Act, Vice-Chairperson, Members of the Market Committee shall be elected in the manner prescribed in the Rules. Such Rules may provide also for preparation and maintenance of the lists of voters and their qualification and disqualification, the payment of deposits and their forfeitures, reservation of seats and all matters connected thereto.

Superintendence, direction and control of elections.

22.(1) Subject to the directions of the Director, the superintended, direction and control of the preparation of the lists of voters for and the conduct of all elections to the Market Committee, shall be vested in the District Collector.

(2) Government of Jharkhand shall make available to the District Collector such staff and Funds as may be necessary for the discharge of the functions and responsibilities conferred on District Collector under this Act.

(3) All expenditure in connection with or incidental to the election of Vice-Chairperson and Members to the

Nomination of Chairperson and Election of Vice-Chairperson.		Market Committee shall be met from the consolidated Fund of the Jharkhand State.
	(4)	Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, Government of Jharkhand or State Election Commission or any other body authorized therefore may issue instructions relating to all matters connected with elections to the Market Committee including directions for cancellation of the calendar of events or postponement of polls.
	23. (1)	The Chairperson shall be Nominated by the State Government, who will be any person/public representative.
	(1) (a)	Every person shall, unless disqualified under the provisions of this Act or any other law for time being in force, as the Vice-Chairperson of the Market Committee, be qualified to be elected by direct election by the persons qualified to vote for the election of representatives of agriculturists under Section 20, traders, commission agents and other market functionaries under Section 18 – Provided that no person shall be eligible for election as Vice-Chairperson unless he is qualified to be elected under Section 20.
	(2)	Reservation of seats to election of the Vice-Chairperson for scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women will be as per the Government policy, as may be prescribed.
	(3)	No person shall be eligible to contest election simultaneously for office of the Vice-Chairperson and a Member.
	(4)	If any delineated market area fails to elect a Vice-Chairperson, fresh election proceedings shall be initiated to fill the office within six months – Provided that pending the Nomination of Chairperson under this sub-section the Vice-Chairperson elected shall discharge all the functions of the Chairperson.
		Provided, further that pending the nomination of Chairperson and election of Vice-Chairperson under this sub-section, the officer authorized by the Director shall discharge all the functions of the Chairperson.
Term of the office of Chairperson, Vice-Chairperson	24.(1)	The Chairperson nominated by the Govt. shall hold office for a term of 5 years from the day of assuming the office or till the continuation of Market Committee, or till

and Members.

he enjoys as pleasure of the Govt. whichever is earlier.

(1(a)) Vice-chairperson and elected Member shall, save as otherwise provided in this Act, hold office for term of 5 years from the day of assuming the office or till the continuation of Market Committee, whichever is earlier.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person who is a nominated Member of Market Committee by virtue of being a representative of co-operative marketing society, agriculture/ horticulture department and Gram Panchayat or Zilla Panchayat, as the case may be, shall cease to be such member on his ceasing to be a Member of the managing committee of the society or Gram Panchayat or Zilla Panchayat concerned by efflux of his term of office or otherwise, or re-nomination by the department, as the case may be.

Commencement of terms of office of Chairperson, Vice-Chairperson and Members.

25. (1) The term of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and elected Members of a Market Committee shall commence on the date immediately after the expiry of the term of office of the outgoing office bearer of the Market Committee or on the date of first meeting of the committee convened.

(2) When not less than half of representative of agriculturists, and not less than half of total members to the Market Committee are available to function as Members after general election or at any time, the Market Committee shall, notwithstanding anything contained in this Act, be deemed to be duly constituted or duly functional, and such Market Committee shall be competent to exercise the powers and perform the functions of the Market Committee.

Resignation of Members.

26. A Member of the Market Committee other than *ex officio* Member may resign from his membership in writing delivered or caused to be delivered to the Chairperson of the Market Committee who shall acknowledge the receipt of same and the seat of such Member shall become vacant on the expiry of fifteen days from the date of acknowledgement of resignation unless within such period such Member withdraws his resignation in writing addressed to the Chairperson.

Resignation by Chairperson and Vice-Chairperson and vacancy in their office.

27. (1) The Chairperson and Vice-Chairperson may resign from their office at any time in writing addressed to the Minister, in-charge of agricultural marketing and the Chairperson respectively; and the office shall become vacant on the expiry of fifteen clear days from the date of such resignation, unless within the said period of fifteen days they withdraw the resignation in writing addressed to the Minister, in-charge of agricultural marketing or Chairperson, as the case may be.

Removal of the Chairperson and No confidence motion against Vice-Chairperson.

- (2) During the vacancy caused by resignation, death, removal or otherwise in the office of the Chairperson, the Vice-chairperson, shall exercise the powers and perform the functions of the Chairperson till the Chairperson is duly nominated, and if the office of Vice Chairperson is also vacant, then notwithstanding anything contained in this Act, the Director may, with the prior approval of Minister, in-charge of agricultural marketing, appoint an Officer, who shall exercise the powers and perform the functions of the Chairperson till the Chairperson is duly nominated. During the vacancy caused by resignation, death, removal or otherwise in the office of the Vice-Chairperson, the Chairperson shall exercise the powers and perform the functions of the Vice –Chairperson till the Vice –Chairperson is duly elected.

28. (1) The government may remove the nominated chairperson at its discretion at any time.

(1(a)) A motion of no confidence may be moved against the Vice-Chairperson at a meeting specially convened for the purpose under sub-section (2), and if the motion is passed by a majority of the total Members of the Committee and not less than two-third of the Members present and voted, cease to be the Vice-Chairperson, as the case may be.

(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Market Committee shall be held in the prescribed manner within thirty days of the date of receipt of the notice of motion of no confidence. No *ex officio* Member of the Market Committee shall move the notice of no confidence. The ex-officio Member shall also not have power to vote on “no confidence motion” brought.

(3) The Vice-Chairperson shall not preside over the meeting even in the absence of chairperson in any case, but such meeting shall be presided over by an Officer, which the Director may, in consultation with Minister, in-charge of agricultural marketing, appoint for the purpose. However, the Vice-Chairperson as the case may be, shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the meeting.

(4) If the motion of no confidence is not accorded as aforesaid or if the meeting could not be held for want of quorum, no notice of any subsequent motion expressing vote of confidence in the same Vice-Chairperson shall be made until after the expiry of six months from the date of such scheduled meeting.

Leave of absence to Chairperson and Vice-Chairperson and consequences of absence without leave.	29.(1) Subject to the Rules made in this behalf, every Chairperson and every Vice-Chairperson officiating as Chairperson, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Minister, in-charge of agricultural marketing, shall cease to be the Chairperson on and from the date on which such third meeting is held. (2) Subject to the provisions of sub-section (1), every Vice-Chairperson, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Chairperson, shall cease to be the Vice-Chairperson on and from the date on which such third meeting is held. (3) Leave under sub-section (1) or (2) shall not be granted for six consecutive meetings of the Market Committee. Whenever such leave in extreme exigencies as prescribed is granted to the Chairperson or Vice-Chairperson, the Market Committee shall elect such eligible members to discharge the duties and functions as Chairperson and Vice-Chairperson of the Market Committee, as may be prescribed.
Refusal to hand over the charge to new Chairperson or Vice-Chairperson.	30.(1) On nomination of the Chairperson or election of Vice-chairperson, as the case may be, the outgoing Chairperson or Vice-Chairperson shall forthwith hand over the charge of his office to the successor in office. (2) If the outgoing Chairperson or Vice-Chairperson fails or refuses to hand over the charge of his office, under sub-section (1), the Director or any Officer authorized by him in this behalf may, with the prior approval of Minister, in-charge of agricultural marketing, by order in writing direct the outgoing Chairperson or Vice-Chairperson, as the case may be, forthwith to hand over the charge of his office together with all records, Funds and property of the Market Committee, if any, in his possession. (3) If the outgoing Chairperson or Vice-Chairperson to whom a direction has been issued under sub-section (2) does not comply with such direction, the Director or any Officer authorized in this behalf shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while executing a decree.
Seizure and taking possession of record and property of Market Committee under certain	31. (1) Where the Director/Managing Director is satisfied that the books and records of a Market Committee are likely to be suppressed, tampered with or destroyed, or the funds and property of a Market Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Director/Managing Director may order for seizure and taking possession of the record and property of the Market Committee (2) On receipt of the Order under sub-section (1), the police

conditions.

officer not below the rank of sub-Inspector of the local area shall enter and search any place where the records and property are kept or are likely to be kept and to seize them and hand over possession thereof to the Director/ Managing Director or the person authorized by him, as the case may be.

**Establishment
and Composition
of Market
Committee of
MNI.**

32.(1) Save as provided under Section 14(1), the Government of Jharkhand may, by notification, constitute a separate Market Committee for effective implementation of provisions of this Act for such market yard(s) located in the State of Jharkhand which is / are considered as the Market yards of "National Importance" (MNI).

(2) All provisions for and in relation to the Market Committee, including nomination of Chairperson and election of Vice-chairperson and Members made in the Act, shall *mutatis mutandis* apply to the Market Committee constituted for "Market yard of National Importance".

(3) Save as provided under Section 18, Market Committee of Market yard of National Importance **shall consist of**

—

(i) Chairperson..... 1

(ii) Vice-Chairperson 1

(iii) Agriculturist.....10

including 2 agriculturists one each from two other States where from arrivals are received in the MNI(to be nominated by respective State Governments on receipts of requests for such nomination received from the Govt. where MNI is located)

(iv) Trader holding the single unified licence, resident of a delineated market area, possessing such qualifications, as may be prescribed, elected from amongst the licenced traders resident of such delineated market area of MNI..... 1

(v) Trader holding the inter-state trading licence nominated by Government of Jharkhand, as may be prescribed -----1

(vi) One representative of licenced commission agent as member , as may be prescribed-----1

(vii) Agricultural Marketing Adviser to the GOI or

his nominee not below the rank of Under Secretary to Gol -----1

(viii) CEO/ Municipal Commissioner of the area or his nominee -----1

(ix) Chief Town Planner or the authority exercising such powers or his nominee-----1

(x) Director or his nominee (ex-officio) not below the rank of Under Secretary to the GOI-----1

(xi) M.D. ,JSAMB (ex- officio) or his nominee not below the rank of Under Secretary to the GOI-----1

(xii) Executive Member (to be appointed by the Government of Jharkhand, who shall function as the Secretary or CEO of Market Committee of MNI)-----1

Appointment and functions of Secretary of the Market Committee of MNI.

33. The Secretary functioning as CEO of the Market Committee shall be appointed by the Government of Jharkhand from amongst the State's Jharkhand Civil Service Officers at least with ten years of service or from the panel of professionals so maintained or on deputation from Central/ State Government with experience of 10 years in agricultural marketing.

Executive Committee of MNI.

34.(1) The Executive Committee for MNI shall consist of -

- (i) Chairperson of MNI..... 1
- (ii) Trader holding the single unified licence of MNI.....1
- (iii) Director or his nominee (ex-officio) not below the rank of Under Secretary to Gol.....1
- (iv) M.D. ,JSAMB (ex- officio) or his nominee not below the rank of Under Secretary to Gol.....1
- (v) Executive Member of the Market Committee of MNI who shall be as the member Secretary of the Executive Committee 1

(2) In case of emergency, the executive committee may decide issues requiring approval of the Market Committee. However, such decisions shall be approved by the Market Committee within forty five days from the

date such decisions are taken. Failure in doing so or in event of disapproval of such decisions by the market committee, such decision shall stand null and void, so however, that any such disapproval shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that decision.

Provided that if the Market Committee makes any modifications in such decision, the decision shall have effect only in such modified from the date of such modification.

- (3) The Executive Committee shall meet as often as necessary but at least once in a calendar month.

Term of office of Members of the Executive Committee of MNI.
Other provision of this Act also to apply to Market yard of National Importance.

35. The Members of the executive committee shall hold the office during the pleasure of the Government of Jharkhand.
36. All other provisions of this Act, not specified for "Market yard of National Importance", shall *mutatis mutandis* apply to MNI established and notified under Section 9 of this Act.

CHAPTER-IV

CONDUCT OF BUSINESS AND POWERS AND DUTIES OF CHAIRPERSON, VICE-CHAIRPERSON, SECRETARY AND MARKET COMMITTEE

Powers and duties of Chairperson.

- 37.(1) Without prejudice to the powers conferred under any other provision of this Act, the Chairperson of the Market Committee shall be the chief controlling and supervising officer of the Market Committee
- (2) The Chairperson shall-
- (a) preside over the meetings of the Market Committee and the sub-committees and conduct business of such meetings;
 - (b) watch over the financial, developmental and executive administration;
 - (c) in case of emergency, direct the execution of stoppage of any work or the doing of any act which requires the sanction of the Market Committee.

Powers and duties of Vice – Chairperson.	38.	The Vice–Chairperson of the Market Committee shall- (a) save as otherwise provided in this Act or the Rules , in the absence of Chairperson, preside over the meeting of the Market Committee; (b) exercise the powers and perform the duties of the Chairperson pending the election of the Chairperson or during the absence of the Chairperson.
Meeting etc. of the Market Committee.	39.	A Market Committee shall meet for the transaction of its business at least once in every month on such date and at such time , as the Chairperson may determine- Provided that the Market Committee may, in special circumstances meet at any time and at any place in the delineated market area, as may be prescribed.
Quorum and procedure at meeting.	40.	One-third of the total number of Members of Market Committee shall form a quorum for transacting the business at a meeting of the committee. The procedure of the meeting will be followed, as may be prescribed.
Powers and duties of the Market Committee.	41.(1)	Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Market Committee- (i) To implement the provisions of this Act, the Rules and the Bye-laws made there under in the principal market yard, sub-market yard (s) and market sub-yard(s). (ii) To provide such facilities for marketing of notified agricultural produce including livestock therein as the Director/Managing Director or the Government of Jharkhand may from time to time direct. (iii) To perform such other acts as may be required in relation to the superintendence, direction and control of principal market yard, sub-market yard (s) and market sub-yard(s) or for facilitating marketing of notified agricultural produce including livestock therein, and for the purposes connected with the matters aforesaid, and for that purpose may exercise such powers and discharge such functions as may be provided by or under this Act. (iv) To do all such other acts to bring about complete transparency in pricing system and transactions taking place in the principal market yard, sub-market yard (s) and market sub-yard (s).

-
- (2) Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, Market Committee shall -
- (i) maintain and manage the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s) within the delineated market area;
 - (ii) provide the necessary facilities for the marketing of notified agricultural produce including livestock within the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard (s) in the delineated market area;
 - (iii) grant/ renew a licence to market functionaries, except traders, or refuse it to do so;
 - (iv) suspend or cancel licence granted/ renewed to market functionaries, except traders, and supervise the conduct of the market functionaries and enforce conditions of licence;
 - (v) regulate or supervise the auction, including e-auction of notified agricultural produce including livestock in accordance with the provision and procedure laid down under the Rules made under this Act or Bye-laws of the Market Committee ;
 - (vi) regulate the making, carrying out and enforcement or cancellation of agreements of sales, weighment, delivery, payment and all other matters relating to the market of notified agricultural produce including livestock in the manner prescribed;
 - (vii) provide for the settlement of all disputes between the seller and the buyer arising out on any kind of transaction, including online, connected with the marketing of notified agricultural produce including livestock and all matters ancillary thereto;
 - (viii) promote Public Private Partnership for carrying out extension activities in its delineated market area viz., collection, maintenance and dissemination of information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of notified agricultural produce;
 - (ix) take measures for the prevention of purchases and sales below the minimum support prices as fixed by the government from time to time;
 - (x) levy, take, recover and receive rates, charges, fees and other sums of money to which the Market Committee is entitled;
 - (xi) employ the necessary number of Officers and servants for the efficient implementation of the provisions of this Act, the Rules and the Bye-laws as prescribed;
 - (xii) prosecute persons for violating the provisions

of this Act, the Rules and the Bye-laws and compound such offences;

(xiii) acquire land and dispose of any moveable or immovable property for the purpose of efficiently carrying out its duties;

(xiv) impose penalties on persons who contravenes the provisions of this Act, the Rules or the Bye-laws or the orders or directions issued under this Act, the Rules or the Bye-laws by the Market Committee, its Chairperson or by any Officer duly authorized in this behalf;

(xv) institute or defend any suit, prosecution, action, proceeding, application or arbitration and compromise such suit, action proceeding, application or arbitration;

(xvi) handle the issues relating to pay, pension, allowances, gratuities, contribution towards leave allowance, provident Fund of the officers and servants employed by the Market Committee in the manner prescribed;

(xvii) administer Market Committee Fund referred to in Section-82 and maintain the account thereof in the prescribed manner;

(xviii) carry out publicity about the benefits of regulation, the system of transaction, facilities provided in the principal market yard, sub-market yard (s), etc. through such means as poster, pamphlets, hoardings, cinema slides, film shows, group meetings, electronic media etc., or through any other means considered more effective or necessary; and

(xix) ensure payment in respect of transactions which take place in the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s) or at e-platforms to be made on the same day to the seller or in the maximum next day, if procedurally so required. In default to make the payment as aforesaid, provisions of Section 65(2) will apply. Save as provided in this clause, procedure of payment to the seller in case of e-trading will be *mutatis mutandis* to Section 59(2).

(3) Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, Market Committee may—

(i) take all possible steps to prevent adulteration of notified agricultural produce including livestock, if any;

(ii) set up and promote Public Private Partnership in management of the agricultural markets;

- (iii) promote linking of consumers to farmers or their groups through appropriate digital technology;
- (iv) regulate the entry of persons and vehicles, traffic into the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s) vesting in the Market Committee;
- (v) inspect and verify scales, weights and measures in use in a market yard and sub-market yard and also the books of accounts and other documents maintained by the market functionaries in such manner as may be prescribed;
- (vi) arrange to obtain fitness (health) certificate from veterinary doctor in respect of animals, cattle birds etc., which are bought or sold in the principal market yards, sub-market yard(s), and market sub-yard(s);
- (vii) recover the charges in respect of weighmen and hammals (loaders) and distribute the same to weighmen and hammals (loaders/unloaders) if not paid by the purchaser/seller as the case may be;
- (viii) collect and maintain information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of notified agricultural produce and disseminate such information as directed by the Director/Managing Director/Government of Jharkhand;
- (ix) reasonably act in the manner that traders do not hoard the agricultural produce and market functionaries may not form any cartel to jeopardize the interest of agriculturist –sellers.

(4) With the prior sanction of the Director/Managing Director, the Market Committee may undertake -

- (i) construction of internal/connecting roads, godowns and other infrastructure in the principal market yard, sub-market yard (s), market sub-yard (s) and delineated market area to facilitate marketing of agricultural produce including livestock and for the purpose give grant or advance Funds to the Board, or any other Department or undertaking of the State Government or any other agency authorized by the Director/ Managing Director;
- (ii) maintenance of stocks of fertilizer, pesticides, improved seeds, agricultural equipments, inputs for sale and establish Soil Testing Laboratories; and

		(iii) to provide on rent storage facilities for stocking of agricultural produce to agriculturists.
	(5)	To promote and encourage e-trading, Market Committee may establish regulatory system, create infrastructure and undertake other activities and steps needed thereto.
	(6)	Market Committee may establish or allow to be established 3 rd party assaying /testing labs, and, therefore, constitute a committee, as may be prescribed, to promote assaying, grading and activities and services incidental thereto;
Appointment of sub-committee and delegation of powers.	42.	Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Market Committee may appoint one or more sub-committees consisting of such Members of the committee, as it may think fit, for the performance of any of its duties or functions, as it may think fit to assign.
Power to borrow.	43.(1)	The Market Committee may, with the previous sanction of the Director/Managing Director, raise money from banks, financial institutions or issue debentures required for carrying out the purpose for which it is established on the security of any property vested in it and of any fees/user charge leviable by it under this Act.
	(2)	The Market Committee may, for the purpose of meeting the initial expenditure on lands, building, staff and equipments required for establishing the market, obtain a loan from the Government of Jharkhand or State Jharkhand Agricultural Marketing Board or other financial institution.
	(3)	The conditions subject to which money or loan under sub-section (2) shall be raised or obtained and the time within which the same shall be repayable shall be subject to the previous sanction of the Government/Administration or the Director or the Managing Director.
Compounding of offences.	44.(1)	The Market Committee may accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence (other than contravention of Section 64) against this Act or the Rules or Bye-laws, made there under by way of compounding of such offence —

		(a) Where the offence consists of the failure to pay or the evasion of any fee/user charge, or other amount recoverable under this Act or the Rules or the Bye-laws in addition to the fee/user charge or other amount so recoverable a sum of money not less than the amount of the fee or other amount and not more than five times the amount of fee or other amount to the maximum extent of rupees ten thousand. (b) In other cases a sum of money not exceeding ten thousand rupees.
	(2)	On the compounding of any offence under sub-section (1), no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such an offence, and if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any court, the compounding shall have effect of his acquittal.
Power to write off irrecoverable fee etc.	45.	The Market Committee may write off any fee/user charge or amount whatsoever due to it, whether under a contract or otherwise, or any amount payable in addition therewith if in its opinion such a fee/user charge or an amount is irrecoverable. Provided that the Market Committee shall, before writing off any such fee/ user charge, or amount obtain the sanction of the Managing Director, if the fee or amount exceeds rupees twenty five thousand.
Power to remove encroachment on market yard.	46.	Any officer or servant of the Market Committee, empowered by the Government of Jharkhand in this behalf, shall have power to remove any encroachment in a space in the principal market yard and sub-market yard (s) and the expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said encroachment and shall be recovered in the same manner as arrears of land revenue.
Use of weighing instruments, weight and measure, their inspection.	47.(1)	Only electronic weighing instruments which also satisfy the requirements of such weights and measures as are prescribed by the State Weights and Measure Act and the Rules made thereunder shall be used for weighing or measuring agricultural produce including livestock, as required, in the principal market yard, sub-market yard (s), market sub-yard(s), private market yard (s) and farmer – consumer market yard(s)-

Provided that in transactions of sale and purchase of agricultural produce including livestock, as the case may be, electronic balance shall preferably be used.

- (2) Weighing instruments, weights and measures kept by the committee under this section may at any time be inspected, examined and checked by the Director or the Managing Director or any other authorized Officer.

Mode of making contract.

- 48.(1) Every contract or agreement entered into by a Market Committee for the purchase, sale, lease, mortgage or other transfer of, or acquisition of interest in immovable property shall, in writing, be executed on behalf of Market Committee jointly by its Chairperson, Vice- Chairperson and the Secretary, with the sanction of the Market Committee, as may be prescribed.
- (2) No contract other than a contract executed as provided in sub-section (1) shall be valid and binding on the Market Committee.

Act of Market Committee etc. not to be invalidated.

49. No act of Market Committee or of any sub-committee thereof or of any person acting as a member, Chairperson, Vice-Chairperson, presiding authority or the Secretary shall be deemed to be invalid by reason only of some defect in the constitution or appointment of such Market Committee, sub-committee, Members, Chairperson, Vice-Chairperson, presiding authority or the Secretary or on the ground that they or any of them were disqualified for such office, or that formal notice of the intention to hold a meeting of the committee or of the sub-committee was not given duly or by reason of such act having been done during the period of any vacancy in the office of the Chairperson, Vice-chairperson or the Secretary or Member of such committee or sub-committee or for any other informality not affecting the merits of the case.

CHAPTER -V STAFF OF MARKET COMMITTEE

Secretary of Market Committee. 50. Every Market Committee shall have a Secretary , who shall be the chief executive of the Market Committee administering principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s) and the custodian of all the records and properties of the principal market yards, sub-market yard(s) and market sub-yard(s) in the delineated market area-

Provided that the Secretary should be graduate in agriculture/horticulture, agricultural economics/ marketing/agribusiness and has also undergone minimum three months in-service training or such training undertaken after recruitment.

Provided further that Director/ Managing Director may maintain a panel of professionals, which may include professionals from open market, for appointing to the post of Secretary to the Market Committee, as may be prescribed in the Rules. The Director/ Managing Director shall have powers to appoint Secretary from the services of the Government of Jharkhand Board and on deputation also and such appointments shall be binding on the Market Committee.

Powers, functions and duties of the Secretary. 51. The Secretary shall exercise and perform the following functions and duties in addition to such other duties as may be specified in this Act, the Rules or Bye-laws, namely-

(i) To convene the meetings of the Market Committee and of the sub-committees, if any, and maintain minutes of the proceedings thereof.

(ii) To attend the meetings of the Market Committee and of every sub-committee and take part in the discussions but shall not move any resolution or vote at any such meeting.

(iii) To take action to give effect to the resolution of the committee and of the sub-committees, and report about all actions taken in pursuance of such resolution to the committee as soon as possible.

(iv) To prepare the budget proposal.

(v) To furnish to the Market Committee such returns, statements, estimates, statistics and reports as the Market Committee may from time to time, require including reports regarding-

(a) fines and penalties levied on and any disciplinary action taken against the Members of the staff and the market functionaries and others;

(b) over-trading by any trader;

(c) contravention of the provisions of the Act, the Rules, the Bye-laws , the standing orders by any person;

(d) suspension or cancellation of licence by the Chairperson or the Director; and

(e) administration of the Market Committee and the regulation of the marketing in the principal market yard, sub-market yard (s) and market sub-yard(s) .

(vi) To produce before the Market Committee such documents, books, registers and the likes as may be necessary for the transaction of the business of the committee or the sub-committee, and also whenever called upon by the Market Committee to do so.

(vii) To exercise supervision and control over the acts of all officers and servants of the Market Committee.

(viii) To collect fees/user charge and other money leviable by or due to the Market Committee.

(ix) To be responsible for all moneys credited to or received on behalf of the Market Committee.

(x) To make disbursements of all moneys lawfully payable by the Market Committee.

(xi) To report to the Chairperson and the Director/ Managing Director as soon as possible in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of Market Committee Fund or property.

(xiii) To prefer complaints in respect of prosecutions to be launched on behalf of the Market Committee and conduct proceedings, civil or criminal, on behalf of the Market Committee.

Appointment of Accountant.

- 52.** The Director/ Managing Director may, with such qualification as may be prescribed in Rules/Bye-laws , appoint an accountant, who shall be responsible for maintenance of books of accounts of the Market Committee and assist the Secretary in discharge of his duties and perform of such duties as may be delegated to him by the Market Committee or the Secretary.

Appointment of staff by the Market Committee.

- 53.(1)** Every Market Committee may appoint such other Officers and servants as may be necessary and proper for the efficient discharge of its duties:

Provided that no post shall be created save with the prior sanction of the Director/ Managing Director.

- (2) Subject to provisions in this Act/Rules , the Market Committee may make Bye-laws for regulating the appointment, pay, leave, leave allowances, pensions, gratuities, contribution to provident Fund and other conditions of service of Officers and servants appointed under sub-section (1) and for providing for the delegation of powers , duties and functions to them.
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act or any Rules or Bye-laws made thereunder, the Director/Managing Director may, subject to the conditions specified in sub-section (4) , transfer on deputation any Officer or servant of any Market Committee carrying a maximum scale of pay as prescribed to any other Market Committee of the Revenue Division and it shall not be necessary for the Director/ Managing Director to consult either the Market Committee or the Officer or servant concerned before passing an order of transfer on deputation under this sub-section.
- (4) The Officer or servant concerned transferred under sub-section (3) shall,-
- (a) have his lien on the post held in the parent Market Committee ;
- (b) not be put to disadvantageous position in respect of pay and allowances which he would have been entitled to, had he continued in the parent Market Committee ;

(c) be entitled to deputation allowance at such rate as the Director/Managing Director may by general or special order, specify; and

(d) be governed by such other terms and conditions including disciplinary control as the Director/Managing Director may, by general or special orders, specify.

CHAPTER-VI

E-TRADING

Establishment/Promotion of electronic trading platform.

54.(1) No person shall establish and run any electronic trading platform for trading in notified agricultural produce including livestock without obtaining a licence under this Section.

(2) Save as provided in sub-section (1), the Government of Jharkhand or its agencies may, however, establish and run e-trading platform for trading in notified agricultural produce including livestock, as may be prescribed.

Grant/ Renewal of licence to establish electronic trading platform.

55.(1) Any person desirous of establishing an e-trading platform under Section 54 (1) shall apply to the Director or the Officer authorized by him in such form and manner along with such fee and security/ bank guarantee and fulfilling such conditions, as may be prescribed.

(2) The application received under sub-section (1) for grant or renewal of licence may be accepted or rejected for reasons recorded in writing by the Licensing Authority –

Provided that the application received under this section shall be liable to be rejected on the condition(s) *mutatis mutandis* to condition(s) laid down for private market yard under Section 73.

(3) The e-trading platform managed and operated by a person or Government of Jharkhand or its agencies, as the case may be, shall provide all infrastructures and services connected to e-trading, as may be prescribed.

(4) The licensee or its management committee, may collect user charge on sale transaction of notified agricultural produce including livestock on the e-trading platform-

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

Provided further that Government of Jharkhand in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.

- (5) The e-trading platform licensee shall contribute, of such user charge collection, to the separate "Revolvin Marketing Development Fund" maintained by the Director at the rate in percentage at par with APMLC. The Fund will be utilized for the purposes and in the manner *mutatis mutandis* to Section 10 (5) of this Act.

Integration of warehouses/silos/ cold storages or other such structure or space, declared as market sub-yard to e-platform.

56. A licence holder under Section 73 (1) for market sub- yard , desirous to link to e-platform of Government of India, may apply, through concerned Government of Jharkhand, or its agencies, to the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare, in the form and manner , as may be prescribed.

Integration of private market.

57. A licensee of private market yard, desirous of integrating with e-trading portal, may apply through State Government of Jharkhand or its agencies to the Central Government, as may be prescribed.

Interoperability of e-trading platforms.

58. In order to evolve a unified National Agricultural Market and integrate various e-platforms, the applications in the e-platform(s) should be interoperable as per specifications and standards laid down by the Director or the Authority designated therefore.

Payment to the sellers and maintenance of accounts.

- 59.(1) Notwithstanding anything contained in this Act, payment of notified agricultural produce including livestock traded on electronic platform shall be made same day of the sale transaction to the seller or in the maximum next day, if procedurally so required. In procedural exigencies on electronic trading, the payment to the seller may be made as prescribed in Rules and Bye-laws.

	(2)	The licensee or APLMC, as the case may be, shall maintain accounts of all the transactions taken place on electronic platform and submit such periodical reports and returns to the Managing Director or the authorized Officer, at such time and in such forms, as may be specified by the competent authority, from time to time.
Suspension or Cancellation of licence of electronic trading platform.	60.	The Director may, for the reasons to be recorded, specifying the breach of any provision of Act/Rules/Bye-laws, instructions, orders, suspend or cancel the licence, granted under Section 55, by passing a speaking order. Provided that no order for suspension or cancellation of licence shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.
Dispute settlement-	61.	Any dispute arising between/among licensees of e-trading platforms, or between /among the licensees and APLMC agencies, shall be resolved by the Director or the Officer authorized by him, in summary manner within thirty days, after giving the parties reasonable opportunity of being heard.
(i) between/ among licensees under Section 55(1); and (ii) between/ among licensee and APMC.		
Dispute settlement with regard to intra-State trade – transaction.	62.	In case of any dispute with regard to intra-State transaction on e-platform, the redressal thereof shall be done at the level of management committee of the licensee or the Market Committee, as the case may be, through an administrative process, or through the process of conciliation and arbitration, or otherwise within seven working days, while in case of perishables it shall be within three working days. The management committee or Market Committee, as the case may be, shall dispose of the matter by issuing speaking order.
Dispute settlement with regard to Inter-State trade transaction	63.	In case of any dispute arising out of inter-State trade transaction on e-platform or any other such platform, the Government of Jharkhand can subscribe to become part of such Authority, which may be constituted by the Union Government or State Government under the existing law or any law to be framed therefor.

CHAPTER-VII REGULATION OF TRADING

Sale-transaction of notified agricultural produce.

64. (1) All notified agricultural produce including livestock shall ordinarily be sold in the principal market yards, sub-market yards and market sub-yards licenced under this Act or not, private market yards or at the electronic trading platforms -

Provided that the notified agricultural produce including livestock may be sold at other places also to a licence holder especially permitted in this behalf under this Act.

(2) In relation to agricultural produce, nothing in the sub-section (1) shall apply to the following sale and purchase where -

(i) sale is made by the producer himself to any person for his domestic consumption in quantity up to the limits prescribed under the Rules;

(ii) brought for sale by head load;

(iii) purchase and sale is made by a petty trader;

(iv) purchase is made by an authorized fair price shop dealer from the Food Corporation of India, "the State Commodities Trading Corporation" or any other agency or institution authorized by the Central or/ and State Government of Jharkhand for distribution of essential commodities through the public distribution system; and

(v) the transfer of such agricultural produce to a cooperative society for the purpose of securing an advance there from.

(3) In relation to livestock, nothing in the sub-section (1) shall apply on the business of purchasing or selling of livestock not exceeding such value, as may be prescribed.

(4) The price of the notified agricultural produce including livestock, brought for sale into the principal market yards, sub-market yards, private market yards, market sub-yards shall

be settled by tender bid or open auction including e-auction or any other transparent system and no deduction shall be made from the agreed price on any account whatsoever from the seller.

- (5) Weighment or measurement or counting of all the notified agricultural produce including livestock so purchased shall be done by such a person and such system as is provided in the Bye-laws or at any other place specified for the purpose by the Market Committee.

Terms and procedure of buying and selling.

65. (1) Except in the commercial transaction between two traders, any other person who buys notified agricultural produce including livestock in the principal market yards, sub-market yards and market sub-yards, shall execute an agreement in triplicate in such form, as may be prescribed in favour of the seller. One copy of the agreement shall be kept by the buyer, one copy shall be supplied to the seller and the remaining copy shall be kept in the record of Market Committee.

- (2) (a) The price of the notified agricultural produce transacted in the principal market yards, sub-market yards, private market yards, market sub-yards or at e-platforms shall be paid on the same day to the seller or in the maximum next day if procedurally so required. Payment on notified agricultural produce shall also be made to agriculturist-seller, if sold to the direct marketing licensee, on the same day there itself.

(b) In case purchaser does not make payment under clause (a), he shall be liable to make additional payment at the rate of one percent, per day of the total price of the agricultural produce, payable to the seller within five days.

(c) In case the purchaser does not make payment with additional payment to the seller under clause (a) and (b) above, within five days from the day of such purchase, his licence shall be deemed to have been cancelled on the sixth day and he shall not be granted any licence or permitted to operate under this Act for a period of one year from the date of such cancellation.

- (3) Commission agent shall recover his/its

commission from his/ its principal trader at the rate not exceeding two percent *ad valorem* on transacted non- perishable agricultural produce; while in case of perishable agricultural produce, it shall not exceed 4 percent *ad valorem* on transacted produce, including all expenses as may be incurred by him in storage of the produce and other services rendered by him/ it.

Provided that no commission shall be collected from farmer-seller.

Levy of market fee (single point levy of market fee).

66.(1)

The Market Committee shall levy and collect market fee from buyer in respect of notified agricultural produce including livestock bought by such buyer in the principal market yard or sub -market yard(s) or market sub-yard(s) either brought from outside the State of Jharkhand or from within the State of Jharkhand, at such rate as may be notified but not exceeding two percent *ad valorem* on transacted produce in case of non-perishable agricultural produce and not exceeding one percent *ad valorem* in case of perishable agricultural produce and livestock.

Provided that Market fee specified under this section shall not be levied for the second time, in whatever name it is called, i.e. cess, user charge ,service charge, etc., in any principal market yard, sub -market yard, market sub-yard, private market yard, electronic trading platform within the State of Jharkhand provided that market fee at applicable rate has already been paid on that notified agricultural produce in any principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, electronic trading platform of the State of Jharkhand and the evidence to this effect has been furnished , by the concerned person that market fee has already been paid as aforesaid in the State of Jharkhand.

Provided further that in case of commercial transactions between traders, the market fee shall be collected and paid by the seller.

			Provided also in case buyer is not licensee and seller is farmer, the liability of payment of market fee shall be of commission agent, who will collect the market fee from buyer and deposit to the Market Committee.
		(2)	The Market Committee may levy and collect entrance fee on vehicles which may enter into market yard(s) at such rate as may be specified in Bye-laws. Provided that no such fee shall be levies and collected from agriculturists–sellers.
Levy of user charge by Market Committee.		67.(1)	Notwithstanding anything contained in this Act, the Market Committee may allow trade even in those item (s) of the agricultural produce including livestock which is/are not notified for regulation under the Act or are not specified in the schedule to the Act for regulation.
		(2)	The Market Committee may collect user charge, as prescribed in Bye-laws, for allowing trade as provided under sub-section (1) at the rate not exceeding two percent <i>ad valorem</i> in case of non-perishable transacted agricultural produce and not exceeding one percent <i>ad valorem</i> in case of perishable agricultural produce and livestock.
		(3)	Save as otherwise provided in this Act, Market Committee shall neither enforce regulation nor levy and collect applicable market fee on sale-transactions of fruits and vegetables taking place outside the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard (s).
Power to grant exemption from market fee.		68.	The State Government of Jharkhand may, by notification and subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified therein, exempt in whole or in part any agricultural produce including livestock brought for sale or bought or sold in the principal market yards, sub-market yards and market sub-yards specified in such notification, from the payment of market fee for such period as may be specified therein. Any notification issued under this section may be rescinded before the expiry of the period for which it was to have remained in force, and on such rescission such notification shall cease to be in force.

**Grant /Renewal of
licence to market
functionaries other
than traders.**

69.(1) Subject to the provisions of this Act and Rules made in this behalf, every person who, in respect of notified agricultural produce including livestock, desires to operate in the principal market yard or sub-market yard or market sub-yard as commission agent, weighman, measurer, hammal (loader-unloader) or such other market functionary, except trader, shall apply to the Market Committee for grant or renewal of licence in such form and such manner as may be prescribed.

(2) The Market Committee or its Chairperson, if so authorized by the Market Committee may, on an application made under sub-section (1) and after making such inquiries as it deemed fit, grant or renew the licence, or may refuse to grant or renew any such licence on the basis of one or more of the following reasons-

- (i) The applicant is minor or not *bonafide*.
- (ii) The applicant has been declared defaulter under the Act or Rules made there under and Bye-laws.
- (iii) The applicant has been found guilty under the Act.
- (iv) Any dues relating to Market Committee and/or Board and/or department/directorate of agricultural marketing are outstanding against the applicant.
- (v) Any other reason(s), as may be prescribed.

(3) The Market Committee or its Chairperson, if so authorized under sub-section (2) shall dispose of the application received under sub-section (1) within twenty days from such date when application is complete in all respects.

Explanation: The Market Committee shall, on scrutiny of application and the documents annexed therewith within five working days from the date of its receipt, grant /renew the licence within twenty working days from such date when

application is found complete in all respects; or may, after recording the reason (s) in writing therefor, refuse to do so.

- (4) On expiry of a period of twenty working days as under sub-section (3), if the application has not been disposed off, it shall be deemed that licence has been granted or renewed, as the case may be.
- (5) The Market Committee or its Chairperson, if so authorized may, for reasons to be recorded, specifying the breach of any provision of Act/Rules/Bye-laws, instructions, orders, suspend or cancel the licence ,granted under this section , by passing a speaking order-

Provided that no order for suspension or cancellation of licence shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.

Grant / Renewal of unified single trading licence.

- 70.(1) There shall be a single licence applicable to the whole of the State of Jharkhand for the trader to be granted/ renewed by the Director or the Officer authorized by him in such manner and in such form, as may be prescribed, to operate as trader in any principal market yard, sub-market yard, market sub-yard private market yard & sub-yard, e-trading platform or any other space identified for the purpose, in the State of Jharkhand. The existing trader licences granted by the Market Committees shall be converted into State of Jharkhand wide single trader licence by the Director or the Officer authorized by him, within six months from the date of commencement of the Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022. Until then, the existing trader licences granted by the Market Committees are deemed to have been the State of Jharkhand wide single trader licences.

Explanation –Private market licensee or other such licensee or its management committee may, register the unified single trading licence holder issued by Director or the Officer authorized by him, to allow to operate in such market yards.

- (2) Any person desirous of obtaining or renewing a licence under sub-section (1) as trader, shall apply to the Director or the Officer authorized by him in Form with reasonable fee, as may be prescribed.

(3) Subject to provisions of this Act and the Rules made in this behalf, the Director or the Officer authorized by him, on application under sub-section (2), after making such inquiries as deemed fit, may grant or renew the licence in the form and for such a period, as may be prescribed:

Provided that notwithstanding anything contained in this Act and the Rules, there shall be no consideration of domicile, compulsory requirement of purchase /collection centre and minimal quantity for grant/ renew of such licence;

Provided further that such licence granted or renewed shall entail to the licensee to carry out trade of any form i.e. primary or secondary or whatsoever, without any discrimination.

**Suspension or 71.(1)
Cancellation of
unified single trading
licence granted/
renewed under
Section 70.**

The Director or the Officer authorized by him may, after such inquiry as he deems fit to make and after giving , in the prescribed manner , the licensee a reasonable opportunity of being heard , suspend or cancel a licence issued under Section 70 on any of the following ground(s):

- (a) that, the licence has been obtained through willful misrepresentation or fraud;
- (b) that, the licensee himself or in collusion with other licensee(s) commits any act or obtains from carrying on his normal business in the market with intention to willfully obstruct , suspend or stop the marketing of notified agricultural produce in any type of market and in consequence whereof, the marketing of notified agricultural produce has been obstructed, suspended or stopped ;
- (c) that, the licensee is found to have contravened any of the provisions of this Act or the Rules or Bye-laws;
- (d) that, the licensee has been convicted of an offence punishable under this Act or Rules or regulations;
- (e) that, the licensee has become insolvent; or
- (f) that, the licensee incurs any disqualification on grounds prescribed.

	(2)	Having been licence suspended/cancelled under this section , the holder of such licence shall forthwith produce the same in the office of the Director or the Officer authorized for being endorsed in the prescribed manner and shall not be entitled to any claim on account of such suspension/cancellation any compensation or refund of the whole or any part of the licence fee or any of the other money.
Grant / Renewal of licence for inter-state trade.	72.(1)	Save as otherwise provided in this Act, there shall be a nation-wide single licence for inter-state trade to be granted/renewed by the Director or by the Officer authorized by him in such manner and in form, as may be prescribed, to operate on e-platform, as trader in any of the principal market yards, sub-market yards, private markets yards or at any 'place' identified for the purpose, in the country. Explanation: the expression 'place' under this sub-section shall include any structure, enclosure, open space, locality, street including warehouse/silos/pack house/cleaning, grading & processing unit etc. situated within the delineated market area. \ (2) Any person, holding unified single licence under Section 70, desirous of obtaining or renewing a licence for inter-state trade under Section 72(1), shall apply to the Director or the Officer authorized by him in specified application form with requisite fee, as may be prescribed. (3) Subject to the provision under sub-section (2) and the Rules made there under, the Director or the Officer authorized by him, on application, after making such inquiries as he deems fit , may grant or renew the licence in the form and manner for such a period, <i>mutatis mutandis</i> to Section 70, as may be prescribed. (4) Notwithstanding anything contained in this Act, inter-state trade licence holder issued by any State of Jharkhand shall be permitted to undertake trade transaction across the country on e-platform or any other format that may be in operation.

-
- (5) Every Government of Jharkhand shall, for inter-state trade licence, use unique code for issue of such licence, as may be prescribed.
- (6) The inter-state trade licence holder shall be liable to pay the market fee and other marketing charges at the rate applicable in the State of Jharkhand, in the manner as may be prescribed.
- (7) The inter-state trade licence holder shall deposit a minimum of five percent of the value of the lot/livestock to be transacted online with the bid, as assessed or estimated, as may be prescribed.
- (8) Notwithstanding anything contained in this section, inter-state trade licence holder shall follow the *modus operandi* of trading, mode of payment, delivery of produce including logistics as prescribed in the Rules and Bye-laws made there under.
- (9) In case of contravention of any of the provisions of this Act/ Rules/ Bye-laws or instructions or orders, the Director/ Managing Director/ APLMC shall, after giving an opportunity to be heard, blacklist such licensee for trading purpose only in the State of Jharkhand for a certain period or forever based on gravity of breach/violation of provisions of this Act/ Rules/ Bye-laws or instructions or orders.

Explanation: The expression 'blacklisting' for a certain period to be deemed to be suspended for such a period in the State of Jharkhand, while 'forever' deemed to have been cancelled in the, state for trading purpose only.

- (10) The Director/ Managing Director/ APLMC may, simultaneously submit a proposal detailing the type and nature of contravention with evidence, to the licence issuing Authority for taking the further appropriate action.

Grant/Renewal of licence for private market yard, farmer-consumer market yard and market sub-yard.

- 73.(1)** Any person who, under Section 10, desires to establish private market yard, or under Section 11, desires to establish farmer-consumer market yard, or under Section 12 to be desirous of such a place being declared as market sub -yard, shall apply to the Director or the Officer authorized by him for grant or renewal of licence, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period but not less than three years, as may be prescribed.

- (2) An application for grant or renewal of licence, as the case may be, for private market yard or farmer-consumer market yard or market sub – yard under Section 73 (1), shall be accompanied with such reasonable licence fee and security/ bank guarantee, as may be prescribed.
- (3) An application received under sub-section (1) for grant or renewal of licence may be accepted or rejected for the reasons recorded in writing by the Licensing Authority –

Provided that the application received under this Section shall be liable to be rejected on the condition(s) :

- (i) that, the applicant is a minor or not *bona fide*;
 - (ii) that, the applicant has been declared defaulter under the Act and Rules and Bye-laws made there under;
 - (iii) that, any dues relating to Market Committee and/or Board and/or department/directorate of agricultural marketing are outstanding against the applicant;
 - (iv) that, the concerned authority is satisfied that the applicant does not possess the infrastructure credentials, experience or adequate capital for investment or any other requirements as may be prescribed for establishment of a private market yard or farmer-consumer market yard; and/ or
 - (v) for any other reasons, as may be prescribed.
- (4) The licence granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the licence as prescribed. The licensee shall also follow the provisions of this Act and Rules made thereunder.

Suspension or Cancellation of licence granted /renewed under Section 73.	74.(1) Subject to the provisions of Section 73, the Licensing Authority, as the case may be, may for the reasons to be communicated to the licence holder in writing, suspend or cancel the licence, if: (a) the licence has been obtained through willful misrepresentation or fraud; and/or (b) the holder of licence or its representative or anyone acting on his behalf with his expressed or implied permission, commits a breach of any of the Rules, regulations and terms or conditions of licence; and/or (c) the holder of licence himself or in combination with other licence holder commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce; and/ or (d) the holder of the licence has become insolvent; and/or (e) the holder of the licence incurs any disqualification, as may be prescribed; and/or (f) the holder of the licence is convicted of any offence under this Act. (2) No licence shall be suspended or cancelled under this section without giving a reasonable opportunity of being heard to its holder. (3) Subject to the provisions of Section 74, the Licensing Authority shall communicate to the licence holder by speaking order to suspend or cancel its licence granted or renewal under Section 73.
Grant/ Renewal of licence for direct marketing.	75.(1) Any person, including a Farmers' Cooperative, Farmers' Producer Organization (FPO) and Processor/Exporter, under Section 13, desires to purchase agricultural produce directly from farmers outside the principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, shall apply to the Director or the Officer authorized by him for grant or renewal of licence, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period, as may be prescribed.

	(2)	An application for direct marketing shall accompany such reasonable licence fee and security/ bank guarantee, as may be prescribed.
	(3)	The application received under Section 75 (1) for grant or renewal of licence may be accepted or rejected in the cause and manner <i>mutatis mutandis</i> to Section 73(3).
	(4)	A direct marketing licence granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the licence as prescribed. The licensee shall also follow the provisions of this Act and Rules made thereunder.
Suspension or Cancellation of direct marketing licence.	76.	Subject to the provisions of Section 13, the Licensing Authority, who has issued the licence, may suspend or cancel the licence granted/ renewed under Section 75 in the cause and manner <i>mutatis mutandis</i> to Section 74.
Dispute settlement-	77.	Any dispute arising between/among licensees for private market yard, farmer-consumer market yard, market sub-yard and direct marketing, or between/among licensee (s) and APLMC (s) may be resolved by the Director or the Officer authorized by him, in a summary manner within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.
(i) between/ among licensees		
(ii) between/ among licensee and APMC		
Appeal.	78. (1)	Any person aggrieved by the order of the Director or the Officer authorized by him, passed under Section 61 & 77, as the case may be, may prefer an appeal to the Government/ Administration or the Officer authorized by it, in the form and manner as prescribed, within thirty days from the date of receipt of such order. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.
	(2)	Any person aggrieved by the order of the Market Committee or management committee of private market yard, farmer-consumer market yard, market sub-yard, electronic trading platform may prefer an appeal to the Director or the Officer authorized by him, in the form and manner <i>mutatis mutandis</i> to sub section (1),

within thirty days from the date of receipt of such order. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

(3) Save as provided in Section 78(1), the appeal with respect to inter-State trade on e-platform or any other such platform under Section 63, will be in accordance with the provisions to be provided under any law constituting the Authority.

(4) The Appellate Authority, if it considers it necessary so to do, grant a stay on the order appealed against for such period as it may deem fit.

(5) The order passed in the appeal by the Appellate Authority under this section shall be final and binding on all parties. Such order issued by the Appellate Authority shall have the force of the decree of a Civil Court and shall be enforceable as such.

**Registration of
wholesale ad-hoc
buyer.**

79.(1) Any person desirous of wholesale buying either from the market-yard or from outside the market-yard, on day to day basis even without valid licence granted under Section 75, may register with the concerned Market Committee, in the form and in the manner, as may be prescribed:

(a) Such buyer will specify the place and day of purchase while making the registration; or afterward before purchase;

(b) In case of such buying undertaken in the market yard, the buyer shall be liable to pay Market fee at the applicable rate to the Market Committee and on buying undertaken outside the market yard, the buyer shall pay 0.25 percent of the applicable market fee to the Market Committee.

Provided that such wholesale purchases cannot be made more than three times in a month across the State of Jharkhand.

**Bar of jurisdiction on
Civil Courts.**

80.(1) No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with.

- (2) No court shall take cognizance of an offence under this Chapter, except upon a complaint by the Director or Managing Director or by any other Officer authorized by him in this behalf.

CHAPTER-VIII BUDGET AND MARKET COMMITTEE FUND

Preparation and sanction of budget.

- 81.(1) Every Market Committee shall prepare and pass the budget of its income and expenditure for the ensuing year in the prescribed form and shall submit it to the Managing Director for sanction before the prescribed date every year. The Managing Director shall sanction the budget with or without modification within one month from the date of receipt thereof. If the budget is not returned by the Managing Director within one month, it shall be presumed to have been sanctioned.

- (2) The Managing Director may also seek the consent of the Director, on the budget so passed under sub-section (1). If the budget with the comments of the Director is not returned within fifteen days from the date of its receipt, it shall be presumed that the Director has consented to.

- (3) The Market Committee may sanction and cause to undertake execution of construction works out of its Fund other than the permanent Fund referred to in sub-section (7) on the basis of the plans and designs approved by the Market Committee, in such manner as may be prescribed by the Board.

No expenditure except payment of pension will be made out of pension fund.

- (4) No expenditure shall be incurred by a Market Committee on any item if there is no provision in the sanctioned budget thereof unless it can be met by re-appropriation from saving under any other head. The sanction for re-appropriation may be obtained from the Managing Director provided that in case of re-appropriation from minor heads under one major head, sanction for re-appropriation will not be required.

-
- (5) A Market Committee at any time during the year for which any budget has been sanctioned, cause a revised or supplementary budget to be passed and sanction in the same manner as if it were an original budget.
- (6) The Market Committee shall make provision in its budget for crediting the amount into the permanent Fund up to thirty percent of its gross receipt comprising of licence fee and market fee and to the pension Fund as prescribed from time to time by the Managing Director. No expenditure from the permanent Fund shall be incurred except with the prior approval or as per direction given by the Managing Director. No expenditure from this Fund or from amount as provided under sub-section (2) of Section 82 shall be proposed in the budget referred to in sub section (1).
- (7) The Managing Director/Board while according to sanction for construction work may at its discretion, direct that the execution of the works shall be entrusted to the Department of Building/Road, Government of Jharkhand/Administration or Board or any other agency authorized by the Government of Jharkhand for this purpose.

**Market
Committee
Fund.**

- 82.(1) Save as provided in sub-section (2) all moneys received by a Market Committee shall be paid into a fund to be called 'The Market Committee Fund' and all expenditure incurred by the Market Committee under or for the purposes of this Act shall be defrayed out of the said fund. Any surplus remaining with the Market Committee after such expenditure has been met, shall be invested in such manner as may be prescribed.
- (2) Any money received by the Market Committee by way of arbitration fee or as security for costs in arbitration proceedings relating to disputes or any money received by the committee by way of security deposit, contribution to provident fund or for payment in respect of any notified agricultural produce including livestock, or charges payable to market functionaries as required and such other money received by the Market Committee may be provided in the Rules or Bye-laws, shall not form part of Market Committee Fund, and shall be kept in such manner as may be prescribed.

- (3) Save as otherwise provided in this Act, the amount to the credit of the Market Committee Fund and also other money received by the Market Committee shall be kept in a scheduled nationalized commercial banks or in post office saving bank or in any other mode with the approval of the Managing Director.

**Application of
Market
Committee
Fund.**

83. Subject to the provisions of Section 82, the Market Committee in order to discharge functions and perform duties entrusted to it under this Act, may use the Market Committee Fund. Without prejudice to generality of this provision the Market Committee Fund may be used for the following purposes, namely-

(i) The acquisition of a site or sites for the market yard.

(ii) The establishment, maintenance and improvement of the market yard.

(iii) The construction and repairs of building necessary for the purpose of the market yard and for convenience or safety of the persons using the market yard.

(iv) The maintenance of standard weights and measures.

(v) The meeting of establishment charges including payment and contribution towards provident fund, pension and gratuity of the Officers and servants employed by a Market Committee.

(vi) Loans and advance to the employee of the Market Committee.

(vii) The payment of interest on the loans that may be raised for the purpose of development of the market yard(s) and other works as included in the work plan; and provisions of sinking fund in respect of such loans.

(viii) The collection and dissemination of information relating to crop statistics and efficient marketing of agricultural produce.

(ix) Expenses incurred in auditing the account of the Market Committee.

(x) Payment of honorarium, travelling allowance, sitting fee to Chairperson, Vice-Chairperson and other Members excepting ex-officio Member(s) of the Market Committee.

(xi) Contribution to Marketing Development Fund maintained by Board and Revolving Marketing Development Fund maintained by Director.

(xii) Contribution to any scheme for development of agricultural marketing including transport & other logistics.

(xiii) To provide facilities like grading, standardization and quality certification services and activities incidental thereto.

(xiv) Payment of expenses on elections under this Act in exigencies.

(xv) Incurring of all expenses on research, extension and training in development of marketing of agricultural produce including livestock.

(xvi) To incur expenses on promotion of pledge financing and marketing credit.

(xvii) To create and promote on its own or through public private partnership infrastructure of post-harvest handling of agricultural produce including livestock, cold storages, pre-cooling facilities pack houses and all such infrastructure to develop modern marketing system.

(xviii) Any other purpose(s) connected with the marketing of agricultural produce including livestock under this Act whereon the expenditure of the Market Committee Fund is in the public interest subject to the prior sanction of the Managing Director.

CHAPTER-IX**CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD**

Establishment of the Jharkhand State Agricultural Marketing Board. **84.** The Government of Jharkhand shall, for coordinating and undertaking the activities relating to development of markets and marketing infrastructures and services incidental thereto and also exercising such other powers and performing such functions as are conferred or entrusted by or under this Act, establish and constitute the Jharkhand State Agricultural Marketing Board.

Incorporation of Board. **85.** The Board shall be a body corporate having perpetual succession and common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall be competent to acquire and hold property both moveable and immovable and to lease, sell or otherwise transfer any such property, to contract and to do all other things necessary for the purpose for which it is established.

Constitution of the Jharkhand State Agricultural Marketing Board. **86.** The Board shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and such other Members as may be elected or appointed by the Government of Jharkhand.

Composition of the Jharkhand State Agricultural Marketing Board. **87.** The composition of the Board shall be -

1. Chairperson- elected by Chairpersons, Vice-Chairpersons, and other elected Members of the Market Committees of State of Jharkhand as prescribed.

Provided that the Chairperson shall be an agriculturist.

2. Vice-Chairperson - elected by Chairpersons, Vice-Chairpersons, and other elected Members of the Market Committees of State of Jharkhand as prescribed.

3. (i) Six Members to be nominated by the Government of Jharkhand from amongst the Chairpersons of Market Committees as prescribed.

- (ii) One Member each to be nominated by the Government of Jharkhand from amongst the licensees of private market yard, direct marketing, market sub-

yard and electronic trading platform, if available, as may be prescribed.

(iii) One Member to be nominated by the Government/ Administration from amongst the registered Farmers'-Producer Company, if any.

(iv) One Member to be nominated by the Government of Jharkhand from amongst the single unified licence holders, as may be prescribed.

(v) One member to be nominated by the Government of Jharkhand from amongst the inter-state trade licence holder, as may be prescribed.

4. Other ex-officio members -

(i) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary of Department of Agriculture, Animal Husbandry and Cooperative or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the Government of Jharkhand..

(ii) Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Urban/Rural Development or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Jharkhand.

(iii) Representative of the National Bank for Agriculture and Rural Development not below the rank of Deputy General Manager.

(iv) Registrar of Co-operative Societies.

(v) Managing Director of State of Jharkhand Agricultural Marketing Board.

Appointment of Managing Director, Officers and Servants of the Board.

88.(1)

(1) The Board shall have a Managing Director who shall be appointed by the Government of Jharkhand, and he shall be the Chief Executive Officer of the Board.

(2)

The Managing Director appointed under sub-section (1) shall also function as the ex-officio Secretary of the Board.

(3)

The Board may appoint other Officers and servants as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions under the Act.

(4)

The superintendence and control over all the Officers and servants of the Board shall vest in the Managing Director.

Term of Office of the non-official Members of the Board.	89.(1)	The term of office of the non-official Members of the Board shall be for five years. However, the Members may hold the office at the pleasure of the Government of Jharkhand. The Government of Jharkhand may, if it thinks fit, remove any Member of the Board before the expiry of his term of office.
	(2)	No person may be Member of the Board exceeding two terms.
	(3)	The Government of Jharkhand may, on its own motion or on resolution passed by a majority of total Members and 2/3rd of the Members of the Board voted, remove a Chairperson or Vice-Chairperson of the Board for misconduct or neglect of or incapacity to perform his duty and on such removal, he shall not be eligible to serve as a Chairperson or Vice-Chairperson for a period of 5 years from the date of such removal. Provided that no order of such removal shall be passed unless a reasonable opportunity to be heard has been given to the concerned.
Term of official Members.	90.	The tenure of an official Member of the Board shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated. In the event of supersession of the Market Committee from where the Member(s) have been nominated on the Board, the concerned Member shall cease to a Member on it.
Allowance to Members of the Board.	91.	The Members of the Board other than an ex-officio Member shall be paid from the Marketing Development Fund for such sitting fee and allowances for attending its meetings and for attending to any other work as may be fixed by the Government/ Administration from time to time.
Filling of casual vacancy.	92.	In the event of death or resignation or disqualification or removal of any Member of the Board or any vacancy arising otherwise before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have

		occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as may be, by nomination by the Government of Jharkhand. The person so nominated shall hold such office for the un-expired term of his predecessor.
Resignation of Chairperson, Vice-Chairperson and Members.	93.	The Chairperson, Vice –Chairperson and a Member of the Board may resign from respective post by tendering his resignation to the Government of Jharkhand and the seat of such incumbent shall become vacant on the date of acceptance of his resignation. Provided that Vice-Chairperson and a Member of the Board may resign from respective post by tendering his resignation to the Government of Jharkhand under intimation to the Chairperson of the Board.
Disqualification of Member of the Board.	94.	No person shall be a Member of the Board who- (a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or (b) is, or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government of Jharkhand involves moral turpitude; or (c) is of unsound mind and stands so declared by the competent court; or (d) is a Director or a Secretary, Manager or other salaried officer or employee of any company or firm having any contract with the Board or a Market Committee ;or (e) is, or at any time been, found guilty under Section(s) 114and/ or 126 of this Act; or (f) has so abused, in the opinion of the Government/Administration, his position as a member, as to render his continuance on the Board detrimental to the interest of the general public.
Appointment of Sub-committee.	95	The Board may appoint sub-committees consisting of three or more of its Members which shall also include Chairperson and the Managing Director, for the performance of any of its duties or functions or for giving advice on any matter incidental thereto and may delegate to such sub-committee any of its duties or functions as may be deemed necessary.
Superintendence of the Board.	96.	The Government of Jharkhand shall exercise superintendence and control over the Board and its Officers and may call for such information as it may deem necessary and, in the event of it being satisfied, that the Board is not functioning properly, it may

suspend the Board and, till such time as a new Board is constituted, make such arrangements for the exercise of the functions of the Board as it may think fit.

Provided that the Board shall be constituted within six months from the date of its suspension.

Functions & powers of the Board.

97.(1)

The Board shall, subject to the provisions of this Act, perform the following functions and shall have power to do such thing as may be necessary or expedient for carrying out these functions:

(i) Coordination of the working of the Market Committees and other affairs thereof including programs undertaken by such Market Committees for the development of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards; and also in delineated market areas.

(ii) Undertake State of Jharkhand level planning of the development of agricultural produce including livestock in principal market yards, sub-market yards and market sub-yards.

(iii) Administer the State of Jharkhand Marketing Development Fund.

(iv) Give direction to the Market Committees in general or any Market Committee in particular with a view to ensuring improvement thereof.

(v) Any other functions specifically entrusted to it under this Act.

(vi) Such other functions of like nature as may be entrusted to it by the Government/ Administration.

(2)

Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such functions of the Board shall include:

(i) approval of the proposals for selection of new sites by the Market Committees for establishment of principal market yard or sub-market yard or market sub-yard;

(ii) approval of the proposals for constructing infrastructure facilities in the principal market yard, sub-market yard and marker sub-yards; and also in delineated market area;

(iii) supervision of and guidance of the Market Committees in preparation of plans and estimates of construction programme undertaken by the Market Committee;

(iv) execution of all works chargeable to the Board's fund;

(v) maintenance of the accounts in such form as may be prescribed and get the same audited in such manner as may be laid down in the regulation of the Board;

(vi) publishing annually at the close of the year its progress report, balance sheet and statement of assets and liabilities; and send copies thereof to each member of the Board and the Government of Jharkhand;

(vii) set up separate Marketing Extension Cell in the Board for transfer of marketing technology and extension services. Board may also make necessary arrangements for awareness generation campaign on matters related to regulated marketing of an agricultural produce including livestock and development of marketing facilities therefor;

(viii) providing facilities for the training of officers and servants of the Market Committees after assessing the demand for trained personnel in agricultural marketing at all levels. Set up a Training Cell with college/centers for training in agricultural marketing for various market functionaries, Market Committee members and farmers etc., in the State Marketing Board with necessary academic support from the Directorate of Marketing and Inspection of Government of India, a National level Nodal agency.

(ix) provide facilities for linking of consumers to farmers or their groups through appropriate technology;

(x) help prepare budget for the ensuing year;

(xi) granting subventions on loans to Market Committee for the purposes of this Act on such terms and conditions as the Board may determine;

(xii) arranging or organizing seminars/ workshops/ exhibitions etc. on subjects related to agricultural marketing;

(xiii) doing such other things as may be of general interest to Market Committees or considered necessary for the efficient functioning of the Board;

(xiv) facilitating Market Committee in promoting grading and standardization of notified agricultural produce including livestock, setting up of assaying labs and other infrastructures for on-line trading and

activities incidental thereto ;

(xv) providing logistic support to promote on-line trading on-line to develop barrier market for notified agricultural produce including livestock; and

(xvi) setting up an advisory committee with technical support of Directorate of Marketing and Inspection to promote efficient marketing of notified agricultural produce and livestock, including issues relating to grading, standardization, packaging, quality certifications, as may be prescribed.

Regulations.

98.(1) The Board may, with the previous approval of the Government of Jharkhand, make regulations, not inconsistent with this Act and Rules made thereunder for the administration of the affairs of the Board.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters-

(a) summoning and holding of meetings of the Board, the time and date when such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of persons necessary to form a quorum thereof;

(b) powers and duties of the officers and other employees of the Board;

(c) salaries and allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board and of officers of the Market Committees;

(d) management of the property of the Board;

(e) execution of contracts and assurances of property on behalf of the Board;

(f) maintenance of accounts and the preparation of balance sheet by the Board;

(g) procedure for carrying out the functions of the Board under this Act;

(h) other matter for which provision is to be or may be made in regulation.

“Marketing Development Fund”.

99. All money received by or on behalf of the Board shall be credited to a Fund called “Marketing Development Fund.”

Payments incurred by the Board.	100.	All payments incurred by the Board shall be defrayed out of the "Marketing Development Fund".
Contribution towards "Marketing Development Fund"	101.	Every Market Committee shall pay to "Marketing Development Fund" maintained by Board in percentage up to twenty percent of its income derived from licence fees and market fees, as may be prescribed, to meet the expenses of establishment of the Board and expenses incurred in execution of the functions assigned to the Board under this Act.
Borrowing by issue of bonds or stocks.	102.	The Board may, for carrying out the provisions of this Act, borrow money from the Government of Jharkhand or may with the previous approval of the Government of Jharkhand - (i) from any other agency; or (ii) issue debentures on the authority of any property vested in it or on the security of a part of its future income accruing to it under this Act, or the Rules made there under.
Utilization of Marketing Development Fund Maintained by Board.	103.(1)	The Market Development Fund shall be utilized by the Board either on its own or through public private partnership for discharge of functions entrusted to the Board under this Act.
	(2)	Without prejudice to generality of this provision, the Market Development Fund may be utilized for the following purposes, namely- (i) Payment of administrative expenditure of the Board. (ii) Payment of travelling and other allowance to the Chairperson, Vice-chairperson and Members of the Board. (iii) Payment of legal expenses incurred by the Board. (iv) Granting aid to financially weak Market Committees in the form of loan or grant for development proposes. (v) Propaganda and publicity on matters relating to marketing of agricultural produce. (vi) Training of the officers and staff of the Market Committees and Board and also to market

functionaries and agriculturists.

(vii) Organizing and arranging workshops, seminars, exhibitors etc., on development of marketing.

(viii) Promotion and construction of infrastructural facilities in the principal market yard, sub-market yard and in also common market infrastructural facilities in the delineated market area.

(ix) Undertaking skill development and pledge financing activities.

(x) Undertaking market survey and research, grading and standardization, quality assaying, quality certification of agricultural produce, on-line trading and other activities connected thereto.

(xi) Acquisition or constructions or hiring by lease or otherwise of buildings or land for performing the duties of the Board.

(xii) Internal audit of the Board and the Market Committees.

(xiii) Development of Haat Bazars and farmer-consumer markets for marketing of agricultural production in the delineated market areas; and explore the possibility of developing such markets for livestock also.

(xiv) any other purpose, deemed necessary for execution of the functions assigned to the Board under this Act or as directed by the Government/ Administration .

**Audit of
accounts of the
Board.**

104.(1)

The accounts of 'the Board shall be subject to audit under the State of Jharkhand Local Fund Audit Act or by a certified Chartered Accountant or by other agency as the Government of Jharkhand deems fit.

(2)

The Board may make arrangement for internal audit of accounts, as it may deem fit.

(3)

The annual accounts and balance sheet of the Board shall be prepared by the Managing Director and all moneys accruing to or received by the Board from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(4)

At the time of audit, the Managing Director shall cause to be produced all accounts, registers, documents and other relevant papers which may be called for by the audit officer for the purposes of the audit. Any explanation called for by such officer for the removal

		of any discrepancy shall be immediately furnished to him.
	(5)	The accounts when audited shall be printed. The copies of accounts and audit report with comments thereon shall be placed before the Board.
Delegation of powers.	105. (1)	(i) Subject to the provisions of this Act, the Board may by general or special order, delegate to the Managing Director/ Member Secretary or sub-committee appointed by it or to any Officer 'of the Board such of the powers and duties under the Act, as it may deem fit.
	(2)	The Chairperson or the Member Secretary of the Board may delegate his power under this Act to any Officer of the Board.
Supervision and control of the Chairperson/ Chief Executive.	106. (1)	The Chairperson of the Board shall preside over the meeting.
	(2)	Subject to the superintendence of the Board, the general control and direction over all the officers and servants of the Board shall be vested with the Chief Executive of the Board.
Functions & powers of the Managing Director.	107.	The Managing Director shall: (i) exercise supervision and control over officers and servants of the Board in matters of executive administration, concerning accounts and records and disposal of all questions relating to the service of the employees as per procedure prescribed; (ii) appoint officers and staff of the Board as per direction and procedure prescribed by the Board; (iii) incur expenditure from the Marketing Development Fund on the sanctioned items of work; (iv) in case of emergency, direct the executions or stoppage of any work and doing of any act which requires the sanction of the Board; (v) prepare annual budget of the Board; (vi) arrange for internal audit of the Board; (vii) arrange for the meetings of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of

the Board as per procedure prescribed;

(viii) take such steps as deemed necessary for execution of the decision of the Board;

(ix) inspect the construction work undertaken by the Market Committees either from their own funds or loans and /or grants provided by the Board or any other agencies and take corrective measures;

(x) report, such acts either of the Market Committees or of the Board which are contrary to the provisions laid down under this Act or Rules and Bye-laws made thereof, to the Government/Administration ;

(xi) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions of the Board.

Conduct of business of the Board.

- 108.**(1) The Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such a place and at such times as the Chairperson may determine.
- (2) Save as otherwise provided in sub-section (1) the provisions of chapter IV shall *mutatis mutandis* apply for the conduct of the business of the Board.
- (3) All proceedings of 'the Board shall be authenticated by the signature of the Chairperson, Member-Secretary/Managing Director and all other orders and other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of the Chairperson, Member-Secretary/ Managing Director or such other officer of the Board as may be authorized in this behalf by regulation.
- (4) The Board shall conduct the business in a manner prescribed under the Rule.

Powers of Chairperson of Board.

- 109.** The Chairperson of the Board shall exercise such powers as may be prescribed.

CHAPTER-X

APPOINTMENT OF DIRECTOR AND ITS POWER AND FUNCTIONS

Appointment of Director of Agricultural Marketing.

- 110.** The Government of Jharkhand may , by notification, appoint any Officer to exercise or perform such of the powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act and the Rules made there under-

Provided that Director of Agricultural Marketing shall not concurrently hold the office of Managing Director of the Board.

Power and functions of the Director of Agricultural Marketing.

111.(1)

Subject to the provisions of this Act, the Director may exercise such powers and perform such functions other than those prescribed for the Managing Director of the Board under this Act, which would enable proper execution of the provisions of this Act. The State Govt. may delegate any or all the regulatory powers vested in it under this Act, Rules to the Director.

(2)

In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the Section 116, the functions of the Director may include-

- (i) grant /renewal and suspension or cancellation of licence granted to the person for establishing and/or operating private market yard, farmer-consumer market yard, private market sub-yard, electronic trading platform and direct marketing ;
- (ii) grant/renewal and suspension or cancellation of unified single trading licence for the State of Jharkhand;
- (iii) grant/renewal and suspension or cancellation of inter-state trading licence ;
- (iv) black listing the operation of inter-state trading licence within the State of Jharkhand jurisdiction issued by another State;
- (v) supervision on the Market Committees for effective execution of provisions of the Act and Rules made there under relating to transaction of agricultural produce including livestock taking place in the principal market yards, sub-market yards and market sub-yards ;
- (vi) enforcement of regulation in the delineated market areas;
- (vii) Initiate of prosecution for contravening the provision(s) of the Act and Rules made there under;
- (viii) suggestion to the Government of Jharkhand for undertaking amendments to the Act and Rules for effective execution of the objectives of the Act;
- (ix) approval of the Bye-laws framed by the Market Committee under this Act and Rules;
- (x) identifying person(s) or organization for conducting the audit of accounts of the Market Committee and Board.
- (xi) consenting the approval of the budget of the Market Committee.
- (xii) accord sanction to the creation of posts of officers and staff of the Market Committee;
- (xiii) appointment and transfer of the personnel of

the State Agricultural Marketing Services, if any, and act as the cadre controlling authority for them;

(xiv) taking steps for timely and proper conduct of the elections of the Market Committee and Board and activities connected thereto;

(xv) acceptance of resignation of the Chairperson of the Market Committee;

(xvi) to act as dispute resolution authority for the licensee of private market yard, farmer-consumer market yard, private market yard, sub - market yard, electronic platform and direct marketing and holder of single unified licence and inter-state trading licence;

(xvii) to act as appellate authority from any person aggrieved by a order of the Market Committee ;

(xviii) approval of the resolution passed by Market Committee;

(xix) removal of Vice-chairperson or member(s) of the Market Committee in the manner as may be prescribed; and

(xx) to inspect or cause to be inspected accounts and offices of the Market Committee, if so required.

Revolving Marketing Development Fund.

- 112.(1)** The Director shall maintain a separate “Revolving Marketing Development Fund” to account the receipts realized as contribution from licensees of private market yard, private market sub-yard, e-trading platform, direct marketing and from such other contribution including Market Committee.
- (2) Every Market Committee shall contribute five percent of its income derived from licence fees and market fees, as may be prescribed, to “Revolving Marketing Development Fund” maintained by Director.
- (3) The Director will spend the fund, so maintained under sub-section (1), in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the State of Jharkhand.

Offices and staff of the Director of Agricultural Marketing.

- 113.(1)** The Director, to discharge such duties and perform such functions as assigned under this Act/ Rules, may, with the previous sanction of the Government of Jharkhand n, establish offices at district level.
- (2) The district level offices should be headed by an officer, with such qualification and experience but not below the rank of Deputy Director or Under Secretary to Government of India.

- (3) The other Officers at the district level may be posted with such qualification and experience as may be prescribed, from the State's Agricultural Marketing Service cadre, if any, or otherwise or on deputation as per Rule.

CHAPTER –XI

PENALTIES

Penalty for contravention of Act, Rules and Bye- laws.

- 114.** Any person who contravenes any provision of this Act, or of any Rule or Bye-laws or order issued there under shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Provided that in the case of a continuing contravention of the provisions of Section 65, he shall be liable to be punished with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which the contravention is continued after the first conviction.

Recovery of market dues.

- 115.** Whenever any person is convicted of any offence punishable under this Act, the Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay over to the Market Committee the amount of fees or any other amount due from him under this Act or Rules or Bye-laws made there under and may, in his discretion, also recover and pay over to the Market Committee costs of the prosecution.

Cognizance of offences.

- 116.** No Civil court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any Rule or any Bye-laws made there under except on the complaint made by the Director or Officer authorized in this behalf or by the Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary of the Market Committee or any person duly authorized by the Market Committee in this behalf.

CHAPTER-XII

CONTROL

Inspection, inquiry , submission of statements etc.

- 117.(1)** On his own motion, the Managing Director or any Officer authorized by him, or on direction of Government of Jharkhand or Director, may -
- (a) inspect or cause to be inspected the account and offices of Market Committee ;

(b) hold enquiry into the affairs of a Market Committee;

(c) call from any return, statement, accounts or reports which he may think fit to require such committee to furnish;

(d) require a. Market Committee to take into consideration-

(i) any objection on the ground of illegality or inexpediency or impropriety which appears to him to exist to the doing of anything which is about to be done or is being done by or on behalf of such committee; or

(ii) any information he is able to furnish and which appears, to him to necessitate the doing of a certain thing by such committee; and

(iii) to make written reply to him within a reasonable time stating the reason for doing or not doing such thing.

(e) direct that anything which is about to be done or is being done should not be done, pending consideration of the reply, and anything which should be done but is not being done should be done within such time as he may direct.

(2) When the affairs of a Market Committee are investigated under this section or the proceedings of any Market Committee are examined by the Managing Director under Section 124, the Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary and all other Officers and servants and Members of such committee shall furnish such information in their possession in regard to the affairs or proceedings of the Market Committee as the Managing Director, or the Officers authorized by him, as the case may be, may require.

(3) An officer investigating the affairs of a Market Committee under sub-section (1) or the Director or the Government of Jharkhand examining the proceeding of any Market Committee under Section 125 shall have the power to summon and enforce the attendance of Officer(s) or Member(s) of the Market Committee and to compel him/ them to give evidence and to produce documents by the same

means and as far as possible in the same manner as is provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1973.

- (4) Where the Managing Director has reason to believe that the books and records of a Market Committee are likely to be tampered with or destroyed or the funds or property of a Market Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Managing Director may issue order directing a person duly authorized by him in writing to seize and take possession of such books and records, funds and property of the Market Committee and the Officer (s) of the Market Committee responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorized.

Powers of Director to remove Vice-Chairperson or Member of the Market Committee.

- 118.(1) The Director may remove Vice-Chairperson and Members of Market Committee in consultation with Chairperson where he is of the opinion that the said functioning:
(a) has been guilty of misconduct or gross negligence of duty as should be removal Vice-Chairperson or a Member ;

(b) ceases to hold the qualifications necessary for being a Vice-Chairperson or Member.

- (2) No order of removal under sub-section (1) shall be passed unless the person concerned has been given reasonable opportunity of being heard in respect of the allegations against him.

- (3) The Director may suspend any Vice-Chairperson or a Member of a Market Committee in the manner and way *mutatis mutandis* to sub-section (1) , who has been served with notice under sub-section (1) or sub-section (2) as the case may be, and against whom any complaint has been received or who commits irregularities after the service of such notice, for period from the date of receipt of complaint or the date of noticing of irregularities by the Director till the final decision is taken in his case.

Supersession of the Market Committee.

119. Where the Director, on his own motion or after considering the submission of Managing Director, is of the opinion that a Market Committee has failed in the performance of its functions or discharge of its duties or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act, may, on prior consultation with Government of Jharkhand, by notification in the Gazette, supersede the Market Committee.

Consequence of supersession of Market Committee.	120.	Provided that no order of supersession shall be passed unless the Director has given a reasonable opportunity to the Market Committee of being heard in respect of the allegations made against it. Upon publication of the notification superseding a Market Committee under Section 119, the following consequences shall ensue : (i) The Chairperson, Vice-chairperson and all the Member of the Market Committee shall, as with effect from the date of publication of the notification, be deemed to have vacated their offices. (ii) The Government of Jharkhand or the Director shall direct that the steps be taken for constitution of a new Market Committee under Section 17 and till such time as a new Market Committee under Section 17 is constituted as aforesaid, the Director shall make such arrangements for carrying out the functions of the Market Committee as he may deem fit for the period not exceeding six months and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Market Committee and its Chairperson, under this Act, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority as the Director may appoint in this behalf and such person or authority shall be deemed to be the Market Committee or Chairperson, as the case may be.
Supersession of the Board.	121.	Where the Government of Jharkhand is of the opinion that the Board has failed in the performance of its functions or discharge of its duties or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act, it may, by notification in the Gazette, supersede the State of Jharkhand Agricultural Marketing Board.
Consequence of super session of Board.	122.	Provided that no order of supersession shall be passed unless the Government/ Administration has given to the Board a reasonable opportunity of being heard in respect of the allegations against it. Upon publication of the notification superseding a Board under Section 121, the following consequences shall ensue : (i) The Chairperson, Vice-Chairperson and all the Members of the Board shall, as with effect from the date of publication of the notification, be deemed to

have vacated their offices.

(ii) The Government of Jharkhand shall direct that steps be taken for constitution of a new Board under this Act and till such time as a new Board under Section 86 is constituted as aforesaid, the Government of Jharkhand shall make such arrangements for carrying out the functions of the Board as it may deem fit, for the period not exceeding six months and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Board and its Chairperson, under this Act, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority as the Government of Jharkhand, may appoint in this behalf and such person or authority shall be deemed to be the Board or Chairperson, as the case may be.

**Power of
Director to direct
Market
Committee for
amending Bye-
laws.**

123.(1)

If it appears to the Director, that it is necessary or expedient in the interest of agricultural marketing to make any Bye-law (s) or to amend any existing Bye-law (s), he may, by order, direct the Market Committee concerned to make Bye-law(s) or amend existing Bye-law (s) within such time as he may specify in such order.

(2)

If the Market Committee fails to make such Bye-law(s) or such amendment of the Bye-law(s) within the time specified, the Director may, after giving the Market Committee a reasonable opportunity to explain, make such bye-law (s) or such amendment of the bye-law (s) and thereupon subject to any order under sub-section (3), such bye-law (s) or such amendment of the bye-law (s) shall be deemed to have been made or amended by the Market Committee in accordance with the provision of this Act or the Rules made there under and thereupon such bye-law (s) or amendment (s) shall be binding on the Market Committee.

(3)

An appeal shall lie to the Government of Jharkhand against any order of the Director under sub section (2) within thirty days from the date of such order and decision of the Government of Jharkhand on such appeal shall be final and binding.

**Power of the
Managing
Director to
prohibit
execution or**

124.(1)

The Managing Director may, on his own motion, or on report or complaints received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed or order made by the Market Committee or its Chairperson or any of its Officers or servants, if

further execution of resolution passed or order made by the Market Committee.

he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any market yards or sub-market yards or is against the provisions of this Act or Rules or Bye-laws made there under.

- (2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section(1) and continuing in force, it shall be the duty of the market committee, if so required by the Managing Director, take such action which the Market Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing the Chairperson or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.

Power to call for proceedings of Market Committee and Managing Director/Director .

125.(1)

The Director/ Managing Director may, on his own motion, or on an application made to him, call for and examine the proceeding of any Market Committee and the Government of Jharkhand may on its own motion or on an application made to it, call for and examine the proceedings of the Director/Managing Director, for the purpose of satisfying himself or itself as the case may be, as to the legality or propriety of any decision taken or order passed and as to the regularity of the proceedings of the Market Committee or the Director/Managing Director, as the case may be. If in any case, it appears to the Director/Managing Director or the Government of Jharkhand that any such decision or order or proceeding so called for should be modified, annulled, reversed, or remitted for reconsideration he or it may pass such order thereon as he or it may deem fit:

Provided that every application to the Government of Jharkhand for the exercise of the powers under this section shall be preferred within sixty days from the date on which the decision or order to which the application relates was communicated to the applicant.

Provided further that no such order shall be passed under sub-section (1) without giving a reasonable opportunity of being heard to the parties affected thereby.

- (2) The Government of Jharkhand, may suspend the execution of the decision taken or order passed by the Market Committee /Director/Managing Director, pending exercise of its powers under sub-section (1).

Liability of Chairperson, Vice Chairperson, Members and Employees for loss, waste or misappropriation etc.	126.(1)	If in the course of enquiry or inspection under Section 117 or in the course of audit under this Act, it is found that any person who is or was entrusted with the management of Market Committee or any deceased, past or present Chairperson, Vice-Chairperson, Member, Officer-in-charge of Market Committee, or any other officer or employee of Market Committee or an Officer of the Government / Administration has made or directed by assenting or concurring or participating in any affirmative vote or proceeding related thereto, any payment or application of any money or other property belonging to, or under the control of such committee to any purpose contrary to the provisions of this Act or Rules or Bye-laws made there under or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to the Market Committee, the Director/Managing Director may, on his own motion or on the application of the Market Committee, enquire himself or direct any officer subordinate to him duly authorized by him by an order in writing in this behalf to enquire into the conduct of such person within two years of the date of report of audit, enquiry or inspection as the case may be.
---	----------------	--

(2) If on enquiry made under sub-section (1), the Director/ Managing Director is satisfied that there are good grounds for an order there under, he may make an order requiring such person, or in the case of a deceased person, his legal representative who inherits his estate, to repay or restore the money or property and any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent as he may consider just and equitable.

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

Provided further that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased which is inherited by such legal representative.

- (3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (2) may, within thirty days from the date of communication of the order to him, appeal to the Government/ Administration and the Order of the latter shall be final and binding.

Provided that in computing the period of limitation the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

- (4) No order passed under sub-section (2) or sub-section (3) shall be called in question in any court of Law.
- (5) Any order made under sub-section (2) or sub-section (3) shall, on the application of the Director/ Managing Director, be enforced by any Civil Court having local jurisdiction in the same manner as if it were a decree of such court, or any sum directed to be paid by such Order may be recovered as arrears of land revenue.

Power of the Government/Administration to amend schedule.

- 127.** The Government of Jharkhand may, by notification, add to or amend or delete any of the items of agricultural produce specified in the schedule and thereupon the schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

Provided that no notification shall be issued under this section without publishing in the Gazette previous notice of not less than 30 days as the Government of Jharkhand may consider reasonable of its intention to issue such notification.

Power of the Government/Administration to give direction.

- 128.(1)** The Government of Jharkhand may give directions to the Board and Market Committees.
- (2) The Board and the Market Committees shall be bound to comply with the directions issued by the Government of Jharkhand under sub-section (1).

Recovery of sums due to Board/Market Committee.

- 129.** Any sum due to a Market Committee or the Board on account of any charge, costs, expenses, fees, rent and any other account under the provision of this Act or any Rule or Bye-laws made there under shall be recoverable in the same manner as arrears of land revenue.

Chairperson, Vice-Chairperson,

- 130.** The Chairperson, the Vice-Chairperson, the Members, Secretary, other Officers and servants of a Market Committee and the Chairperson, Vice-

Members, Officer and Servant etc. of Market Committee & Board to be public servant.		Chairperson , the Members, the Officers and other servants of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).
Delegation of power by Government/Administration.	131.	The Government of Jharkhand may delegate to the any Officer of the Government of Jharkhand not below the rank of Director, any of the powers conferred on it by or under the Act other than the powers to make Rules under Section 136. The officer so delegated under this section may sub-delegate any of his powers to any Officer of the Government of Jharkhand not below the rank of Deputy Director in the State/UT or Under Secretary to the Government of India.
Bar to civil suit & protection to person acting in good faith.	132.	No suit, prosecution or legal proceedings in respect of anything done in good faith or intended to be done under this Act or Rule or Bye-laws made there under, shall lie against the Director/ Managing Director or Officer of the Government of Jharkhand or against the Board or any Market Committee or against any officer or servant of the Board or any Market Committee or against any person acting under and in accordance with the directions of the Director/ Managing Director , such officer, or such committee.
Bar to suit in absence of notice.	133.	Notwithstanding anything contained in any section of any Act, no suit shall be instituted against the Board or any Market Committee, until the expiration of two months next after notice in writing stating the cause of action, name and place of abode of the intending plaintiff. Every such suit shall be dismissed unless it is instituted within six months from the date of the accrual of alleged cause or action.
Duty to Local Authority to give information and assistance.	134.	It shall be the duty of every Local Authority to give all the necessary information in the possession of or under the control of its officers to the Market Committee or its officers authorized in that behalf, relating to the movement of notified agricultural produce into and out of the area of the local authority, free of any charges. It shall also be the duty of every Local Authority and its officers and staff concerned with the collection of octroi to give all the possible assistance to any officer of the Market Committee in exercising his powers and discharging his duties under this Act.

Act not to be invalidated by informality, vacancy etc.

135. No act done or proceeding taken under this Act by the Board, by a Market Committee or a sub-committee appointed by the Board shall be invalidated merely on the ground of-

(a) any vacancy or defect in the constitution of Board or sub-committee; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such Act or proceeding, not affecting the substance.

CHAPTER-XIII RULES AND BYE-LAWS

Power to make Rules.

136. (1) The Government of Jharkhand may, after previous publication, make Rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such Rules may provide for-

(i) declaration of "special commodity market yard(s) and Market yard (s) of National Importance (MNI) based on annual throughput & income and infrastructure under 9 respectively and constitution of Market Committee there for ;

(ii) classification of Market Committee based on annual throughput & income and infrastructure under Section 14 (4);

(iii) procedure for constitution of the first Market Committee and subsequent Market Committee including qualifications of representatives under Section 17(1) ;

(iv) election for Vice-Chairperson, agriculturist Members and other Members of the Market Committee and reservation of seats therefor;

(v) meeting of Market Committee, leave of Chairperson & Vice-Chairperson, quorum and powers and duties of Market Committee;

(vi) appointment of sub-committee and delegation of powers under Section 42; mode of making contract under Section 48 and appointment of

-
- Secretary of Market Committee under Section 50;
- (vii) the periodical inspection of all weights and measures and the weighing and measuring instruments in use in a market yards;
- (viii) powers, functions and duties of the Secretary of Market Committee under Section 51, appointment of Accountant and Staff of Market Committee, their pay, allowances and pension etc.;
- (ix) fixation of quantity of sale under clause (i) of Section 64 (2);
- (x) the procedure for recovery of market fees, fine for evasion of market fees and manner for assessment of market fees in default of furnishing return;
- (xi) procedure for grant/renewal and suspension/ cancellation of licence to market functionaries , other than trader, under Section 69;
- (xii) procedure for grant/renewal and suspension/ cancellation of unified single trading licence under Sections 70&71;
- (xiii) procedure for grant/renewal of inter-state trading licence under Section 72 and its blacklisting ;
- (xiv) procedure for grant/renewal of licences to set up private market yard , farmer-consumer market yard , market sub-yard, electronic trading platform and for direct marketing and suspension/cancellation thereof ;
- (xv) procedure and condition for registration of wholesale ad-hoc buyers;
- (xvi) procedure and terms and conditions for declaring warehouse/silos/ cold storage or other such structure or space as market sub-yard ;
- (xvii) the provisions for the persons by which and the forms in which copies of documents and entries in the books of the Market Committee may be certified and the charge to be levied for the supply of such copies;
- (xviii) the trade allowance which may be made or received by any person in any transaction in the notified agricultural produce in a market yard;
- (xix) manner of dispute settlement between/among the licensees and between/among the licensees and Market Committee ;

- (xx) facilities for the settlement of any dispute between a buyer and seller of notified agricultural produce or their agents including disputes regarding the quality or weight of the articles, payment in respect of the price of goods sold and the allowances for wrapping, containers, dirt or impurities or deductions for any cause by mediation, arbitration or otherwise;
- (xxi) the preparation of plans and estimates for works proposed to be constructed partly or wholly at the expense of the Market Committee, and the grant of sanction to such plans and estimates;
- (xxii) the form in which the accounts of a Market Committee shall be kept, the audit and publication of such audit and the inspection of audit memoranda of the account and supply of such memoranda;
- (xxiii) the preparation and submission for sanction of the annual budget and the report and returns to be furnished by a Market Committee and issues related to maintenance of accounts of Board under Section 97 (2) (v);
- (xxiv) the time during which and the manner in which a trader or commission agent shall furnish such returns to a Market Committee as may be required by it;
- (xxv) procedure for setting up of assaying labs including in private sector and promotion of quality certification system. Constitution of committee with technical member of Directorate of Marketing & Inspection to promote quality certification system;
- (xxvi) provide necessary infrastructure and logistic support for e-trading platform;
- (xxvii) the keeping of records of arrivals and prices of agricultural produce by Market Committee and other licensees;
- (xxviii) the manner in which auctions of agricultural produce including e-auction shall be conducted and bids made and accepted;
- (xxix) the recovery and disposal of fees leviable by or under this Act;
- (xxx) compounding of offences and fixing compensation thereof under this Act or Rules or Bye-laws made there under;
- (xxxi) manner of constitution of State Agricultural Marketing Services;
- (xxxii) recruitment, qualification, appointment, promotion, scale of pay, leave, leave allowance, acting allowance, loans, pension, gratuity, annuity,

compassionate Fund, dismissal, removal, conduct, departmental punishment, appeals and other service conditions of the members of the State Agricultural Marketing service;

(xxxiii) limits of honorarium, travelling allowance, sitting fees and any other payments payable to the Chairperson, Vice-Chairperson and Members for attending the meetings, etc.;

(xxxiv) manner of investment of surplus in the Market Committee Fund;

(xxxv) manner and terms & conditions of contribution by licensee of private market yard, market sub-yard, electronic trading platform and direct marketing to Marketing Development Fund and expenditure thereof;

(xxxvi) procedure for framing of Bye-laws, their amendments or cancellation and for their previous and final publication;

(xxxvii) term of the office of the Chairman, Vice-chairman and members of the Board;

(xxxviii) the powers to be exercised by the Chairman and Vice-chairman and the Chief Executive of the Board;

(xxxix) all matters required to be prescribed by Rules under this Act;

(xl) mode of service of notice under this Act;

(xli) general guidance for the Market Committee.

(3) In making any Rule, the Government of Jharkhand may direct that breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

(4) Every Rule made under this Act Shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power to make Bye-laws.

137. (1)

Subject to the provisions of this Act and the Rules made there under, a Market Committee may, in respect of a principal market yard and sub-market yard under its management, make Bye-laws for—

(i) the regulation of business of the Market Committee;

(ii) the condition of trading in a principal market yard and sub-market yard ;

(iii) delegation of powers, duties and functions to the officers and servants, appointment; pay, punishment, pensions, gratuities, leave, leave allowances, contributions by them to any provident Fund which may be established for the benefit of such officers and servants and other conditions of service;

(iv) the delegation of powers, duties and functions to a sub-committee, if any;
 (v) market functionaries, other than traders, who shall be required to take licence;
 (vi) enabling and regulating provisions relating to e-trading and activities and services incidental thereto ;(vii) any other matters for which Bye-laws are to be made under this Act or it may be necessary to frame Bye-laws for effectively implementing the provisions of this Act and the Rules made there under.

(2) No Bye-laws under sub-section (1) shall take effect until it has been confirmed by the Director.

(3) In making any Bye-laws, the Market Committee may direct that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and where the breach is a continuing one with further fine which may extend to two hundred rupee for every day after first during which the breach is provided to have been persisted in.

CHAPTER-XIV REPEAL AND SAVINGS

**Repeal
savings.**

and

138. (1)

Notification No.- 153, Dated- 27.01.2001 as updated as amended, for adoption of the Jharkhand Agricultural Produce Market Act, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal—

(i)The repeal shall not affect the previous operation of any enactment so repealed, and anything done or action taken (including any appointment, delegation or declaration made, notification, under Rule, direction or notice issued, Bye-laws framed, market area, markets, sub-markets and yards declared, established or notified, licences granted, fees levied and collected, instruments executed, any Fund established or constituted) by or under the provisions of any such enactment shall in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act and shall continue in force unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act;

(ii) The Government of Jharkhand may, by notification, make such provisions as appears to it to be necessary or expedient-

- (a) for making omission from, addition to and adaptations and modifications of the Rules, notifications and orders issued under the repealed enactment; and
- (b) for specifying the authority, officer or person who shall be competent to exercise such functions exercisable under any of the repealed enactment or any Rules, notifications and orders issued there under as may be mentioned in the said notification.

(iii) Unless the Government of Jharkhand otherwise directs, the Market Committee referred to in clause (i) and the Chairperson, Vice-chairperson and members thereof shall continue until the expiry of their term under the repealed Act or till a Market Committee is constituted in accordance with the provisions of this Act, whichever is earlier.

(iv) On issue of a direction under clause (ii) of sub-section (2), the provisions of Section shall apply as from the date specified in the direction as if the Market Committee stood dissolved on that date.

Power to remove difficulty.

139.

If any difficulty arises in implementation of any provisions of this Act, Government of Jharkhand may, as exigency requires, by order not inconsistent with the provisions of this Act, do anything which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
